<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 28 दिसंबर, 2024

<u>अंतिम जांच परिणाम</u>

<u>मामला सं.-एडी (ओआई)-18/2023</u>

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" या "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

1. यत: रिलायंस सिबुर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें जापान, रूस, सिंगापुर, यूनाइटेड किंग्डम और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से हेलोब्यूटिल-रबर (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध वस्तु" या "एचआईआईआर" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. और यत:, आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के मद्देनजर प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/19/2023-डीजीटीआर दिनांक 30 सितंबर, 2023 के माध्यम से पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार जापान, रूस, सिंगापुर, यूनाइटेड किंग्डम और संयुक्त राज्य अमेरिका से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत की ताकि संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की

ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

3. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

क. प्राधिकारी ने संबंधित नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को सूचित किया था।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशो से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2023 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, संबद्ध देशो से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार जांच शुरुआत अधिसूचना की एक-एक प्रति भेजी थी और उनसे विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया था।

घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों के ज़रिए उनकी सरकारों और ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति भेजी थी। आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी।

ङ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों से संगत सूचना मंगाने के लिए निर्यातक प्रश्नावली भेजी थी:

i. अरलैंक्सियो सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड
ii. चाइना पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन

iii. एक्सॉन मोबाइल कॉर्पोरेशन

iv. हंट्समैन इंटरनेशनल एलएलसी।

v. जापान ब्यूटाइल कंपनी लिमिटेड

vi. ल्योंडेल बेसेल इंडस्ट्रीज होल्डिंग्स बी.वी.

vii. टिमको रबर

viii. पीजेएससी निज़नेकमस्कनेफ्तेखिम

ix. एसएबीआईसी

x. टीपीसी ग्रुप

xi. झेजियांग सेनवे न्यू सिंथेटिक मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड

च. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से उनके देश के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध किया गया था:

छ. संबद्ध जांच की जांच शुरुआत के उत्तर में संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर देकर प्रतिक्रिया दी है:

i. अरलैंक्सियो सिंगापुर पीटीई लिमिटेड

ii. एनियोस मैटेरियल्स कॉर्पोरेशन ("ईएमसी")

iii. एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड ("ईएमएपीपीएल")

iv. एक्सॉनमोबिल केमिकल लिमिटेड ("ईएमसीएल")

v. एक्सॉनमोबिल जापान गोडो कैशा ("ईएमजे")

vi. एक्सॉनमोबिल पेट्रोलियम एंड केमिकल बीवी, बेल्जियम ("ईएमपीसी")

vii. एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कंपनी ("ईएमपीएससी")

viii. जापान ब्यूटाइल कंपनी लिमिटेड ("जेबीसी")

ix. जेटीसी कॉर्पोरेशन ("जेटीसी")

x. एमआरएफ एसजी पीटीई लिमिटेड

xi. पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी निज़नेकमस्कनेफ्तेखिम (एनकेएनएच)

xii. पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक सिबुर होल्डिंग

xiii. सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच

ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 4(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्तओं से आवश्यक सूचना मंगाने के लिए आयातक प्रश्नावली भेजी थी:

i. अभि रबड़ एंड केमिकल्स
ii. एक्यूरा वाल्व्स प्राइवेट लिमिटेड
iii. एडवेन टायर ट्यूब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
iv. अग्रवाल रबर लिमिटेड
v. अक्स पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड
vi. एलाइड जे बी फ्रिक्शन प्राइवेट लिमिटेड
vii. अंबिका बॉयलर एंड फैब्रिकेटर
viii. एनाबॉन्ड लिमिटेड
ix. अपोलो टायर्स लिमिटेड
x. आर्मेसेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xi. एस्ट्रोन पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
xii. बी पी केमिकल्स
xiii. बी बी एम इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
xiv. बी के रबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
xv. बी पी केमिकल्स
xvi. बजाज रबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
xvii. बालाजी एंटरप्राइजेज
xviii. बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड
xix. भारत रबर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
xx. बिस पॉलिमर्स लिमिटेड
xxi. ब्राजा टायर्स प्राइवेट लिमिटेड
xxii. ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xxiii. कैवेंडिश इंडस्ट्रीज लिमिटेड
xxiv. सीएट लिमिटेड
xxv. सीएट स्पेशलिटी टायर्स लिमिटेड
xxvi. चेलना इंक

xxvii. केमिकलर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड

xxviii. चेरी इंटरनेशनल

xxix. चौधरी रबर एंड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड

xxx. सिंक माइक्रोन केम प्राइवेट लिमिटेड

xxxi. क्लासिक ऑटो ट्यूब्स लिमिटेड

xxxii. क्लासिक इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड

xxxiii. कॉन्टिनेंटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

xxxiv. कोरोजन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड

xxxv. क्रेन प्रोसेस फ्लो टेक्नोलॉजीज (आई)

xxxvi. डी डेकोर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

xxxvii. दीपक ओवरसीज

xxxviii. देव रबर फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड

xxxix. डॉल्फिन रबर्स लिमिटेड

xl. एल्गी रबर कंपनी लिमिटेड

xli. एल्मर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

xlii. एल्फा पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड

xliii. एक्सेल रबर प्राइवेट लिमिटेड

xliv. एक्सॉन मोबिल कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

xlv. फ्लेक्सिलिस प्राइवेट लिमिटेड

xlvi. गणपति जनरल ट्रेडिंग एलएलपी

xlvii. ग्लोबस रूबकेम प्राइवेट लिमिटेड

xlviii. गुडइयर साउथ एशिया टायर्स प्राइवेट लिमिटेड

xlix. गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड

l. हरटेक्स रबर प्राइवेट लिमिटेड

li. हेनकेल आनंद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

lii. हिंद इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड

lii. हिंदुस्तान साइकिल एंड ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड

liv. इंडियन रबर मैन्युफैक्चरर्स रिसर्च

lv. जे के टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

lvi. जमनादास इंडस्ट्रीज

lvii. जैस्मीनो पॉलीमरटेक प्राइवेट लिमिटेड

lviii. जय आशीर्वाद ट्रेडिंग कंपनी

lix. जयम इंडस्ट्रीज

lx. जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

lxi. जेएमएफ सिंथेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

lxii. जॉनसन रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड

lxiii. के.एल. ट्रेडिंग कॉरपोरेशन

lxiv. कर्नाटक केमिकल इंडस्ट्रीज

lxv. केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

lxvi. कोहिनूर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

lxvii. मैजेस्टिक इंटरनेशनल

lxviii. मैक्सवेल पॉलिमर एलएलपी

lxix. मैक्सिस रबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

lxx. मेट्रो टायर्स लिमिटेड

lxxi. मिडास ब्यूटाइल प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

lxxii. मिडास ट्रेड्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

lxxiii. मिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

lxxiv. एमआरएफ लिमिटेड

lxxv. मैसूर पॉलिमर्स एंड रबर प्रोडक्ट्स

lxxvi. निशिगंधा पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड

lxxvii. पैरागॉन वायल कैप्स प्राइवेट लिमिटेड

lxxviii. पर्ल पैच

lxxix. परफेटी वैन मेले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

lxxx. पिंकसिटी रबर एंड केमिकल्स

lxxxi. पिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड

lxxxii. पॉलीगोल्ड प्रीक्योर्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

lxxxiii. पीआरएस टायर्स लिमिटेड

lxxxiv. आर.के. पॉलिमर

lxxxv. राजशिला सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड

lxxxvi. राम चरण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

lxxxvii. रमन एंटरप्राइजेज

lxxxviii. रविंदर कुमार विजय कुमार

lxxxix. रबर इंडिया

xc. रबरकिंग टायर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

xci. सागर रबर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

xcii. साहिल एंटरप्राइजेज

xciii. साक्षी इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड

xciv. साक्षी एलएमपीएक्स

xcv. संगी

xcvi. सत्यम रबर इंडस्ट्रीज

xcvii. सील फॉर लाइफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

xcviii. श्री कृष्ण रबर केमिकल

xcix. सोनाटा रबर प्राइवेट लिमिटेड

c. स्पेसिफिक वेंटिल फैब्रिक

ci. स्पीडवेज रबर कंपनी

cii. सन एक्सिम

ciii. सनराइज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन

civ. सपल रबर केमिकल प्राइवेट लिमिटेड

cv. सुरेंद्र इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड

cvi. स्वास्तिक सेल्स एजेंसी

cvii. ठाकर दास एंड कंपनी

cviii. थॉमसन रबर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

cix. टोयोटा त्सुशो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

cx. ट्राइटन वाल्व्स लिमिटेड

cxi. तुलसीराम हनुमानबगस गिलाडा

cxii. यूडी फार्मा रबर उत्पाद

cxiii. वी रबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

cxiv. विस्टा बिजनेस वेंचर्स एलएलपी

cxv. रिगली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

cxvi. योकोहामा इंडिया प्रा. लिमिटेड

cxvii. जेनिथ इंडस्ट्रियल रबर प्रोडक्ट्स प्रा.

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु की निम्नलिखित ज्ञात एसोसिएशनों को परिचालन और आवश्यक सूचना मंगाने के लिए आयातक प्रश्नावली थी:

i. ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन
ii. आल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

iii. संबद्ध जांच शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देशों से निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर देकर जवाब दिया है:

i. अपोलो टायर्स लिमिटेड
ii. ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
iii. सीएट लिमिटेड
iv. एक्सॉनमोबिल कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("ईएमसीआईपीएल")
v. जे के टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
vi. जेएमएफ परफॉरमेंस मैटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड
vii. एमआरएफ लिमिटेड

viii. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश उपलब्ध कराए। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल कर दें।

ix. डीजी सिस्टम से क्षति अवधि और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदा-वार ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की गणना और सौदों की आवश्यक जांच के बाद अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

x. सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों और नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की ईष्टतम उत्पादन लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत

(एनआईपी) ज्ञात की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

xi. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 (12 महीने) की है। क्षति विश्लेषण के संबंध में रुझानों की जांच में 2019-20, 2020-21, 2021-22 और जांच अवधि शामिल है।

xii. तत्पश्चात, एडी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 20 अगस्त, 2024 को हुई मौखिक सुनवाई के दौरान अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। हितबद्ध पक्षकारों से लिखित अनुरोध और खंडन अनुरोध, यदि कोई हों, को विहित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

xiii. निर्दिष्ट प्राधिकारी के बदलने के कारण 11 सितंबर, 2024 को एक नई मौखिक सुनवाई की गई थी जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। हितबद्ध पक्षकारों से लिखित अनुरोध और खंडन अनुरोध, यदि कोई हों, को विहित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

xiv. प्राधिकारी ने केन्द्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी अनिवार्य तथ्यों वाला एक प्रकटन विवरण 18 दिसंबर, 2024 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया। प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की संगत सीमा तक जांच की है। कोई ऐसा अनुरोध जो केवल पूर्व अनुरोध के पुन: प्रस्तुति था और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, को संक्षिप्तता की वजह से दोहराया नहीं गया है।

xv. जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर इस प्रारंभिक जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा उनके साक्ष्य द्वारा समर्थित होने और वर्तमान जांच के संगत होने की सीमा तक उचित ढंग से विचार किया गया है।

xvi. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय

माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, वहां गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

xvii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने विचार/सम्मुक्तियां दर्ज की हैं।

xviii. जांच प्रक्रिया के दौरान, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त ऐसी सूचना की सत्यता से स्वयं को संतुष्ट किया है जो संभव सीमा तक वर्तमान अंतिम जांच परिणाम का आधार बनी है और सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेज़ों का संगत, व्यवहार्य और आवश्यक सीमा तक सत्यापन किया है।

xix. प्राधिकारी ने एक बैठक आयोजित की जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति के संबंध में उनकी टिप्पणियां देने के लिए आमंत्रित किया गया था।

xx. इस अधिसूचना में *** चिन्ह किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

xxi. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अम.डा.=80.79 रु. है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

4. जांच शुरुआत के समय प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

"4. हालोबुटाइल-रबर (एचआईआईआर)" जैसे ब्रोमोबुटाइल रबर (बीआईआईआर) और क्लोरोबुटाइल रबर (सीआईआईआर)। एचआईआईआर को आईआईआर के आइसोप्रेन समूहों के हेलोजिनेशन के जरिए प्राप्त किया जाता है जिसमें उन्नत विशेषताओं और गुणों के साथ रबड़ उत्पादित होता है। एचआईआईआर को टायर इनर लाइनर, होज, सील, मेम्ब्रेन,

टैंकि लाइनिंग, कन्वेयर बेल्ट, प्रोटेक्टिव क्लोदिंग के लिए और खेल के सामानों के लिए बाल ब्लेडर जैसे उपभोक्ता उत्पादों के लिए प्रयोग किया जाता है।

5. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 40 के अन्तर्गत टैरिफ कोड 4002 39 00 के अन्तर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। "

ग.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. बीआईआईआर को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि आवेदक को इसके लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदक ने दावा किया है कि उसे दिसंबर, 2023 में इमप्रेमर बी 2247 के लिए अनुमोदन मिला है। अत:, उसने जांच अवधि के दौरान आपूर्ति नहीं की थी।

ii. आरएसईपीएल उत्पादन में सक्षम नहीं है और उपभोक्ताओं के स्वीकार्य विनिर्देशनों के अनुसार एचवी बीआईआईआर का उत्पादन वह नहीं कर सकता है। एटीएमए के किसी भी सदस्य ने आरएसईपीएल द्वारा उत्पादित उत्पाद को अनुमोदित नहीं किया है और उसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए।

iii. बीआईआईआर और सीआईआईआर वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं। प्राधिकारी को यह सत्यापन करना चाहिए कि क्या आवेदक ने दोनों ग्रेडों का वाणिज्यिक उत्पादन शुरु कर दिया है और उन्हें जांच अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन नहीं किए गए ग्रेड को बाहर रखना चाहिए। अरलेनसियो ने भारत में बीआईआईआर के केवल दो ग्रेडों (एक्स बुटाइल बीबी 2030 ओर एक्स बुटाइल बीबीएक्स2) की आपूर्ति की है और ऐसे ग्रेडों की आपूर्ति आवेदक नहीं करता है, इस प्रकार, उसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए।

iv. प्राधिकारी को आवेदक को यह आकलन करने के लिए उत्पाद अनुमोदन के संबंध में उपभोक्ताओं से पत्राचार उपलब्ध कराना चाहिए कि क्या आवेदक ने वाणिज्यिक मात्राओं में आपूर्ति की है।

v. कम विस्कोसिटी तथा अधिक विस्कोसिटी एचआईआईआर को वाणिज्यिक अनुमोदन नहीं मिला है। इमप्रामर 2247 बल्क ट्रायल के अधीन है और एटीएमए द्वारा प्रस्तुत ईमेल पत्रों के अनुसार जांच अवधि के बाद भी अनुमोदित नहीं हुआ है।

vi आवेदक द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा नमूना बिक्री है। प्राधिकारी आवेदक और उपभोक्ता से इसका सत्यापन कर सकते हैं और जांच समाप्त कर सकते हैं या वाणिज्यिक रूप से आपूर्ति नहीं किए गए ग्रेडों को बाहर कर सकते हैं।

vii. यह स्पष्ट किया जाए कि आइसोबुटाइलिन और पैरा-मिथाइल स्टाइरिन के कोपोलिमर (एक्सप्रो सीरीज) विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं हैं क्योंकि ये एचआईआईआर नहीं हैं। एक्सप्रो सीरीज तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, अणु संरचना, टैरिफ वर्गीकरण और अंतिम प्रयोगों के अनुसार अलग है और उसे एक्सोन की पेटेंटशुदा तकनीकी के प्रयोग से बनाया जाता है, जो आवेदक के पास उपलब्ध नहीं है।

viii. ईएमपीएससी द्वारा उत्पादित स्टार-ब्रांच्ड हेलोबुटाइल रबड़ आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद से तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, अणु संरचना और कच्ची सामग्री के अनुसार भिन्न है और उसमें स्टाइरिन को-पोलिमर ब्रांचिंग एजेंट होता है। ईएमपीएससी में उक्त उत्पाद के विनिर्माण के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकी होती है और आवेदक के पास इसके उत्पादन की तकनीक नहीं है। उत्पाद अपवर्जन का निर्णय लेने में उत्पाद का वास्तविक आयात महत्वपूर्ण नहीं है। प्राधिकारी की प्रक्रिया ऐसे ग्रेडों को बाहर रखने की है जिन्हें घरेलू उद्योग द्वारा बनाया या बेचा नहीं जाता है। ईएमपीएससी ने भारत को स्टार-ब्रांच्ड एचआईआईआर के नमूने का निर्यात किया है।

ix. उच्च मूनी विस्कोसिटी वाले एचआईआईआर को उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

x. उच्च मूनी विस्कोसिटी और उच्च ब्रोमाइन मात्रा के संयोग वाले एचआईआईआर को उत्पाद दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

xi. 42 एमयू से अधिक विस्कोसिटी वाले एचआईआईआर को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि आरएसईपीएल के पास उसके विनिर्माण की क्षमता नहीं है। ब्रोबुटाइल

2255, ब्रोमो 2244 और बीबीएक्स2 में उच्चतर टेनसाइल मजबूती और तीव्र वल्कनीकरण दर होती है। एचवी बीआईआईआर को आरएसपीईएल द्वारा केवल परीक्षण के लिए आपूर्ति किया गया था और अब तक कोई अनुमोदन नहीं दिया गया है।

xii. ईएमसीएल का 2.0 डब्ल्यूटी % से अधिक 2.5 डब्ल्यूटी % तक की ब्रोमाइन मात्रा वाले एचआईआईआर तकनीकी विशेषताओं और विनिर्माण प्रक्रिया में भिन्न हैं और उन्हें भेषज अनुप्रयोगों के लिए विशेष रूप से बनाया जाता है और इसे उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए। आवेदक को यह दर्शाना चाहिए कि उसके पास इन ग्रेडों के उत्पादन की क्षमता है।

xiii. विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों द्वारा यह सुस्थापित है कि जहां किसी उत्पाद प्रकार/ग्रेड के लिए घरेलू समान वस्तु मौजूद न हो वहां ऐसे प्रकार/ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं करना चाहिए।

xiv. प्रभावी बनने के लिए, ब्रोमोबुटाइल में प्रवाह का उच्च विरोध, टेनसाइल मजबूती, एकरूपता और तीव्र वल्कनीकरण दर होनी चाहिए। घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्तित उत्पाद में खराब वायु संवेदनशीलता और खराब सुधार विशेषताएं हैं जिसके कारण घरेलू उद्योग को इसकी आपूर्ति के बावजूद प्रयोक्ताओं से औपचारिक अनुमोदन नहीं मिला है।

xv. उच्च मूनी विस्कोसिटी ब्रोमोबुटाइल ग्रेड जहां अवधि की समाप्ति तक प्रयोक्ताओं द्वारा अनुमोदित भी नहीं हुए थे और उन्हें उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए।

xvi. चूंकि आयात दस्तावेज हैलोबुटाइल रबड़ और मूनी विस्कोसिटी के प्रकार दर्शाते हैं इसलिए सीमा शुल्क को उत्पाद की विश्वसनीय ढंग से पहचान करने में कोई समस्या नहीं होगी।

xvii. उनके एसओपी के अनुसार, प्रयोक्ता घरेलू उद्योग की दलील के विपरीत पत्र या ईमेल के ज़रिए अनन्य रूप से औपचारिक विक्रेता अनुमोदन प्रदान करते हैं।

xviii. संबद्ध वस्तु के लिए ऐसी कोई अनुमोदन प्रक्रिया नहीं है जो एटीएमए के सदस्यों के विक्रेता अनुमोदन पोर्टल के स्क्रीन शाट से साबित होती हो। एटीएमए के सदस्य

एसबीआर, बीआर, पीबीआर और सीआईआईआर समेत आरआईएल से अनेक उत्पाद खरीदते हैं और वे सभी उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरे हैं।

ग.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पादन हेलोब्यूटिल रबड़ है, जिसमें ब्रोमोब्यूटिल रबड़ और क्लोरोब्यूटिल रबड़ शामिल हैं।

ii. चूंकि वर्तमान मामला वास्तविक मंदी का है, इसलिए केवल उत्पादन न होना ग्रेड को बाहर रखने का आधार नहीं माना जाना चाहिए। इसके बजाए उत्पादन की क्षमता और सामर्थ्य पर विचार करना चाहिए।

iii. अपवर्जन के लिए अनुरोध पर प्राधिकारी को विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले ही बैठक की है और विचाराधीन उत्पाद का दायरा और पीसीएन को अंतिम रूप दिया है।

iv. अरलैनक्सियो द्वारा किए गए अनुरोध देरी से हैं क्योंकि पीयूसी, पीसीएन बैठक के दौरान कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

v. घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान वाणिज्यिक मात्रा में बीआईआईआर का उत्पादन और बिक्री की है।

vi अरलैनक्सियो ने इसका कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि उसके द्वारा आपूर्ति किया गया ग्रेड आवेदक द्वारा उत्पादित ग्रेड से प्रतिस्थापित नहीं हो सकता है। घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए अर्थात आरएसईपीएल बी 2232 और आरएसईपीएल बी 2247 विशेषताओं में तुलनीय हैं और उक्त निर्यातक द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेड के समान वस्तु हैं।

vii. क्योंकि वर्तमान जांच वास्तविक मंदी की जांच है, इसलिए उत्पाद को बाहर रखने की अपेक्षा वास्तविक उत्पादन और बिक्री नहीं है बल्कि उक्त उत्पाद के उत्पादन की क्षमता है।

viii. इम्प्रामर बी 2247 के अनुमोदन तारीख संगत नहीं है क्योंकि वह आवेदक द्वारा उत्पादित और बेचे गए बीआईआईआर का एकमात्र ग्रेड नहीं है।

ix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की दलील के विपरीत आवेदक ने जांच अवधि से पहले भी इम्प्रामर बी 2247 का उत्पादन किया है, इसलिए घरेलू उद्योग के पास उच्च मूनी विस्कोसिटी एचआईआईआर के उत्पादन की क्षमता है।

x. स्टार-ब्रांच्ड एचआईआईआर को उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत में उक्त उत्पाद की मांग नहीं है और इसलिए उसका आयात नहीं हुआ है। प्राधिकारी की प्रक्रिया के अनुसार केवल वही उत्पाद जिसका आयात नहीं हुआ है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं होता है, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जा सकता हे।

xi. ब्रोमोबुटाइल 7244 अर्थात 2 से अधिक और 2.5 एमओएल% तक ब्रोमाइन मात्रा वाले बीआईआईआर को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता क्योंकि ऐसे उत्पाद का कोई आयात नहीं हुआ है। यद्यपि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि ऐसे उत्पाद में 2-2.5 के बीच ब्रोमाइन मात्रा होती है परंतु वास्तविक मात्रा 2.1 एमओएल% होती है। घरेलू उद्योग ने 2एमओएल% तक ब्रोमाइन मात्रा की संबद्ध वस्तु का उत्पादन किया है। ब्रोमाइन मात्रा को बढ़ाने की जरूरत आईआईआर के स्तर पर आइसोप्रीन को मिलाने पर होती है और उसका उत्पादन घरेलू उद्योग कर सकता है।

xii. हितबद्ध पक्षकार के इस अनुरोध के विपरीत कि यदि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित बीआईआईआर का निष्पादन खराब है तो वह वाणिज्यिक मात्राओं में बिक्री प्राप्त करने में कैसे सक्षम होगा।

xiii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों के विपरीत यदि निर्यातित उत्पाद एचआईआईआर नहीं हैं, वे स्वत: विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आएगा, इसलिए इसके विशिष्ट अपवर्जन या स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है।

xiv. यदि प्राधिकारी एक्सप्रो को बाहर रखने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने का निर्णय लेते हैं तो उत्पाद के टैरिफ वर्गीकरण की जांच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि निर्यातक ने दावा किया है कि उत्पाद को विभिन्न एचएस कोड के अन्तर्गत

आयातित किया गया है। तथापि, उसे समान एचएस कोड के अन्तर्गत आयातित किया जा रहा है। यह जांच करने की जरूरत है कि क्या उत्पाद में अलग विशेषताएं हैं और क्या उसे एचआईआईआर के रूप में बेचा, आयातित किया और प्रयोग किया जाता है।

xv. जैसा कि मौखिक सुनवाई में प्रयोक्ताओं ने बताया है उत्पाद का कोई औपचारिक अनुमोदन नहीं है। उत्पाद का अनुमोदन उक्त प्रयोक्ताओं द्वारा बार बार ऑर्डर देने से स्पष्ट है।

xvi. एटीएमए के सभी सदस्य विक्रेता अनुमोदन पोर्टल नहीं रखते हैं और इसलिए कुछ प्रयोक्ताओं द्वारा ऐसा पोर्टल इस तथ्य को गलत नहीं ठहराता कि घरेलू उद्योग के पास संबद्ध वस्तु के विनिर्माण की क्षमता और सामर्थ्य है।

xvii. औपचारिक अनुमोदन नाम मात्र की जरूरत है क्योंकि प्रयोक्ता नियमित रूप से औपचारिक अनुमोदन के बिना आवेदक से अपनी जरूरतों के 70% से अधिक की खरीद कर रहे हैं। प्रयोक्ताओं ने चल रही पाटनरोधी जांच के कारण औपचारिक अनुमोदन नहीं लिए हैं।

xviii. अनुमोदन इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि आवेदक से आरंभिक नमूने खरीदने के बाद प्रयोक्ताओं ने संबद्ध वस्तु की खरीद के लिए आवेदक से पुन: संपर्क किया है।

xix. कुछ उपभोक्ताओं से गैर-अनुमोदन को वाणिज्यिक उत्पादन का अभाव नहीं माना जा सकता है। यहां तक कि एटीएमए के सदस्य भी वाणिज्यिक मात्राओं में घरेलू उद्योग से संबद्ध वस्तु खरीद रहे हैं।

xx. एटीएमए के साथ पत्राचार के संबंध में, आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर दर्शाता है कि उसने प्रयोक्ताओं द्वारा वास्तव में अपेक्षित विनिर्देशनों को प्रदान किया है। उसने दूसरे प्रयोक्ता द्वारा आरंभिक ट्रायल को पास भी किया हे।

xxi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत आवेदक ने पहले ही जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के वाणिज्यिक उत्पादन और बिक्री के संबंध में सूचना दी है।

ग.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

7. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को आवेदन के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 30 दिनों के भीतर पीयूसी के दायरे और पीसीएन संबंधी उनके अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर दिया था। इस समय सीमा को आगे 25 नवंबर, 2023 तक बढ़ाया गया था।

8. एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कंपनी ("ईएमपीएससी"), एक्सॉनमोबिल केमिकल लिमिटेड (ईएमसीएल) और ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) द्वारा टिप्पणियां प्रस्तुत की गइ्र थीं। विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों के आधार पर प्राधिकारी ने 7 दिसंबर, 2023 को पीयूसी/पीसीएन पद्धति संबंधी एक बैठक की थी।

9. हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए निम्नलिखित पीसीएन पद्धति पर विचार किया है उसे दिनांक 5 फरवरी, 2024 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया था।

पीसीएन मापदंड	मूल्य	कोड
स्टार-ब्रांच्ड हेलो-बुटयूटाइल	क्लोरोब्यूटाइल	एससी
	ब्रोमोब्यूटाइल	एसबी
अन्य हेलो-ब्यूटाइल	क्लोरोब्यूटाइल	ओएचसी
	ब्रोमोब्यूटाइल	ओएचसी

10. विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बीआईआईआर बाहर रखने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्धारित अवधि के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया क्योंकि यह अनुरोध देरी से किया गया, इसलिए प्राधिकारी ने इसे स्वीकार नहीं किया। वास्तव में बीआईआईआर को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता क्योंकि रिकॉर्ड में सूचना के अनुसार घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक मात्रा में बीआईआईआर का उत्पादन और बिक्री की है। यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान कुल उत्पादन का [***] % बीआईआईआर का था। इसके अलावा, यह तथ्य कि बीआईआईआर की इतनी अधिक मात्रा बेची गई, दर्शाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा अपेक्षित गुणवत्ता की संबद्ध वस्तु का उत्पादन किया गया है।

11. एक्स ब्यूटाइल बीबी 2030 और एक्स ब्यूटाइल बीबी एक्स2 ग्रेडों को बाहर रखने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे अनुरोध देर से दायर किए गए हैं क्योंकि पाटनरोधी जांच समयबद्ध प्रकृति की होती है, इसलिए ऐसे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दरअसल घरेलू उद्योग ने साक्ष्य दिए हैं कि उसके द्वारा आपूर्ति की गई ग्रेड भारत में आयातित किए जा रहे उक्त ग्रेडों के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेड अरलेंक्सियो द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेडों से तकनीकी मानदंडों के अनुसार तुलनीय हैं, जैसा नीचे तालिका से देखा जा सकता है।

विवरण	आरएसईपीएल बी 2232	एक्स ब्यूटाइल बीबी 2030	आरएसईपीएल बी 2247	एक्स ब्यूटाइल बीबी एक्स2
एमवी	28 - 36	32	41 - 51	46
ब्रोमीन (डब्ल्यूटी %)	1.6 - 2.0	1.80	1.6 - 2.0	1.80
वोलाटाइल (डब्ल्यूटी %)	0.70 अधिकतम	<0.7	0.70 अधिकतम	<0.7
एंटीऑक्सीडेंट (डब्ल्यूटी %)	0.05 न्यूनतम	>0.03	0.05 न्यूनतम	>0.03
राख (डब्ल्यूटी %)	0.70 अधिकतम	<0.7	0.70 अधिकतम	<0.7

12. ब्रोमोब्यूटिल 2255 और 7244 तथा उच्च मूनी विस्कोसिटी वाले एचआईआईआर के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मांगे गए अपवर्जन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में साक्ष्य के अनुसार घरेलू उद्योग ने समान वस्तु का उत्पादन किया है। घरेलू उद्योग ने आरएसईपीएल बी2247 की विनिर्देशन शीट प्रस्तुत की है जो एक उच्च मूनी विस्कोसिटी ग्रेड है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेड में भारत में आयातित ग्रेडों के समान तकनीकी विशेषताएं हैं। अत:, प्राधिकारी ने नोट किया है कि उसे बाहर रखने की आवश्यकता नहीं है।

एक्सॉन ग्रेड	आरएसईपीएल बी 2247	2255 (बिंदु क)	7244 (बिंदु ड.)
एमवी	41 - 51	46	46
ब्रोमीन (मोल %)		1.03	

ब्रोमीन (डब्ल्यूटी %)	1.6 - 2.0	2.1	2.1
कैल्शियम (डब्ल्यूटी %)	0.12 - 0.18	0.15	0.17
एंटीऑक्सीडेंट (डब्ल्यूटी %)	0.05	0.02	0.01

13. एक्सप्रो सीरीज के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने बताया है कि यह एचआईआईआर नहीं है। ऐसी स्थिति में इस उत्पाद प्रकार को उत्पाद के दायरे से बाहर रखने की जरूरत नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी उत्पाद प्रकार को केवल तभी बाहर रखा जाता है यदि ऐसा उत्पाद प्रकार स्वयं विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा हो। चूंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने स्वयं बताया है कि यह एचआईआईआर नहीं है तो इस स्तर पर उसे विशिष्ट रूप से बाहर करने या स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है।

14. उच्चतर ब्रोमाइन मात्रा वाले एचआईआईआर के संबंध में घरेलू उद्योग ने बताया है कि उसके पास ऐसे ग्रेड के विनिर्माण की क्षमता है। ऐसे ग्रेड के उत्पादन में केवल उत्पाद में आइसोप्रीन की मात्रा बढ़ाने की जरूरत होती है। इसके लिए केवल एसिड निष्क्रियकरण सुविधा की जरूरत होती है। घरेलू उद्योग के पास उसके संयंत्र में ऐसी सुविधा है और इसलिए उसके पास उक्त उत्पाद के उत्पादन की क्षमता है। इस प्रकार, उक्त उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने की कोई जरूरत नहीं है।

15. स्टार-ब्रांच्ड एचआईआईआर को बाहर रखने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि भारत में स्टार-ब्रांच्ड एचआईआईआर का कोई आयात नहीं हुआ है, तथापि यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि घरेलू उद्योग ने स्टार-ब्रांच्ड एचआईआईआर समान वस्तु का उत्पादन नहीं किया है।

16. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेडों के गैर-अनुमोदन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने बताया है कि कोई औपचारिक अनुमोदन प्रक्रिया नहीं है और अनुमोदन उपभोक्ताओं को बिक्री की मात्रा से स्पष्ट होता है। दूसरी ओर अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बताया है कि एटीएमए के सदस्य एक पोर्टल रखते हैं जो उत्पाद अनुमोदन दर्शाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कुछ प्रयोक्ताओं द्वारा पोर्टल के स्क्रीन शाट प्रस्तुत किए हैं। तथापि, रिकॉर्ड में साक्ष्य दर्शाते हैं कि केवल कुछ प्रयोक्ता ऐसा पोर्टल रखते हैं। आवेदक ने वाणिज्यिक मात्राओं में अनेक प्रयोक्ताओं को बिक्री की है जिसका अर्थ है कि औपचारिक अनुमोदन के बिना भी घरेलू उद्योग के पास

अपेक्षित विनिर्देशन के अनुसार प्रयोक्ताओं को संबद्ध वस्तु की आपूर्ति करने की क्षमता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत ईमेल पत्रों से पता चलता है कि घरेलू उद्योग प्रयोक्ताओं के विनिर्देशन के अनुसार संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने में सक्षम है। निम्नांकित तालिका जांच अवधि के दौरान और उसके बाद प्रयोक्ताओं को घरेलू उद्योग द्वारा बेची गई मात्राएं दर्शाती है।

क्र. सं.	प्रमुख उपभोक्ताओं के नाम और एचआईआईआर के प्रत्येक खपत खंड	भारी और दुबारा मांगी गई मात्राओं का महीना	निम्नलिखित तक बेची गई कुल मात्रा (मी.ट.)		
			जांच की अवधि	2023-24	2024-25
1	***	***	***	***	***
2	***	***	***	***	***
3	***	***	***	***	***
4	***	***	***	***	***
5	***	***	***	***	***
6	***	***	***	***	***
7	***	***	***	***	***
8	***	***	***	***	***
9	***	***	***	***	***
10	***	***	***	***	***
11	***	***	***	***	***
12	***	***	***	***	***
13	***	***	***	***	***

14	***	***	***	***	***
15	***	***	***	***	***
16	***	***	***	***	***
17	***	***	***	***	***

17. पूर्वोक्त के मद्देनजर प्राधिकारी उत्पाद के दायरे में संशोधन करना उचित नहीं समझते हैं। तद्नुसार विचाराधीन उत्पाद का दायरा निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

"4. हालोबुटाइल-रबर (एचआईआईआर)" जैसे ब्रोमोबुटाइल रबर (बीआईआईआर) और क्लोरोबुटाइल रबर (सीआईआईआर)। एचआईआईआर को आईआईआर के आइसोप्रेन समूहों के हेलोजिनेशन के जरिए प्राप्त किया जाता है जिसमें उन्नत विशेषताओं और गुणों के साथ रबड़ उत्पादित होता है। एचआईआईआर को टायर इनर लाइनर, होज, सील, मेम्ब्रेन, टैंकि लाइनिंग, कन्वेयर बेल्ट, प्रोटेक्टिव क्लोदिंग के लिए और खेल के सामानों के लिए बाल ब्लेडर जैसे उपभोक्ता उत्पादों के लिए प्रयोग किया जाता है।

5. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 40 के अन्तर्गत टैरिफ कोड 4002 39 00 के अन्तर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"

18. इसके अलावा, पूर्वोक्त के मद्देनजर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पदित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। आयातित वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। उक्त के मद्देनजर, घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद को भारत में आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

घ. <u>घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति</u>

घ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

19. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. आवेदक को नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग होने का पात्र नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि उसके रूसी कंपनी के साथ संबंध हैं।

ii. पीजेएससी सिबुर होल्डिंग्स अप्रत्यक्ष रूप से आवेदक और एनकेएनएच, दोनों को नियंत्रित करता है, अत: यह दोनों कंपनियों एक दूसरे से संबंधित हैं। सिबुर का आवेदक के प्रबंधन निर्णय पर नियंत्रण है। एओए के अनुसार दो निदेशक सिबुर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और आरक्षित मामले और संबंधित पक्षकार के सौदे/संयुक्त अनुमोदन सौदे में प्रत्येक समूह के कम से कम एक निदेशक के अनुमोदन की जरूरत होती है। बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए मैसौदा कार्य-सूची को सिबुर के निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

iii. नियंत्रण इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि आवेदक की एक पूर्व निदेशक मेरिना मेदवेदेवा ने सिबुर द्वारा उनके नामांकन के वापस लेने के कारण बोर्ड से इस्तीफा दिया था।

iv. सिबुर और टाटर-अमेरिकन इंवेस्टमेंट एंड फाइनेंस समूह के बीच विलय के निर्णय में ईसी ने पाया कि यद्यपि आरआईएल के पास आरएसईपीएल में अधिकांश शेयर हैं तथापि, आरआईएल और सिबुन, दोनों का उस पर संयुक्त नियंत्रण है।

v. गतिरोध के प्रावधान केवल आरक्षित मामलों पर लागू होते हैं और संबंधित पक्षकार सौदों तथा संयुक्त अनुमोदन सौदे पर लागू नहीं होते हैं।

vi यद्यपि आवेदक भारत में एकमात्र उत्पादक है परंतु कानून में भारत में उत्पादकों की संख्या के आधार पर पात्रता मापदंडों की परिवंचना की अनुमति नहीं है।

vii. पाटनरोधी शुल्क का संरक्षण ऐसे उद्योग को नहीं दिया जा सकता जिसे संबंधित निर्यातक के जरिए पाटन से लाभ मिला हो या योगदान मिला हो।

viii. आवेदक द्वारा भारी निवेश या भारत में विनिर्माण पर नए प्रवेशकर्ता के केन्द्रित होने को उसी पात्र घरेलू उद्योग मानने का तर्कसंगत आधार नहीं समझा जा सकता है, विशेषरूप से तब जबकि उसके रूसी कंपनी के साथ संबंध हैं।

ix. यद्यपि प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि आवेदक आआईआर की पाटनरोधी जांच में रूसी निर्यातक से संबंधित है, तथापि उपयोग किया गया विवेकाधिकार उचित नहीं है और व्हील लोडर तथा सोडा एश से संबंधित जांच में प्राधिकारी के निष्कर्षों के विरुद्ध है। वर्तमान जांच विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए किसी आपवादिक परिस्थिति की पहचान नहीं की गई है।

x. न्यायिक विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए तथ्यों तथा रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों की वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। रिकॉर्ड में साक्ष्य के अनुसार रूसी उत्पादक और आवेदक एकाधिकार बनाने और भारी बाजार हिस्से पर कब्जा करने के लिए बाजार के पुनर्गठन का प्रयास कर रहे हैं।

xi. इन दोनों के बीच सांठगांठ है जो रूस से आयातों में गिरावट और आवेदक की बिक्री में वृद्धि से स्पष्ट है। यद्यपि आयातों की मात्रा में रूस से गिरावट आई है परंतु आवेदक के साथ मिलकर कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है ताकि वर्तमान जांच में अनुकूल मार्जिन प्राप्त करने के लिए आयातों को कम करते समय लाभप्रदता बनाई रखी जाए।

xii. रूस से आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क की मांग करना या रूसी कंपनी द्वारा पाटनरोधी शुल्क का विरोध करने से इन पक्षकारों के बीच सांठगांठ का समाधान नहीं होता है। जांच में भागीदारी से अलग शुल्क की व्यवस्था होगी जिसका प्रबंधन किया जा सकता है और जो बाजार कार्यकलापों पर कोई खास रुकावट उत्पन्न नहीं करता है।

xiii. यह तालमेल इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि रूसी कंपनी ने अपने संबंध के बावजूद आवेदक की कानूनी स्थिति को चुनौती नहीं दी है।

xiv. ऐसी संभावना है कि एनकेएनएच ने जांच अवधि के दौरान भारत को सीधे एचआईआईआर का नौवहन किया है और रूस में उत्पादक तथा आवेदक के बीच संबंध ने बाजार दशाओं को संभवत: प्रभावित किया हो। इस प्रकार, संबद्ध देश इस अवधि के दौरान प्रतिस्पर्धा के विभिन्न मानकों का सामना कर रहे हैं। घरेलू उद्योग बनने की आवेदक की पात्रता पर पुनर्विचार करना चाहिए।

xv. आवेदक ने रूसी निर्यातक के लिए एक विपणन/मांग सूची एजेंट के रूप में कार्य किया है।

घ.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

20. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. रिलायंस सिबुर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है यह रिलायंस इंडसट्रीज लिमिटेड और सिबुन इंवेस्टमेंट एजी, स्विटजलैंड का एक संयुक्त् उद्यम है जो सिबुर होल्डिंग्स की 100% सहायक कंपनी है।

ii. सिबुर का आवेदक के दैनिक प्रचालनों पर कोई नियंत्रण नहीं है और इसलिए वह आवेदक को कोई निर्णय लेने या आरआईएल द्वारा लिए गए किसी निर्णय से बचने का निदेश नहीं दे सकता है।

iii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की इस दलील के विपरीत यदि आवेदक और रूसी कंपनी को संबंधित समझा भी जाए तो भी संबंध का एकमात्र तथ्य यह मानने के लिए अपर्याप्त है कि आवेदक घरेलू उद्योग बनने का पात्र नहीं है।

iv. घरेलू उद्योग के दायरे से संबंधित पक्षकार को बाहर रखने का उद्देश्य ऐसे उत्पादकों को बाहर रखना है जिन्हें विदेशी उत्पादकों से उनके संबंधों के कारण लाभ हो रहा है। कानूनी या प्रचालनात्मक नियंत्रण के मामले में घरेलू उत्पादक को विदेशी उत्पादक/निर्यातक से संबंधित कहा जाएगा।

v. यह जांच करने की जरूरत है कि क्या संबंधित पक्षकारों का व्यवहार असंबंधित पक्षकारों से अलग है, क्या उन्होंने पाटन की शुरुआत, उसे तीव्र किया है, उसका लाभ लिया है या सुरक्षा की है, क्या क्षति स्व-कारित है, संबंधित पक्षकार द्वारा किए गए आयातों का प्रभाव, क्या संबंधित पक्षकार ने जांच अवधि के दौरान भारत को उत्पाद का निर्यात किया है, क्या संबंधित निर्यातक की मात्रा असंबंधित घरेलू उत्पादक के बाजार का स्थान ले रही है, क्या इस संबंध से उत्पादन, कीमत निर्धारण या समान वस्तु की लागत, शेयरधारकों द्वारा कानूनी या संगठन संबंधी सीमाओं पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्या संबंधित पक्षकार स्वायत्त रूप से या मिलकर

कार्य करते हैं या एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और क्या पाटनरोधी जांच में उनके विरोधी हित हैं।

vi सिबुर के एक संयुक्त उद्यम भागीदार होने के कारण आरएसईपीएल के व्यवहार में कोई अंतर नहीं है। रूसी कंपनी और आवेदक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और इनके विरोधी हित हैं क्योंकि एक ने पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है और दूसरा उसका विरोध कर रहा है। इन दोनों के बीच गठजोड़ का कोई साक्ष्य नहीं है।

vii. आवेदक और रूसी कंपनी के बीच संबंध पर विचार करने के बाद भी प्राधिकारी ने आआईआर जांच में यह माना था कि आवेदक घरेलू उद्योग बनने का पात्र है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं रखा है कि प्राधिकारी द्वारा आईआईआर जांच में जारी निष्कर्षों में बदलाव की जरूरत है।

viii. आरआईएल अधिकांश शेयर रखता है और आरएसईपीएल में निदेशक, बोर्ड के चेयरमैन का नामांकन का अधिकार आरआईएल के पास है और इसलिए जहां बहुमत से निर्णय की जरूरत होती है वहां सभी अधिकार आरआईएल के पास है।

ix. आरक्षित मामलों में आरएसईपीएल के दैनिक निर्णय शामिल नहीं हैं जिनसे आरएसईपीएल को स्व-कारित क्षति हो सकती हो। सिबुर तब तक कोई निर्णय नहीं ले सकता जब तक वह आरआईएल द्वारा समर्थित हो। इस प्रकार, सिबुर आरएसईपीएल पर प्रतिबंध या निदेश देने की स्थिति में नहीं है।

x. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की दलील के विपरीत सिबुर द्वारा केवल निदेशक में बदलाव अतिरिक्त नियंत्रण नहीं दर्शाता है क्योंकि उसके पास हमेशा दो निदेशक नियुक्त करने का अधिकार था।

xi. आवेदक को पात्र माना जाना चाहिए क्योंकि वह भारत में एकमात्र उत्पादक है और उसे अपात्र मानने का अर्थ भारतीय उद्योग को उपचार से वंचित करना और भारत में पाटन को बढ़ावा देना होगा।

xii. आवेदक ने रूस सहित पाटित उत्पादों के सभी स्रोतों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु आवेदन किया है। इसलिए रूसी कंपनी को ऐसा कोई लाभ नहीं है जिस पर आईआईआर के आयातों पर पाटनरोधी जांच में सर्वाधिक शुल्क लगाया गया है।

xiii. आवेदक और रूसी कंपनी के बीच नियंत्रण का अभाव है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि आवेदक रूसी उत्पादक को पाटन से रोकने में असमर्थ रहा है और रूसी कंपनी आवेदक को पाटनरोधी आवेदन प्रस्तुत करने से रोकने में असमर्थ रही है।

xiv. आवेदक का संयंत्र जामनगर में स्थित है और आरआईएल की रिफाइनरी में है।

xv. आवेदक को उपचार से वंचित करना इस उत्पाद में अव्यवहारी बना देगा और भारत को आयातों पर निर्भर बना देगा।

xvi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की दलील के विपरीत आवेदक ने यह नहीं बताया है कि पात्रता मापदंडों की परिवंचना होगी।

xvii. आवेदक ने किसी संरक्षण की नहीं बल्कि अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं के विरुद्ध उपचार का अनुरोध किया है। इसके अलावा, उसे पाटन से कोई लाभ या कोई योगदान नहीं मिला है। यदि उसे पाटन से लाभ मिल रहा होता तो उसने रूस को प्रस्तुत आवेदन से आसानी से अलग कर लिया होता।

xviii. आवेदक का फोकस संबद्ध वस्तुओं के आयात के बजाए उसके विनिर्माण पर है।

xix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत उत्पादन पर प्रतिबद्धता का स्तर इस मूल्यांकन एक मुख्य कारक है कि क्या किसी उत्पादक को पात्र माना जाना चाहिए।

xx. चूंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि रूस की कीमतें न्यूनतम थी इसलिए रूस में उत्पादक सर्वाधिक पाटनरोधी शुल्क के अधीन रहेगा। इस प्रकार, अलग अलग शुल्कों से रूसी उत्पादकों को किसी भी तरह लाभ नहीं होगा।

xxi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत सभी स्रोतों से आयातों में गिरावट आई है और केवल रूस से नहीं। सभी संबद्ध देशों से आयात कीमत में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है और रूस की कीमतें अन्य देशों से आयात की कीमतों के अनुसरण में रही हैं।

xxii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की दलील के विपरीत, यह तथ्य कि एनकेएनएच ने वर्तमान मामले में स्थिति को चुनौती देते हुए प्राधिकारी को गुमराह नहीं किया,

पर नकारात्मक रूप से विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि एनकेएनएच को पूरी जानकारी है कि आवेदक और एनकेएनएच के बीच कोई नियंत्रण नहीं है।

xxiii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत यूरोपीय आयोग ने माना था कि आरआईएल का आरएसईपीएल पर नियंत्रण है। इसके अलावा, भरोसा किए गए दस्तावेज विलय और अधिग्रहण से संबंधित हैं और पाटनरोधी जांच से नहीं। संबंधित पक्षकारों का अर्थ और दायरा, दोनों के अंतर्गत अलग अलग है।

xxiv. आरआईएल और सिबुर के बीच गतिरोध के मामले में, आरआईएल के पास सिबुर को उसका हिस्सा आरआईएल को बेचने का निर्देश देने की शक्ति है। इसी प्रकार, सिबुर के पास आरआईएल से उसका शेयर खरीदने की शक्ति है। इसलिए, गतिरोध की स्थिति में आरआईएल सारे प्रचालनों पर नियंत्रण कर लेता है। इस प्रकार, सिबुर गतिरोध के खंड की मौजूदगी के कारण आरआईएल द्वारा किसी नियंत्रण से नहीं बच सकता है।

xxv. यदि संबंधित पक्षकार और संयुक्त अनुमोदन सौदों के लिए गतिरोध का प्रावधान लागू न हो तो भी वह सिबुर पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं दिखाता है।

xxvi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के विपरीत आवेदक रूसी उत्पादक से प्रतिस्पर्धा कर रहा है और उसे रूसी उत्पादक द्वारा प्रस्तावित कम कीमत के कारण अपनी कीमतें कम करने को बाध्य होना पड़ा है। यदि रूसी उत्पादक को आवेदक को बाजार पहुंच देनी होती तो उसने कम कीमतों के बजाए उच्चतर कीमतें रखी होती।

xxvii. अन्य शेयरधारक समूह द्वारा संबंधित पक्षकार सौदे का अनुमोदन इन कंपनियो द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रक्रियाओं और पारदर्शिता को दर्शाता है। सिबुर आरआईएल से कच्ची सामग्री की खरीद को रोकने का निर्णय नहीं ले सकता है क्योंकि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करार आरआईएल से कच्ची सामग्री की खरीद को शासित करता है।

xxviii. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयातों या सिबुर से ऐसे आयातों की जानकारी का मुद्दा महत्वहीन है।

xxix. यह दर्शाने वला कोई साक्ष्य नहीं है कि आवेदक ने रूसी कंपनी के विपणन एजेंट के रूप में कार्य किया है। आवेदक ने भारत में एक संयंत्र स्थापित किया है और अपनी बिक्रियां बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है।

घ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

21. यह आवेदन रियांस सिबुर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड (आरएसईपीएल) द्वारा दायर किया गया है जो भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है।

22. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

"(ख) घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

23. नियम 2(ख) के प्रयोजनार्थ उत्पादकों को निर्यातकों या आयातकों से केवल तभी संबंधित माना जाएगा यदि -

"(क) उनमें से एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे को नियंत्रित करता हो ; अथवा

(ख) वे दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होते हों; अथवा

(ग) वे मिलकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस शर्त के अधीन किसी तीसरे व्यक्ति को नियंत्रित करते हों कि ऐसा मानने या संदेह करने का आधार हो कि इस संबंध का प्रभाव इस प्रकार का है कि उससे उत्पादकों को गैर-संबंधित उत्पादकों से अलग व्यवहार करने का कारण मिलता हो।

नोट: इस स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ किसी उत्पादक द्वारा दूसरे उत्पादक पर नियंत्रण तब माना जाएगा जब पहला कानूनी या प्रचालनात्मक रूप से दूसरे पर नियंत्रण या निदेश का प्रयोग करने की स्थिति में हो। "

24. पाटनरोधी करार में अनुच्छेद 4 'घरेलू उद्योग' को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

> *"4.1 इस करार के प्रयोजनार्थ "घरेलू उद्योग" शब्द की व्याख्या समान उत्पादों के समग्र घरेलू उत्पादकों के संदर्भ में की जाएगी अथवा; उनमें से वे उत्पादक, जिनके उत्पादों का समग्र उत्पादन उन उत्पादों के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता हो, इस बात को छोड़कर कि:*
>
> *(i)जब उत्पादक निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों अथवा वे स्वयं ही कथित पाटित उत्पाद के आयातक हैं, तो "घरेलू उद्योग" की व्याख्या शेष उत्पादकों के संदर्भ में की जा सकती है;"*

25. फुट नोट 11 संबंधित के अर्थ को निम्नानुसार आगे और स्पष्ट करता है।

> *"11. इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ उत्पादकों को निर्यातकों या आयातकों से केवल तभी संबंधित समझा जाएगा यदि (क) उनमें से एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे को नियंत्रित करता हो ; अथवा (ख) वे दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होते हों; अथवा (ग) वे मिलकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस शर्त के अधीन किसी तीसरे व्यक्ति को नियंत्रित करते हों कि ऐसा मानने या संदेह करने का आधार हो कि इस संबंध का प्रभाव इस प्रकार का है कि उससे उत्पादकों को गैर-संबंधित उत्पादकों से अलग व्यवहार करने का कारण मिलता हो। इस स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ किसी उत्पादक द्वारा दूसरे उत्पादक पर नियंत्रण तब माना जाएगा जब पहला कानूनी या प्रचालनात्मक रूप से दूसरे पर नियंत्रण या निदेश का प्रयोग करने की स्थिति में हो।"*

26 प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित पक्षकार की परिभाषा का सार "नियंत्रण", कानूनी या प्रचालनात्मक में निहित है, यदि एक पक्षकार दूसरे पर निदेश या नियंत्रण के प्रयोग की स्थिति में नहीं है, चाहे प्रत्यक्ष हो या अन्य पक्षकार के ज़रिए तो ऐसा नहीं माना जा सकता है कि दोनों पक्षकार एक दूसरे से संबंधित हैं। यह नोट किया गया है कि केवल शेयरधारिता का अर्थ नियंत्रण नहीं है और इसलिए यह पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर आरएसईपीएल को एनकेएनएच से संबंधित नहीं बनाता है। इसके अलावा, यदि दो

पक्षकार संबंधित पक्षकार हैं तो संबंध का केवल तथ्य घरेलू उत्पादक को अपात्र मानने के लिए अपर्याप्त है। इस बात का साक्ष्य होना चाहिए कि संबंधित घरेलू उत्पादक ने संबंध के कारण अलग ढंग से कार्य किया या पाटन की प्रक्रिया में भागीदारी की और ऐसे कदम उठाए जिनके परिणामस्वरूप स्व-कारित क्षति हो सकती हो।

27. वर्तमान मामले में, आरएसईपीएल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("आरआईएल") और सिबुर इन्वेस्टमेंट एजी, स्विटजरलैंड ("सिबुर स्विटजरलैंड") के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जो पीजेएससी सिबुर होल्डिंग ("सिबुर होल्डिंग") की सहायक कंपनी है। सिबुर होल्डिंग की रूस में विचाराधीन उत्पाद के निर्माता पीजेएससी निज़नेकमस्कनेफ्तेखिम ("एनकेएनएच") में भी हिस्सेदारी है।

28. आवेदक ने दावा किया है कि वह रूसी वस्तु के निर्यातक से संबंधित नहीं है, संबद्ध वस्तु के रूसी उत्पादकों से संबंधित नहीं है। आवेदक ने बताया है कि नियमावली के अन्तर्गत संबंध को उत्पाद के निर्यातक के संदर्भ में देखा जाना अपेक्षित है। आवेदक ने इस आधार पर संबंध से इंकार किया है कि (क) सिबुर अथवा पीजेएससी निज़नेकमस्कनेफ़्तेखिम द्वारा कोई सीधे निर्यात नहीं हुए हैं, (ख) रिलायंस के पास शेयरधारकों और निदेशक बोर्ड, दोनों में अधिकांश वोटिंग शक्तियां हैं, (ग) सिबुर आरएसईपीएल के दैनिक निर्णयों पर नियंत्रण नहीं रखता है, (घ) आरएसईपीएल सिबुर द्वारा पाटन में योगदान नहीं देता है, और (ड़) आवेदक को पूर्ववर्ती प्रक्रिया के मद्देनजर पात्र घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए।

29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में नियम 2(ख) के अन्तर्गत प्राधिकारी को दिए गए विवेकाधिकार का उद्देश्य और प्रयोजन संगत है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रावधान का उद्देश्य, प्राधिकारी कुछ स्थितियों में किसी घरेलू उत्पादक को अपात्र मानने की अनुमति देना है। ऐसी एक स्थिति तब होती है जब घरेलू उत्पादक संबद्ध वस्तु के निर्यातक से संबंधित हो। तथापि, संबंध के होते हुए भी प्राधिकारी के पास विदेशी उत्पादक से संबंधित घरेलू उत्पादकों को अपात्र मानने का विवेकाधिकार है। वास्तव में, नियम 2(ख) के अन्तर्गत ऐसे किसी घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग से बाहर करने का कोई स्वत: प्रावधान नहीं है।

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एओए का अनुच्छेद 39(क) किसी बोर्ड में और शेयरधारकों की बैठक में आरक्षित मामलों के लिए अपेक्षित निर्णय लेने की प्रक्रिया/अनुमोदन का

प्रावधान करता है। इसमें उल्लेख है कि जब तक सिबुर के शेयरधारकों के पास आवेदक में योग्यता शेयर हैं तो बोर्ड तथा शेयरधारकों की बैठक में निर्णय तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक रिलायंस और सिबुर प्रत्येक द्वारा नियुक्त कम से कम एक निदेशक ने मामले के पक्ष में वोट न दिया हो (बोर्ड की बैठक के मामले में) रिलायंस और सिबुर प्रत्येक से कम से कम ने एक शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि ने ऐसे मामले के लिए अपना अनुमोदन दिया हो (शेयरधारकों की बैठक के मामले में)। अनुच्छेद 39 का संगत हिस्सा नीचे दिया गया है:

(क) जब तक सिबुर के शेयरधारकों के पास संयुक्त रूप से योग्यता शेयरधारिता है तब तक अनुच्छेद 243(ड़) और अनुच्छेद 44(ग) में दी गई स्पष्ट स्थितियों के अलावा और उन्हें छोड़कर कंपनी और शेयरधारक कोई खरीद नहीं करेंगे और कंपनी आरक्षित मामलों के संबंध में कोई निर्णय या कार्यवाही तब तक नहीं करेगी जब तक:

(i) प्रत्येक शेयरधारक समूह से कम से कम एक शेयरधारक के एक प्राधिकृत प्रतिनिधि ने लिखित में कंपनी के लिए ऐसे आरक्षित मामले के लिए अपना अनुमोदन दिया हो या यदि ऐसा आरक्षित मामला अधिनियम के अन्तर्गत केवल किसी शेयरधारक बैठक की सक्षमता के भीतर आता हो तो प्रत्येक शेयरधारक समूह से कम से कम एक शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि ने शेयरधारकों की बैठक में ऐसे आरक्षित मामले के लिए अपना अनुमोदन दिया हो; और

(ii) प्रत्येक शेयरधारक समूह द्वारा नियुक्त कम से कम एक (1) निदेशक ने विधिवत रूप से आयोजित और हुई बोर्ड की बैठक में मामले के पक्ष में मतदान किया हो।

31. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी अनुच्छेद 41(ख)(i) पर भरोसा किया है जो "संयुक्त अनुमोदन सौदों" को शासित करता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आरक्षित मामलों की तरह अनुच्छेद 41(ख)(i) में उल्लेख है कि ऐसे सभी सौदों में रिलायंस और सिबुर, दोनों से कम से कम एक निदेशक और एक शेयरधारक का अनुमोदन अपेक्षित है (जब तक सिबुर के पास योग्यता शेयर हैं)।

32. विशेष रूप से, संस्था के नियम (एओए) प्रतिपय "आरक्षित मामलों", "संबंधित पक्षकार सौदे" और "संयुक्त अनुमोदन सौदे" परिभाषित करता है जिनमें बोर्ड और शेयरधारकों की बैठक में क्रमश: सिबुर के निदेशकों और शेयरधारकों का अनुमोदन ऐसा कोई व्यापार करने से पहले आवश्यक है। इस प्रकार, यह देखा गया है कि रिलायंस के पास अधिकांश

शेयर होने के बावजूद सिबुर नियम 2(ख) के स्पष्टीकरण के अनुसार आवेदक पर नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है।

33. चूंकि प्राधिकारी ने पहले ही यह निष्कर्ष निकाला है कि सिबुर आवेदक पर नियंत्रण रख सकता है, इसलिए वह गतिरोध प्रावधानों के संबंध में इस संबंध की पुन: जांच करना आवश्यक नहीं समझते हैं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यूरोपीय आयोग के निर्णय की जांच नहीं करते हैं। यद्यपि घरेलू उद्योग ने प्रश्न उठाया है कि ये कारक संबंध की मौजूदगी नहीं दर्शाते हैं, तथापि प्राधिकारी ने पहले ही पाया है कि यहां जांच किए गए अन्य कारकों के आधार पर संबंध मौजूद हैं।

34. उपर्युक्त के आलोक में, सिद्ध होता है कि सिबुर के पास सिबुर इंवेस्टमेंट्स एजी के जरिए आवेदक पर नियंत्रण है और एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार संबंध सिद्ध होता है।

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2(ख) केवल एक संभावित स्थित को दर्शाता है, जहां किसी घरेलू उत्पादक को अपात्र माना जा सकता हो क्योंकि नियमावली में किसी स्थिति या दशा को निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए प्राधिकारी ऐसी संभावित स्थितियों की जांच करते हैं जहां प्राधिकारी संबद्ध देशों में निर्यातकों के साथ संबंध के बावजूद घरेलू उत्पादकों को पात्र या अपात्र मान सकते हों। यांत्रिक रूप से, लागू करने के बजाए इस नियम को मामले के तथ्यों को समझने के बाद, इस परीक्षण के बाद लागू करना चाहिए कि क्या संबंध का प्रयोग बाजार को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है।

36. प्राधिकारी ने चीन जन.गण., यूरोपीय संघ, केन्या, ईरान, पाकिस्तान, यूक्रेन और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा एश के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के मामले में इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया है (संख्या 14/17/2010-डीजीएडी)। वास्तव में नियमावली को “करना होगा” से “कर सकते हैं” में केवल इसलिए बदला गया है ताकि ऐसी स्थिति में प्राधिकारी को विवेकाधिकार दिया जा सके, जहां पर कोई घरेलू उत्पादक स्वयं आयातक हो या किसी आयातक या विदेशी निर्यातक से संबंधित हो। इसके अलावा, वर्तमान मुद्दे की विस्तृत जांच चीन जन.गण., रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, और संयुक्त राज्य अमेरिका की मूल की अथवा वहां से निर्यातित आइसोबुटाइलीन-आइसोप्रीन रबड़ के आयातों की पाटनरोधी जांच में की गई है(फा.सं. 6/05/2023)।

37. प्राधिकारी ने अब निम्नलिखित पैरा में यह जांच की है कि क्या सिबुर और आवेदक के बीच संबंध ने पाटन से लाभ लेने के इरादे से बाजार को प्रभावित किया है।

38. घरेलू उद्योग ने 2020-21 में उत्पादन शुरु किया और केवल जांच अवधि के अंतिम दिन वाणिज्यिक उत्पादन घोषित किया। उत्पादन शुरु करने और वाणिज्यिक उत्पादन घोषित करने के बीच काफी समय अंतराल को घरेलू उद्योग ने पाटन होने के आधार पर न्यायोचित ठहराया है। देश में उत्पाद के पाटन ने घरेलू उद्योग को उत्पादन और बिक्री करने की अपनी पूर्ण तकनीकी क्षमता की स्थापना के बाद भी काफी समय तक वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा करने से रोका है।

39. रूस से आयातों की कीमत अन्य संबद्ध देशों से प्रतिस्पर्धा में निर्धारित की गई थी। किसी गठजोड़ या संयुक्त कार्यवाही की मौजूदगी दर्शाने वाला कोई साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं है। रूसी उत्पादक ने भागीदारी की है और पाटनरोधी शुल्क लगाने का विरोध किया है जो याचिकाकर्ता और रूसी उत्नपादक के विरोधी व्यापार हितों को दर्शाता है।

40. रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जो दर्शाता हो कि आवेदक को पाटन से लाभ हुआ है या योगदान मिला है। दूसरी ओर, रिकॉर्ड में साक्ष्य दर्शाते हैं कि आवेदक को भारत में रूस सहित संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

41. रिकॉर्ड में यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि आवेदक ने भारत में रूसी उत्पादक की विपणन एजेंसी के रूप में कार्य किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने भारत में संबद्ध वस्तु के विनिर्माण के लिए संयंत्र स्थापित किया है। रूस से आयातित संबद्ध वस्तु और भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु घरेलू बाजार में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।

42. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बताया है कि आवेदक और रूसी कंपनी के बीच मिलीभगत है क्योंकि उनकी मात्राओं में गिरावट आई है और कीमतों में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि दूसरे संबद्ध देश के मामले में भी गिरावट आई है। कीमत में वृद्धि के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमतों में सभी संबद्ध देशों से वृद्धि हुई है और रूस की कीमतों ने अन्य संबद्ध देशों से कीमतों के जैसे रुझान का ही पालन किया है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2021-22 की तुलना में बदलाव
संबद्ध आयातों की मात्रा	मी.ट.	35,941	45,696	47,495	46,823	-1%
जापान	मी.ट.	1,043	5,999	5,429	8,504	57%
रूस	मी.ट.	10,468	14,661	13,342	3,443	-74%
सिंगापुर	मी.ट.	15,519	12,090	16,142	27,845	73%
यूके	मी.ट.	4,322	7,030	9,262	2,330	-75%
यूएसए	मी.ट.	4,589	5,916	3,320	4,701	42%
संबद्ध आयातों की मात्रा	रु./मी.ट.	2,09,576	1,90,677	2,16,358	2,57,407	19%
जापान	रु./मी.ट.	2,07,102	1,87,791	2,00,266	2,56,350	28%
रूस	रु./मी.ट.	1,99,386	1,68,667	2,06,998	2,56,010	24%
सिंगापुर	रु./मी.ट.	1,98,138	1,89,080	2,10,747	2,38,951	13%
यूके	रु./मी.ट.	2,50,104	2,19,563	2,43,616	2,63,842	8%
यूएसए	रु./मी.ट.	2,32,523	2,08,220	2,34,689	2,77,917	18%

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस से आयातों की कीमत अन्य संबद्ध देशों से प्रतिस्पर्धा पर आधारित थी। यह भी नोट किया जाता है कि रूस से उत्पादकों की आयात मात्रा इतनी अधिक नहीं है कि वह अन्य निर्यातकों की कीमत पर दबाव डाल सकें।

44. इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। तद्नुसार, प्राधिकारी आवेदक को इस आधार पर घरेलू उद्योग बनने का पात्र मानते हैं।

45. उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अन्तर्गत यथा-परिभाषित घरेलू उद्योग है, और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करता है।

ड. <u>गोपनीयता</u>

ड.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

46. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक उत्पाद की तारीख संबंधी सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है जबकि ऐसी सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

ii. घरेलू उद्योग ने अगोपनीय सारांश दिए बिना पूरी परियोजना रिपोर्ट के गोपनीय होने का दावा किया है।

iii. यद्यपि आवेदक ने दावा किया है कि उसने कीमत कटौती की रेंज बताई है परंतु उसने प्रपत्र IV ख में यह जानकारी नहीं दी है।

iv. परियेाजना रिपोर्ट में निहित पद्धति और धारणाओं का प्रकटन नहीं किया गया है।

v. आवेदक को क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए प्रस्तावित पद्धति के बारे में विस्तृत ब्यौरा देने के लिए कहा जाना चाहिए।

vi घरेलू उद्योग के अनुरोध के विपरीत, निर्यातक पर कारपोरेट संरचना और प्राधिकारी को प्रदत्त उत्पादन सुविधाओं संबंधी अतिरिक्त गोपनीय सूचना के प्रकटन का दायित्व नहीं है।

vii. अरलनसियो कोई कीमत सूची प्रकाशित नहीं करता है और उसकी कीमतें उपभोक्ताओं के साथ बातचीत पर आधारित होती हैं और इसका प्रकटन नहीं किया जा सकता है।

viii. निर्यातकों के संविदागत संबंध गोपनीय सूचना है और घरेलू उद्योग को उसका प्रकटन नहीं किया जा सकता है।

ix. चूंकि बिक्री चैनल सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, इसलिए वह व्यापार संवेदनशील सूचना है और उसका प्रकटन नहीं हो सकता है।

x. उत्पादन प्रक्रिया का प्रकटन नहीं करके आवेदक के हित से कोई पक्षपात नहीं किया गया है। उत्पादन प्रक्रिया गोपनीय जानकारी है जिसे बाजार में प्रतिस्पर्धी बढ़त के लिए रखना अपेक्षित है।

xi. निर्यातकों की लेखांकन पद्धति व्यापारिक गोपनीय सूचना है। कंपनी की लेखांकन पद्धति अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक के अनुसार है और उत्तर में उसका प्रकटन किया गया है।

xii. कच्ची सामग्री के स्रोत संबंधी सूचना से संवेदनशील व्यापार प्रचालन जैसे आपूर्तिकर्ता संबंध, कच्ची सामग्री का स्रोत और प्रतिस्पर्धी रणनीतियों से समझौता हो जाएगा और इसलिए उसका प्रकटन नहीं किया गया है।

xiii. निर्यातकों पर बीजक पश्चात छूटों का घरेलू उद्योग को प्रकटन करने का कोई दायित्व नहीं है।

xiv. उत्पाद के उत्पादक का नाम गोपनीय व्यापार स्वामित्व सूचना है जिसका प्रकटन नहीं हो सकता है।

xv. घरेलू उद्योग ने एनकेएनएच, सिबुर होल्डिंग और सिबुर इंटरनेशनल द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अगोपनीय अंश में सूचना के प्रकटन से संबंधित मुद्दे नहीं उठाए हैं।

xvi. घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु की अनुमानित कीमत और कीमत उद्धरण का प्रकटन नहीं किया है और उपभोक्ता जुटाने के लिए भारी छूट दी है।

xvii. यह दावा कि कीमत कटौती उपभोक्तावार आधार पर सकारात्मक है, स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि उन उपभोक्ताओं के नाम जिनके लिए कीमत कटौती की गणना की गई है या ऐसे उपभोक्ताओं/उपभोक्ता समूहों के चयन के तरीके का प्रकटन नहीं हुआ है। आरएसईपीएल को विचारित सौदों की संख्या और मात्रा, विचारित ग्राहकों और ऐसे उपभोक्ताओं के चयन के तरीके, उनके बाजार हिस्से के अनुपात और वह देश जिससे उन्होंने उत्पाद का आयात किया है, संबंधी जानकारी का प्रकटन करना चाहिए।

xviii. आवेदक ने बिक्रियों के ग्रेडवार ब्यौरे के गोपनीय होने का दावा किया है।

ड.2. <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

47. घरेलू उद्योग ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के विभिन्न उल्लंघन हैं।

ii. निर्यातकों/उत्पादकों ने कुछेक प्रश्नों के पूरे उत्तर के अगोपनीय होने का दावा किया है और गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश नहीं दिया है।

iii. निर्यातकों/उत्पादकों ने यह स्पष्ट करने वाला कोई विवरण नहीं दिया है कि उत्तर में गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना का अगोपनीय सारांश क्यों संभव नहीं हे।

iv. निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत गोपनीयता के कारणों का विवरण व्यापार सूचना 1/2013 दिनांक 9 दिसंबर, 2013 के अन्तर्गत विहित प्रपत्र के अनुसार नहीं है।

v. निर्यातकों/उत्पादकों ने अपने उत्पाद कैटेलॉक के गोपनीय होने का दावा किया है जबकि इसका कोई औचित्य नहीं बताया गया है।

vi विनिर्माण प्रक्रिया तथा प्रमुख कच्ची सामग्रियों के नाम के भी आवश्यक औचित्य के बिना गोपनीय होने का दावा किया गया है।

vii. निर्यातकों/उत्पादकों ने उत्पादन सुविधाओं और भारत में विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया की उप-संविदा से संबंधित समस्त सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।

viii. निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्यात कीमत और कुछ मामलों में घरेलू बाजार कीमत के संबंध में दावा किए गए समायोजनों की सूचना देने के लिए प्रयुक्त पद्धति संबंधी जानकारी नहीं दी है।

ix. निर्यातकों/उत्पादकों ने कोई उचित कारण बताए बिना वितरण चैनल के गोपनीय होने का दावा किया है।

x. निर्यातकों/उत्पादकों ने अपने उपभोक्ताओं को बीजक पश्चात/बिक्री छूटों या वर्ष के अंत में दी गई छूटों के संबंध में पूरे उत्तर के गोपनीय होने का दावा किया है।

xi. निर्यातक/उत्पादक संबंधित पक्षकारों से कच्ची सामग्री और अन्य इनपुट के आबद्ध उपयोग और खरीद तथा स्वतंत्र पक्षकारों से ऐसे इनपुट की कीमत के आधार के संबंध में सूचना के पर्याप्त प्रकटन में विफल रहे हैं।

xii. निर्यातकों/उत्पादकों ने संविदागत संपर्कों और आरएंडडी तथा अन्य कार्यकलापों के लिए संयुक्त उद्यमों संबंधी समस्त सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है और उनका अगोपनीय अंश उपलब्ध नहीं कराया है।

xiii. प्रयोक्ता खरीद/बिक्री, कच्ची सामग्री की लागत और अन्य परिवर्तन लागत के लिए सूचीबद्ध आंकड़े देने में विफल रहे हैं।

xiv. प्रयोक्ताओं ने विचाराधीन उत्पाद से विनिर्मित अंतिम उत्पाद की घरेलू बिक्रियों में अनुमानित शेयर के लिए रेंज मूल्य नहीं बताया है।

xv. कुछ प्रयोक्ताओं ने प्रस्तावित शुल्कों के संभावित प्रभाव और प्रयोक्ताओं पर प्रभाव की मात्रा संबंधी तर्कों के गोपनीय होने का दावा किया है जबकि अगोपनीय सारांश नहीं दिया है।

xvi. हितबद्ध पक्षकार आर्थिक हित प्रश्नावली के उत्तर में पर्याप्त सूचना देने में विफल रहे हैं और उन्होंने कुछेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपनी टिप्पणियां सुरक्षित रखी हैं जिससे प्रश्नावली जारी करने की प्रक्रिया निष्फल हो सकती है।

xvii. हितबद्ध पक्षकार व्यापार सूचना की अपेक्षाओं के गैर-अनुपालन की विशिष्ट घटनाओं की पहचान करने में विफल रहे हैं।

xviii. आवेदक की परियोजना रिपोर्ट व्यापार संवेदनशील सूचना होने के कारण गोपनीय है और इसलिए उसका प्रकटन नहीं किया जा सकता है।

xix. क्षतिरहित कीमत के निर्धारण की पद्धति प्राधिकारी को बताई गई है, वह गोपनीय व्यापार सूचना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया जा सकता है।

xx. घरेलू उद्योग ने आवेदन के परिशिष्ट में कीमत कटौती की जानकारी दी है।

xxi. घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख संबंधी गोपनीयता का दावा वापस ले लिया है और उसकी जानकारी दी है।

xxii. परियोजना रिपोर्ट पूरी तरह गोपनीय है और उसे अनेक पूर्व जांचों में भी गोपनीय माना गया है।

xxiii. घरेलू उद्योग ने संशोधित अगोपनीय अंश में वास्तविक और अनुमानित सूचना के बीच तुलना के रूप में परियोजना रिपोर्ट का सारांश प्रस्तुत किया है।

xxiv. घरेलू उद्योग की अनुमानित कीमत और कीमत उद्धरण गोपनीय व्यापार स्वामित्व सूचना है और इसलिए उसका प्रकटन नहीं किया जा सकता है।

xxv. अन्य हितबद्ध पक्षकारो के अनुरोधों के विपरीत, उपभोक्ताओं के नाम और ऐसे उपभोक्ताओं के चयन के तरीके का प्रकटन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सूचना व्यापार स्वामित्व की प्रकृति की है और उसका प्रकटन घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

xxvi. आवेदक की पीसीएन-वार बिक्रियां व्यापार स्वामित्व की जानकारी है जिसका अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन नहीं किया जा सकता है।

ड.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

48. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना का अगोपनीय अंश सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया है।

49. इसके अलावा, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जताई गई गोपनीयता संबंधी चिंताओं के आलोक में 24 मार्च, 2024 को प्राधिकारी ने उठाए गए मुद्दों का बिंदुवार उत्तर देने का निदेश सभी पक्षकारों को दिया और सभी पक्षकारों को पाटनरोधी नियमावली के विशिष्ट नियम 7 और व्यापार सूचना 10/2018, दिनांक 7 सितंबर, 2018 के अनुसार गोपनीयता संबंधी नियमों का पालन करने का निदेश दिया। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/ निर्यातकों और प्रयोक्ताओं ने 31 मार्च, 2024 को गोपनीयता संबंधी चिंताओं और टिप्पणियों का उत्तर प्रस्तुत किया है।

50. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

51. वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत की तारीख के संबंध में गोपनीयता के दावे के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं घरेलू उद्योग ने उस सूचना संबंधी गोपनीयता के अपने अनुरोध को रद्द कर दिया है और सूचना उपलब्ध कराई है।

52. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने परियोजना रिपोर्ट के पूरी तरह गोपनीय होने का दावा किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि परियोजना रिपोर्ट तथा परियोजना रिपोर्ट बनाने की पद्धति और धारणाएं आवेदक के कार्यकरण और बाजार सूचना से संबंधित जानकारी होती है और ऐसी जानकारी गोपनीय व्यापार स्वामित्व की प्रकृति की होती है। तथापि, चूंकि घरेलू उद्योग वास्तविक निष्पादन के साथ अनुमानित निष्पादन की तुलना पर भरोसा कर रहा है इसलिए उसके अगोपनीय सारांश को साझा किया गया है।

53. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि कीमत उद्धरण, अनुमानित कीमतें और बिक्री पश्चात बीजक छूटों को नहीं बताया गया है। तथापि, चूंकि उक्त सूचना गोपनीय प्रकृति की है और ऐसी सूचना के प्रकटन से संगत हितबद्ध पक्षकार के प्रचालनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इसलिए प्राधिकारी ने ऐसी सूचना की गोपनीयता संबंधी दावे को स्वीकार किया है।

54. इस अनुरोध के संबंध में घरेलू उद्योग ने कीमत कटौती के लिए उपभोक्ताओं के नाम का प्रकटन नहीं किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी सूचना व्यापार संवेदनशील प्रकृति की होती है। ऐसी सूचना के प्रकटन से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपभोक्ताओं के ब्यौरों को गोपनीय रखने दावे को स्वीकार किया गया है।

55. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, वहां गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। घरेलू उद्योग ने उत्पादन शुरु होने की तारीख तथा वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की तारीख का अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर प्रकटन किया था और उसे प्राधिकारी ने स्वीकार किया। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार संबंधी संवेदशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया हे।

च. <u>विभिन्न अनुरोध</u>

च.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

56. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

i. आवेदक ने संशोधित जांच अवधि के लिए जानबूझकर बाजार जानकारी आंकड़ों को चुना है जबकि क्षति अवधि के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों को चुना है।

ii. यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा प्रयुक्त आंकड़ों के अनुसार यूएसए से आयात मात्रा में केवल मामूली गिरावट आई है। तथापि डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों द्वारा दर्शाई गई भारी गिरावट से को मात्रात्मक क्षति नहीं हुई है। इसके अलावा, रूस से आयात कमतर कीमत पर आवेदक द्वारा सूचित मात्रा से काफी कम रहे हैं जिससे आरएसईपीएल और एनकेएनएच के बीच मिलीभगत का पता चलता है। प्राधिकारी को डीजीसीआईएंडएस/डीजी सिस्टम से आयात आंकड़ों का सत्यापन करना चाहिए और नियम 14(घ) के अन्तर्गत यूएसए के विरुद्ध जांच को समाप्त करना चाहिए।

iii. विचार की गई जांच अवधि उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह निर्धारित करना काफी शीघ्रता है कि क्या उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा आई थी।

च.2. <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

57. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

i. डीजीसीआईएंडएस के प्रकाशित आंकड़ों में कुछ अंतर है। चूंकि यूएसए से समूचे आयात ऐक्सन ग्रुप के हैं, इसलिए प्राधिकारी उक्त निर्यातक द्वारा सूचित मात्रा से सत्यापन कर सकते हैं।

ii. बाजार जानकारी आंकड़ों पर विचार करने के कारण किसी हितबद्ध पक्षकार के हित के विरुद्ध कोई पक्षपात नहीं हुआ है क्योंकि प्राधिकारी डीजीसीआईएंडएस या डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा करेंगे।

iii. यह दलील कि यह निर्धारित करना काफी शीघ्रता है कि क्या उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा हुई थी, गलत है क्योंकि वास्तविक बाधा की जांच उत्पादन के शुरु हुए बिना भी की जा सकती है।

च.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

58. जांच अवधि के लिए गौण आंकड़ों के प्रयोग के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने बताया है कि डीजीसीआईएंडएस के प्रकाशित आंकड़ों में अंतर है जिनके कारण उन्होंने गौण आंकड़ों पर भरोसा किया है। जांच शुरुआत के समय, यद्यपि आवेदक ने अपने पास उपलब्ध आंकड़े प्रस्तुत किए थे, तथापि प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा किया था। आवेदक ने संबद्ध देशों तथा यूरोपीय संघ से आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए आवेदन दायर किया था। डीजी सिस्टम के आंकड़ों को पढ़ने पर प्राधिकारी ने पाया कि यूरोपीय संघ से आयात न्यूनतम सीमा से कम थे और तद्नुसार ऐसे आयातों के विरुद्ध जांच शुरु नहीं की गई। तथापि, चूंकि प्रत्येक अन्य संबद्ध देश जिनमें यूएसए शामिल है, से आयात कुल आयातों के 3% से अधिक थे, इसलिए प्राधिकारी ने ऐसे देशों के विरुद्ध वर्तमान जांच शुरु की। दिनांक 30 सितंबर, 2023 की जांच शुरुआत अधिसूचना के संगत उद्धरण नीचे दिए गए हैं।

"16. यह आवेदन यूरोपीय संघ, जापान, रूस, सिंगापुर, यूनाइटेड किंग्डम और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए दायर किया गया है। तथापि, प्राधिकारी को प्राप्त डीजी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार यूरोपीय संघ से आयातों की मात्रा समान उत्पाद के आयातों के 3% से कम है। तद्नुसार, वर्तमान पाटनरोधी जांच के लिए संबद्ध देश जापान, रूस, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम (जिन्हें "संबद्ध देश"कहा गया है) है। "

59. वर्तमान अंतिम जांच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा कर रहे हैं और आवेदक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर नहीं। इस प्रकार, किसी हितबद्ध पक्षकार के हितों के विरुद्ध कोई पक्षपात नहीं हुआ है।

60. इस अनुरोध के संबंध में कि विचार की गई जांच अवधि यह निर्धारित करने के लिए उपयुक्त नहीं है कि क्या घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा आई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग 2020-21 से संबद्ध वस्तु का उत्पादन कर रहा है। घरेलू उद्योग ने फरवरी, 2021 में उत्पादन शुरु किया और 31 मार्च, 2023 को वाणिज्यिक उत्पादन घोषित किया। इस प्रकार, वह 26 महीनों से प्रचालन कर रहा है। घरेलू उद्योग ने बताया है कि वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा में देरी भारत में विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण हुई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामला एक आरंभिक

उद्योग का है जो भारत में उत्पादन कर रहा है, परंतु अब तक पूर्णत: स्थापित नहीं हुआ है। इस प्रकार, वर्तमान जांच के लिए विचार की गई जांच अवधि उपयुक्त है।

छ. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन</u>

छ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

61. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. रूस को पैरा 8(2) के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। यूएसए और कनाडा ने पूर्व में रूस को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना है।

ii. सामान्य मूल्य का परिकलन उपयुक्त नहीं है क्योंकि वह आवेदक की उत्पादन लागत पर आधारित है जिसने अभी वाणिज्यिक उत्पादन शुरु किया है और उसकी लागत को लंबे समय से स्थापित उत्पादकों की लागत से तुलना नहीं की जा सकती है तथा विनिर्माण की प्रौद्योगिकी भिन्न हो सकती है। उसे निर्यात्क द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

iii. आवेदक की उत्पादन लागत पर आधारित सामान्य मूल्य तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आवेदक का उत्पादन कम है और उसे स्टार्ट-अप लागतें आई हैं और रूस के लिए सामान्य मूल्य ज्ञात करने के लिए कोई समायोजन नहीं किए गए हैं।

iv. निवल निर्यात कीमत एरलानसियो सिंगापुर पीटीई लिमिटेड द्वारा दायर उत्तर पर आधारित होनी चाहिए।

v. एनकेएनएच रूस में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। निर्यात कीमत की गणना के लिए माने गए समुद्री भाड़े और प्रयुक्त पत्तन स्पष्ट नहीं हैं। एनकेएनएच नोवोरोसिस्क पत्तन से नाहवा शेवा पत्तन को निर्यात करता है और ऐसे मामले में समुद्री भाड़ा कम है।

vi एनकेएनएच के लिए पहुंच कीमत और सामान्य मूल्य के आकलन के लिए प्राधिकारी दोनों बाजारों में मध्यवर्ती वस्तु के लिए प्रदत्त कीमत पर विचार कर सकते हैं, जैसा मेलामाइन के मामले में किया गया है।

vii. चूंकि पूर्ण उत्तर एनकेएनएच द्वारा दिया गया है, इसलिए उसके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर मार्जिन की गणना होनी चाहिए।

viii. जेबीसी निर्यात बाजार और घरेलू बाजार में ईएमजे तथा एनियोस के ज़रिए आपूर्ति करता है। घरेलू बाजार के मामले में, ईएमजे स्वतंत्र उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करता है जबकि भारत को निर्यातों के लिए ईएमजे ने सिंगापुर में असंबंधित व्यापारियों को बिक्री की है (जो एसजीए, वित्त और खरीद तथा बिक्री से संबंधित अन्य व्ययों का वहन करते हैं) जिन्होंने भारत में संबद्ध प्रयोक्ताओं को बिक्री की है। दोनों बाजारों में बिक्री के वाणिज्यिक स्तरों में अंतर सामान्य मूल्य और निर्यात की तुलना को प्रभावित करता है। व्यापारियों द्वारा सामान्यत: अर्जित मार्जिन को जेबीसी द्वारा निर्धारित सामान्य मूल्य से घटाया जाना चाहिए।

ix. चूंकि प्राधिकारी ने पहले ही आईआईआर से संबंधित पाटनरोधी जांच में व्यापार व्ययों के स्तर के समायोजन की अनुमति दी है, इसलिए वर्तमान जांच में भी उसी नीति का पालन किया जा सकता है।

छ.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

62. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. जापान और यूएसए के संबंध में, सामान्य मूल्य को देश में आयात कीमत के आधार पर परिकलित किया जा सकता है। यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर और रूस के लिए सामान्य मूल्य आयात की अधिक मात्रा के अभाव में उत्पादन लागत के आधार पर दिया गया है।

ii. ट्रेड मैप के आंकड़ों के अनुसार एफओबी मूल्य निर्यात कीमत का ऐसे मामले में एक बेहतर संकेतक होगा, जहां उत्पादक पाटन कर रहा है क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय भाड़ा लागतों द्वारा प्रभावित नहीं होगा और न ही किसी आगे व्यापार प्रचालन से प्रभावित होगा।

iii. संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक भी है।

iv. व्यापार के स्तर के लिए समायोजन हेतु अनुरोध में कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि केवल बिक्री कार्यकलाप नियंत्रण या वितरण का चैनल दावे को उचित नहीं ठहराता है। अन्य हितबद्ध पक्षकार प्रत्येक बिक्री एजेंट द्वारा किए गए विभिन्न बिक्री कार्यकलापों को सूचीबद्ध करने में विफल रहे हैं। यह दर्शाना अनिवार्य है कि ऐसे कार्यकलापों की तीव्रता दोनों बाजारों में काफी अलग थी ताकि समायोजन के दावे को उचित ठहराया जा सके।

v. दोनों बाजारों में विपणन कार्यकलाप केवल अलग नहीं होने चाहिए बल्कि यह जांच करने की जरूरत है कि क्या वे दोनों बाजार में काफी अलग अलग हैं।

vi इस संबंध में यूएसडीओसी की प्रक्रिया समर्थक दस्तावेज़ों के साथ प्रत्येक बिक्री कार्यकलाप के लिए निष्पादित गतिविधियों को सूचीबद्ध करना है। व्यापार के विभिन्न स्तरों पर हुए व्यय में भारी अंतर को साबित करने का दायित्व निर्यातक का है। पीटीवाई के आयातों की पाटनरोधी जांच में यूएसडीओसी ने व्यापार के स्तर के लिए समायोजन को स्वीकार नहीं किया था, यद्यपि आरआईएल घरेलू बाजार में बिक्री कर रहा था और निर्यात बाजार अलग चैनल का प्रयोग कर रहे थे और घरेलू बाजार में सेवाएं दे रहे थे।

vii. बिक्री, ऐक्सन ग्रुप की भारतीय विपणन कंपनी के सामान्य और प्रशासनिक व्यय को समायोजित करने की जरूरत है क्योंकि वह भारत में सेवा कंपनी के रूप में कार्य करता है।

viii. यह दावा कि रूस को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मानना चाहिए, तथ्यों के बिना है। प्राधिकारी आईआईआर के आयातों की पाटनरोधी जांच में जारी किए गए जांच परिणाम में रूस को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था नहीं मानते हैं।

ix. आवेदक ने जांच शुरुआत के समय उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित की थी।

x. जेबीसी के मामले में वितरण चैनल में कोई अंतर नहीं है। जेबीसी ने घरेलू बाजार में असंबद्ध व्यापारी को बिक्री की है जिसमें असंबंधित उपभोक्ताओं को बिक्री की है। भारत को निर्यात के मामले में जेबीसी ने उन्हीं असंबद्ध व्यापारियों को बिक्री की है जिन्होंने सिंगापुर में भारतीय आयातकों के संबंधित पक्षकारों को बिक्री की

है। चूंकि सिंगापुर में व्यापारी भारतीय आयातकों से संबंधित हैं इसलिए उन्हें एक आर्थिक कंपनी माना जाना चाहिए।

xi. जेबीसी द्वारा प्रस्तुत अनुरोध के विपरीत चूंकि सिंगापुर में कंपनियां संबद्ध कंपनियों को बिक्री कर रही हैं इसलिए ऐसी कोई बिक्री लागत शामिल नहीं है, ऐसी कंपनियों ने आयातकों के लिए खरीद कंपनी के रूप में कार्य किया है। प्राधिकारी सिंगापुर में व्यापारियों द्वारा उनके संबंधित पक्षकारों को बिक्री में आए विपणन खर्चों का साक्ष्य देने का निर्देश जेबीसी को दे सकते हैं जिन्हें अन्यथा भारतीय कंपनी को सीधे बिक्री किए जाने पर जेबीसी द्वारा वहन किया गया होता।

xii. आईआईआर के निष्कर्षों पर व्यापार के स्तर के समायोजन के दावे पर भरोसा करने की अनुमति देना गलत है क्योंकि उसे मामला-वार आधार पर और कानूनी तथा वास्तविक स्थिति के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है।

xiii. विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर की अलग मार्जिन देने से पहले पूर्णता, सत्यता और पर्याप्तता के लिए जांच की जानी चाहिए।

xiv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, प्राधिकारी के लिए वितरण के चैनल में सभी पक्षकारों द्वारा उत्तर के अभाव में अलग मार्जिन निर्धारित करना संभव नहीं है क्योंकि प्राधिकारी भारत को निर्यात की ऐसी अंतिम कीमत निर्धारित करने में सक्षम नहीं होंगे जिस पर आयातों ने घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा की है। इसके अलावा, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि क्या व्यापारिक कंपनियों ने भारत को निर्यात के लिए लाभ या घाटे पर संबद्ध वस्तु की पुन: बिक्री की

छ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

63. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i)व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii)जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की

बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

(ख) बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

क. एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कंपनी ("ईएमपीएससी")

ख. एक्सॉनमोबिल केमिकल लिमिटेड ("ईएमसीएल"), यूके

ग. एक्सॉनमोबिल जापान गोडो कैशा ("ईएमजे"), जापान

घ. एमआरएफ एसजी पीटीई लिमिटेड

ड. एरलानक्सियो सिंगापुर पीटीई लिमिटेड

च. जेटीसी कॉरपोरेशन ("जेटीसी")

छ. एनियोस मैटेरियल्स कॉरपोरेशन ("ईएमसी")

ज. जापान ब्यूटाइल कंपनी लिमिटेड ("जेबीसी")

झ. पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी निज़नेकमस्कनेफ्टेखिम ("एनकेएनएच")

ञ. पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी सिबुर होल्डिंग

ट. सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच

65. एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कंपनी (ईएमपीएससी), एक्सॉनमोबिल केमिकल लिमिटेड (ईएमसीएल) और जापान ब्यूटाइल कंपनी लिमिटेड (जेबीसी) ने घरेलू बाजार और भारत को निर्यात में की गई बिक्रियों में व्यापार के स्तर में अंतर के लिए समायोजनों का दावा किया है। उत्पादकों ने दावा किया है कि यद्यपि घरेलू बाजार में बिक्रियां अंतिम प्रयोक्ता को की गई हैं, तथापि भारत को किए गए कुछ निर्यात असंबंधित निर्यातक को किए गए हैं जो बाद में भारत में प्रयोक्ताओं को संबद्ध वस्तु की बिक्री करता है। चूंकि असंबंधित निर्यातक भी उपभोक्ता को पुन: बिक्री पर लाभ मार्जिन अर्जित करेगा, इसलिए पूर्वोक्त उत्पादक ने दावा किया है कि सामान्य मूल्य में व्यापार के स्तर में अंतर के लिए असंबंधित निर्यातक द्वारा अर्जित लाभ मार्जिन के आधार पर समायोजन किया जाना चाहिए।

66. घरेलू उद्योग ने इस तथ्य के आधार पर ऐसे समायोजन पर प्रश्न उठाया है कि किए गए विपणन कार्यकलापों में भारी अंतर को समायोजन से पहले व्यापार के स्तर में अंतर के लिए दर्शाया जा सकता है।

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ईएमपीएससी, ईएमसीएल और जेबीसी ने एमआरएफ सिंगापुर और आपोलो सिंगापुर को की गई बिक्रियों के आधार पर व्यापार के स्तर में अंतर का दावा किया है। तथापि, इस पर विचार करने के लिए कि ऐसे निर्यातकों को बिक्रियां, ऐसी बिक्रियों पर प्रश्न उठाएंगी जिन्हें भारत में प्रयोक्ताओं को सीधे बिक्रियों के जाए विभिन्न स्तरों पर व्यापार किया जा रहा है, यह अनुचित होगा। एमआरएफ सिंगापुर द्वारा प्रस्तुत उत्तर यह दर्शाता है कि उसने केवल अपनी संबंधित कंपनी एमआरएफ लिमिटेड को संबद्ध वस्तु की पुन: बिक्री की है। एमआरएफ सिंगापुर और एमआरएफ लिमिटेड अनिवार्य रूप से एक आर्थिक कंपनी है, ऐसे मामले में ईएमपीएससी, ईएमसीएल और जेबीसी ने स्वयं प्रयोक्ता समूह को संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल बिलिंग एमआरएफ सिंगापुर के नाम से की गई है परंतु उक्त व्यापारी को कोई डिलीवरी नहीं की गई है। संबद्ध वस्तु को भारत में अंतिम उपभोक्ता को सीधे डिलीवर किया गया है। चूंकि अपोलो सिंगापुर ने प्राधिकारी के समक्ष उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए प्राधिकारी इसके संबंध में किए गए दावे को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। इसके मद्देनजर, प्राधिकारी व्यापार के स्तर में भिन्नता के कारण समायोजन की अनुमति देना उचित नहीं समझते हैं।

68. प्राधिकारी ने उत्पादकों को एक पत्र जारी किया, जिन्होंने 8 सितंबर, 2024 को सिंगापुर में व्यापारियों द्वारा निष्पादित विपणन कार्य, समायोजन की गणना की पद्धति, समायोजन की योग्यता राशि के लिए विदेशी उत्पादकों द्वारा विचार किया गया लाभ मार्जिन संबंधी सूचना मांगते हुए व्यापार समायोजन के स्तर का दावा किया है और सिंगापुर में असंबंधित व्यापारियों द्वारा उत्तर के अभाव में विशेष रूप से इसके आधार की मांग की है। प्राधिकारी को इस संबंध में 14 सितंबर, 2024 को एक उत्तर प्राप्त हुआ था। विदेशी उत्पादकों ने यह बताया है कि व्यापार के उस स्तर में अंतर है, जिस पर संबद्ध वस्तु को घरेलू बाजार और निर्यात बाजार में बेचा गया है। आगे यह भी बताया गया है कि व्यापार के स्तर का समायोजन आवश्यक है क्योंकि घरेलू बाजार में स्वतंत्र उपभोक्ताओं को पहली बिक्री व्यापारियों के लिए भारत को निर्यात के मामले में अंतिम प्रयोक्ताओं को की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत, दोनों को वर्तमान मामले में समान स्तर पर निर्धारित किया गया है। चूंकि सिंगापुर में व्यापारी भारत में प्रयोक्ताओं से संबंधित हैं, इसलिए ऐसे व्यापारियों द्वारा खरीद एकल आर्थिक कंपनी की अवधारणा के कारण भारत में प्रयोक्ताओं द्वारा वास्तविक खरीद है। इस प्रकार, दोनों बाजारों में बिक्री अंतिम प्रयोक्ताओं को की गई है और व्यापार के स्तर के समायोजन की कोई जरूरत नहीं है।

69. इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विदेशी उत्पादक यह सिद्ध करने में विफल रहे हैं कि उनकी असंबंधित कंपनियों को बिक्रियों के लिए असंबंधित व्यापारियों द्वारा निष्पादित कुछ विपणन कार्य हैं, जिन्हें बाजार में विदेशी उत्पादकों द्वारा निष्पादित किया गया है। ये अभिज्ञात कार्य नियमित रूप से उत्पाद के प्रयोक्ताओं द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा, कोई विपणन कार्य, भंडारण, मालसूची रखरखाव या ऐसा कोई अन्य कार्य जिसमें भारी लागत शामिल हो, अभिज्ञात नहीं किया गया है।

70. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दलील दी है कि रूस को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे कानूनी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया है जिसके अन्तर्गत रूस को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश माना जाना चाहिए और न ही साक्ष्य सहित यह सिद्ध किया है कि संबद्ध वस्तु के बाजार में रूस में प्रचालन लागत या कीमत संरचना के बाजार सिद्धांतों के अनुसार नहीं है। यद्यपि यह आरोप है कि यूएसए और कनाडा ने रूस को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश माना है, परंतु उक्त प्राधिकारियों ने विचाराधी उत्पाद के संबंध में ऐसा नहीं माना

है। रिकॉर्ड में साक्ष्य के अभाव में रूस को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था नहीं माना जा सकता है।

71. तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निज़नेकमस्कनेफ्तेखिम (एनकेएनएच) ने भारत को निर्यात के लिए सिबुर होल्डिंग्स और सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच को *** मी. टन सामग्री की बिक्री की सूचना दी है। दोनों कंपनियों ने वर्तमान जांच में जवाब दाखिल किया है। सिबुर होल्डिंग्स ने सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच को *** मी. टन की बिक्री की सूचना दी है। सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच ने भारत को निर्यात के लिए सुप्रीम सन एफजेडई को *** मी.ट., ट्रिगॉन गल्फ एफजेडसीओ को *** मी.ट., और ट्रिगॉन इंटरनेशनल एस (पीटीई) लिमिटेड को *** मी.ट., की बिक्री की सूचना दी है। तथापि, इनमें से किसी भी व्यापारी ने प्राधिकारी के समक्ष सहयोग नहीं किया है।

72. प्राधिकारी ने भारत को निर्यात में शामिल व्यापारियों की गैर-भागीदारी और वर्तमान जांच में एनकेएनएच के लिए अलग शुल्क के दावे के आधार, वितरण के विभिन्न चैनल, भारत को कुल निर्यात और उक्त उत्पादक द्वारा दावा किए गए समायोजन के संबंध में सूचना मांगते हुए 8 सितंबर, 2024 को एनकेएनएच को एक पत्र जारी किया। इस उत्पादक ने पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 10 कार्य दिवसों अर्थात 27 सितंबर, 2024 तक समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। तथापि, निर्धारित तारीख के बाद भी उत्पादक ने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए।

73. इस प्रकार, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि उत्पादक और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ बिल्कुल अधूरा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां भारत को निर्यातों के संबंध में पूरी सूचना रिकॉर्ड में नहीं है और जब संबंधित निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है तो प्राधिकारी संबंधित उत्पादक के लिए निर्यात कीमत और पहुंच कीमत का बिल्कुल सही निर्धारण करने की स्थिति में नहीं होते हैं। प्राधिकारी की यह सुस्थापित प्रक्रिया है कि प्राधिकारी निर्यात कीमत और पहुंच कीमत केवल तभी निर्धारित करते हैं जब संबंधित उत्पादक और निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर दिया हो। चूंकि मूल्य श्रृंखला पूरी नहीं है, इसलिए प्राधिकारी उत्पादक के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने में असमर्थ हैं। तद्नुसार, प्राधिकारी ने एनकेएनएच के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया है। तद्नुसार, पाटन मार्जिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धरित किया गया है। यह भी नोट किया

गया है कि रूस से केवल एक ज्ञात उत्पादक है और इसलिए भारत में आयातों की पूरी मात्रा एनकेएनएच द्वारा उत्पादित वस्तु का निर्यात है।

74. इस तर्क के संबंध में कि सामान्य मूल्य आवेदक की उत्पादन लागत पर आधारित नहीं होना चाहिए क्योंकि यह बढ़ाई गई हो सकती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी सहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य उनके अपने उत्तर पर आधारित है। असहयोगी उत्पादकों के लिए प्राधिकारी ने उपलबध तथ्यों पर भरोसा किया है। इस संबंध में पाटनरोधी करार में स्पष्ट है कि *"यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सहयोग नहीं करता है और इस प्रकार संगत जानकारी प्राधिकारी से छुपाई जाती है तो ऐसी स्थिति से यह परिणाम हो सकता है जो पक्षकार के लिए उस राशि से कम अनुकूल हो जो पक्षकार द्वारा सहयोग करने पर बनी होती"*। अत:, प्राधिकारी ने इस संबंध में उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा करने को उचित ठहराया है। फिर भी, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनाथ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत को ईष्टतम बनाया है।

छ.3.1 <u>सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

<u>जापान के लिए सामान्य मूल्य</u>

<u>जापान ब्यूटाइल कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य</u>

75. जापान ब्यूटाइल कंपनी लिमिटेड (जेबीसी) ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की *** मी.ट. बिक्री की है, जबकि इसने भारत को संबद्ध वस्तुओं का *** मी.ट. निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है। जेबीसी ने घरेलू बाजार में केवल संबंधित पक्षों अर्थात एक्सॉनमोबिल जापान (ईएमजे) और इनोस मैटेरियल कॉर्पोरेशन (इनोस) को ही माल बेचा है। इनोस ने संबद्ध वस्तुओं को असंबंधित ग्राहकों, दो संबंधित व्यापारियों, इनोस मैटेरियल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (ईएमटी) और गोको ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (गोको) को स्वतंत्र ग्राहकों को पुन: बिक्री के लिए और एक संबंधित उपयोगकर्ता, इलास्टोमिक्स कंपनी लिमिटेड (ईएमआईएक्स) को बेचा है। सभी संबंधित व्यापारियों की बिक्री और कीमतों से संबंधित जानकारी रिकॉर्ड में प्रस्तुत की गई है। तद्नुसार प्राधिकारी ने स्वतंत्र उपभोक्ता को पुन: बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। ईएमआईएक्स को बिक्रियों के लिए प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या बिक्री निकटवर्ती आधार पर की गई थी। चूंकि ऐसी बिक्रियों की कीमत असंबद्ध उपभोक्ताओं की कीमत

से कम है, इसलिए प्राधिकारी ने ऐसी बिक्रियों को व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं माना है।

76. सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने पीसीएन-वार आधार पर संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदे निर्धारित करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रकिया का परीक्षण किया है, जहां एक पीसीएन के लिए 80% से कम बिक्रियां लाभ पर हुई है, वहां सामान्य मूल्य को लाभप्रद बिक्रियों की बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। जेबीसी और उसके संबंधित व्यापारी ने अंतरदेशीय भाड़े और ऋण लागत के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों की प्राधिकारी ने अनुमति दी है। लाभ पर बिक्रियों की नगण्य मात्रा वाले पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य उत्पादन लागत तथा बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए उपयुक्त योग के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, जेबीसी के लिए कारखानाद्वार स्तर पर सामान्य मूल्य परिकलित किया गया है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

<u>जापान में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य</u>

77. जापान के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

<u>जापान के लिए निर्यात कीमत</u>

<u>जापान ब्यूटाइल कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत</u>

78. जेबीसी ने निम्नलिखित तीन चैनलों के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं का [***] मी.ट. निर्यात किया है।

जेबीसी → ईएमजे (संबंधित)→ ईएमएपीपीएल (संबंधित) → एमआरएफ सिंगापुर (असंबंधित)→ भारत में ग्राहक

जेबीसी → ईएमजे (संबंधित)→ ईएमएपीपीएल (संबंधित) → असंबंधित ग्राहक भारत

बीसी → एनियोस (संबंधित)→ जेटीसी कॉरपोरेशन (जेटीसी) (संबंधित)→ जेएमएफ परफॉरमेंस मैटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड (जेएमएफ) (भारत में संबंधित आयातक)

एमआरएफ सिंगापुर को बिक्रियों के मामले में, प्राधिकारी ने जांच और पुष्टि की है कि ऐसे निर्यातकों ने लाभ पर विचाराधीन उत्पाद की पुन: बिक्री की है।

79. तद्नुसार निर्यात कीमत को संबंधित निर्यातक द्वारा असंबंधित निर्यातक या भारत में आयातक, जैसा भी मामला हो, को प्रभारित बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित की है। अंतरदेशीय परिवहन, समुद्री भाड़ा, बीमा, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, निधि अंतरण प्रभार, कन्वैसिंग शुल्क, भंडारण और अन्य संबंधित लागतें और ऋण लागत के लिए कारखानाद्वार कीमत ज्ञात करने हेतु समायोजन किए गए हैं। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में उल्लिखित है।

<u>जापान में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत</u>

80. जापान के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>सिंगापुर के लिए सामान्य मूल्य</u>

<u>अरलैनक्सियो सिंगापुर प्रा.लि. (अरलैनक्सियो) के लिए सामान्य मूल्य</u>

81. अरलैनक्सियो सिंगापुर प्रा.लि. (अरलैनक्सियो) सिंगापुर में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है और उसने घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री नहीं की है। घरेलू बिक्रियों के अभाव में, प्राधिकारी ने उत्पादक की उत्पादन लागत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आधार के रूप में विचार किया है।

82. तद्नुसार, सामान्य मूल्य, उत्पादन लागत तथा बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए तर्कसंगत योग के आधार पर निर्धारित किया गया है। अरलैनक्सियो के लिए कारखानाद्वार स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

<u>एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड (ईएमएपीपीएल) के लिए सामान्य मूल्य</u>

83. एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड (ईएमएपीपीएल) सिंगापुर में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है और उसने घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री नहीं की

है। घरेलू बिक्रियों के अभाव में, प्राधिकारी ने उत्पादक की उत्पादन लागत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आधार के रूप में विचार किया है।

84. तद्नुसार, सामान्य मूल्य, उत्पादन लागत तथा बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए तर्कसंगत योग के आधार पर निर्धारित किया गया है। ईएमएपीपीएल के लिए कारखानाद्वार स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

<u>सिंगापुर में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य</u>

85. सिंगापुर के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

<u>सिंगापुर के लिए निर्यात कीमत</u>

<u>अरलैनक्सियो सिंगापुर प्रा.लि. (अरलैनक्सियो) के लिए निर्यात कीमत</u>

86. अरलैनक्सियो ने निम्नलिखित तीन चैनलों के माध्यम से भारत को [***] मी.ट. संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।

अरलैनक्सियो → भारत में असंबद्ध ग्राहक
अरलैनक्सियो → एमआरएफ सिंगापुर → भारत में ग्राहक
अरलैनक्सियो → अपोलो सिंगापुर → भारत में ग्राहक

87. एमआरएफ सिंगापुर को बिक्रियों के मामले में, प्राधिकारी ने जांच और पुष्टि की है कि ऐसे निर्यातकों ने लाभ पर विचाराधीन उत्पाद की पुन: बिक्री की है। तथापि, अपोलो, सिंगापुर ने प्राधिकारी से सहयोग नहीं किया है।

88. अरलैनक्सियो द्वारा असंबंधित उपभोक्ता को प्रभारित कीमत के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। कारखानाद्वार कीमत ज्ञात करने लिए ऋण नोट, नौवहन लागत, भंडारण लागत, पैकिंग लागत, कमीशन, बैंक प्रभार और ऋण लागत के लिए समायोजन किए गए हैं। तथापि, असहयोगी निर्यातकों के जरिए निर्यातित मात्रा के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में उल्लिखित है।

<u>एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड (ईएमएपीपीएल) के लिए निर्यात कीमत</u>

89. ईएमएपीपीएल ने निम्नलिखित तीन चैनलों के माध्यम से भारत को [***] मी.ट. संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।

ईएमएपीपीएल → भारत में असंबद्ध ग्राहक
ईएमएपीपीएल → एमआरएफ सिंगापुर → भारत में ग्राहक
ईएमएपीपीएल → अपोलो सिंगापुर → भारत में ग्राहक

90. एमआरएफ सिंगापुर को बिक्रियों के मामले में, प्राधिकारी ने जांच और पुष्टि की है कि ऐसे निर्यातकों ने लाभ पर विचाराधीन उत्पाद की पुन: बिक्री की है। तथापि, अपोलो, सिंगापुर ने प्राधिकारी से सहयोग नहीं किया है।

91. ईएमएपीपीएल द्वारा भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं या असंबंधित निर्यातक को प्रभारित कीमत के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। कारखानाद्वार कीमत ज्ञात करने लिए अंतरदेशीय भाड़ा, अंतर्राष्ट्रीय भाड़े, बीमा, कनवासिंग शुल्क, भंडारण और अन्य संबंधित लागत तथा ऋण लागत के लिए समायोजन किए गए हैं। तथापि, असहयोगी निर्यातकों के जरिए निर्यातित मात्रा के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में उल्लिखित है।

<u>सिंगापुर में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य</u>

92. सिंगापुर के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

रूस के लिए सामान्य मूल्य

93. रूस के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

रूस के लिए निर्यात कीमत

94. रूस के सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

यूनाइटेड किंगडम के लिए सामान्य मूल्य

एक्सॉनमोबिल केमिकल लिमिटेड (ईएमसीएल) के लिए सामान्य मूल्य

95. एक्सॉनमोबिल केमिकल लिमिटेड (ईएमसीएल) ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में ***मी.ट. संबद्ध वस्तु की बिक्री की है जबकि भारत को ***मी.ट. संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू बिक्रियां भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्रा में हैं। ईएमसीएल ने घरेलू बाजार में एकमात्र संबंधित पक्षकार अर्थात एक्सॉनमोबिल पैट्रोलियम एंड केमिकल (ईएमपीसी) को वस्तुओं की बिक्री की है। ईएमपीसी ने घरेलू बाजार में असंबंधित उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु की आगे पुन: बिक्री की है। तद्नुसार, प्राधिकारी ने स्वतंत्र उपभोक्ता को पुन: बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

96. सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने पीसीएन-वार आधाार पर संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदे निर्धारित करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रकिया का परीक्षण किया है, जहां एक पीसीएन के लिए 80% से कम बिक्रियां लाभ पर हुई है, वहां सामान्य मूल्य को लाभप्रद बिक्रियों की बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। ईएमसीएल और उसके संबंधित व्यापारी ने अंतरदेशीय भाड़े, कमीशन, भंडारण प्रभार और ऋण लागत के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों की प्राधिकारी ने अनुमति दी है। लाभ पर बिक्रियों की नगण्य मात्रा वाले पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य उत्पादन लागत तथा बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए उपयुक्त योग के आधार पर

निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, ईएमसीएल के लिए कारखानाद्वार स्तर पर सामान्य मूल्य परिकलित किया गया है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

<u>यू.के. में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य</u>

97. यूके के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

<u>यूनाइटेड किंगडम के लिए निर्यात कीमत</u>

<u>एक्सॉनमोबिल केमिकल लिमिटेड (ईएमसीएल) के लिए निर्यात कीमत</u>

98. ईएमसीएल ने निम्नलिखित पांच चैनलों के माध्यम से भारत को 4,206 मी.ट. संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।

ईएमसीएल → ईएमसीएल (संबंधित) → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

ईएमसीएल → ईएमपीसी (संबंधित) → ईएमसीएल (संबंधित) → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

ईएमसीएल → ईएमएपीपीएल (संबंधित) → अपोलो सिंगापुर (संबंधित) → भारत में उपभोक्ता

ईएमसीएल → ईएमपीसी (संबंधित) → ईएमएपीपीएल (संबंधित) → अपोलो सिंगापुर (असंबंधित) → भारत में उपभोक्ता

ईएमसीएल → ईएमएपीपीएल (संबंधित) → एमआरएफ सिंगापुर (असंबंधित) → भारत में उपभोक्ता

99. एमआरएफ सिंगापुर को बिक्रियों के मामले में, प्राधिकारी ने जांच और पुष्टि की है कि ऐसे निर्यातकों ने लाभ पर विचाराधीन उत्पाद की पुन: बिक्री की है। तथापि, अपोलो, सिंगापुर ने प्राधिकारी से सहयोग नहीं किया है।

100. तद्नुसार निर्यात कीमत को संबंधित निर्यातक, ईएमएपीपीएल द्वारा पहले असंबंधित उपभोक्ता (असंबंधित उपभोक्ता या भारत में आयातक, जैसा भी मामला हो) को प्रभारित बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित की है। अंतरदेशीय परिवहन, समुद्री भाड़ा, बीमा, कनवेसिंग शुल्क, भंडारण लागत और अन्य संबंधित लागत और ऋण लागत के लिए कारखानाद्वार कीमत ज्ञात करने हेतु समायोजन किए गए हैं। तथापि, असहयोगी

निर्यातकों के जरिए, निर्यातित मात्रा के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में उल्लिखित है।

<u>यू.के. में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत</u>

101. यूके के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सामान्य मूल्य</u>

<u>एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कंपनी, यूएसए (ईएमपीएससी) के लिए सामान्य मूल्य</u>

102. एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कंपनी, यूएसए (ईएमपीएससी) ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में ***मी.ट. संबद्ध वस्तु की बिक्री की है जबकि भारत को ***मी.ट. संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। घरेलू बाजार में सभी बिक्रियां असंबद्ध उपभोक्तओं को की गई है।

103. सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने पीसीएन-वार आधाार पर संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदे निर्धारित करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रकिया का परीक्षण किया है, जहां एक पीसीएन के लिए 80% से कम बिक्रियां लाभ पर हुई है, वहां सामान्य मूल्य को औसत बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। जांच अवधि के दौरान नहीं उत्पादित पीसीएन के लिए निकटम तुलनीय पीसीएन की लागत पर विचार किया गया है। ईएमपीएससी ने अंतर्देशीय भाड़े और ऋण लागत के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने दावा किए गए समायोजनों की अनुमति दी है। लाभ पर बिक्रियों की नगण्य मात्रा वाले पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य उत्पादन लागत तथा बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए उपयुक्त योग के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, ईएमपीएससी के लिए कारखानाद्वार स्तर पर सामान्य मूल्य परिकलित किया गया है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

<u>संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य</u>

104. यूएसए के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

<u>संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए निर्यात कीमत</u>

<u>एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कंपनी, यूएसए (ईएमपीएससी) के लिए निर्यात कीमत</u>

105. ईएमपीएससी ने निम्नलिखित तीन चैनलों के माध्यम से भारत को ***मी.ट. का निर्यात किया है।

ईएमपीएससी → ईएमएपीपीएल (संबंधित) → भारत में असंबंधित उपभोक्ता
ईएमपीएससी → ईएमएपीपीएल (संबंधित) → अपोलो सिंगापुर (असंबंधित) → भारत में उपभोक्ता
ईएमपीएससी → ईएमएपीपीएल (संबंधित) → एमआरएफ सिंगापुर (असंबंधित) → भारत में उपभोक्ता

106. एमआरएफ सिंगापुर को बिक्रियों के मामले में, प्राधिकारी ने जांच और पुष्टि की है कि ऐसे निर्यातकों ने लाभ पर विचाराधीन उत्पाद की पुन: बिक्री की है। तथापि, अपोलो, सिंगापुर ने प्राधिकारी से सहयोग नहीं किया है।

107. तद्नुसार निर्यात कीमत को संबंधित निर्यातक, ईएमएपीपीएल द्वारा पहले असंबंधित उपभोक्ता (असंबंधित उपभोक्ता या भारत में आयातक, जैसा भी मामला हो) को प्रभारित बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित की है। अंतरदेशीय परिवहन, समुद्री भाड़ा, बीमा, कनवेसिंग शुल्क, भंडारण लागत और अन्य संबंधित लागत और ऋण लागत के लिए कारखानाद्वार कीमत ज्ञात करने हेतु समायोजन किए गए हैं। तथापि, असहयोगी निर्यातकों जरिए, निर्यातित मात्रा के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में उल्लिखित है।

<u>संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत</u>

108. यूएसए के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.3.2 <u>पाटन मार्जिन</u>

वर्तमान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:

<u>पाटन मार्जिन तालिका</u>

उत्पादक	**सामान्य मूल्य (अम.डा.)**	**निर्यात कीमत (अम.डा.)**	**पाटन मार्जिन (अम.डा.)**	**पाटन मार्जिन (%)**	**पाटन मार्जिन (रेंज)**
जापान					
जापान ब्यूटाइल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30%
कोई अन्य	***	***	***	***	35-45%
रूस					
कोई	***	***	***	***	60-70%
सिंगापुर					
अर्लानक्सियो सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड	***	***	***	***	20-30%
एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड	***	***	***	***	30-40%
कोई	***	***	***	***	50-60%
यूनाइटेड किंगडम					

एक्सॉनमोबिल केमिकल लिमिटेड	***	***	***	***	0-10%
कोई	***	***	***	***	20-30%
संयुक्त राज्य अमेरिका					
एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कंपनी	***	***	***	***	5-15%
कोई	***	***	***	***	25-35%

ज. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन</u>

ज.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

109. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. क्षति का दावा व्यवहार्य नहीं है क्योंकि जांच अवधि के दौरान आवेदक के पास वाणिज्यिक उत्पादन नहीं था और इसलिए उसने आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की। चूंकि आवेदक के पास अपने उत्पाद के लिए उपभोक्ता का अनुमोदन नहीं था इसलिए वाणिज्यिक मात्राओं में आपूर्ति की कोई संभावना नहीं है।

ii. क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा अभिज्ञात कारक वास्तविक मंदी के बजाए वास्तविक क्षति से अधिक संबंधित हैं।

iii. आरएसईपीएल को पहले ही जांच अवधि के दौरान स्थापित किया गया था क्योंकि उसने वाणिज्यिक मात्राओं में उत्पादित और बेचे गए संसाधनों की काफी वचनबद्धता की थी और जांच अवधि से पहले 26% बाजार हिस्सा प्राप्त किया, इस प्रकार उसे आरंभिक उद्योग नहीं माना जा सकता है।

iv. सीआईआईआर, आईआईआर का एक स्थानापन्न है क्योंकि इसका प्रयोग समान प्रयोजन के लिए होता है और सीआईआईआर का उत्पादन आईआईआर के उत्पादन का विस्तार है जो पहले ही सिद्ध हो चुका है। एचआईआईआर का उत्पादन केवल एक वृद्धिशील प्रक्रिया है क्योंकि मूल्यवर्धन केवल 4-5% है और पूंजी निवेश कुल परियोजना लागत का 15-20% से अधिक नहीं है।

v. कीमत मूल्यवर्धन की निर्धारक नहीं है क्योंकि कीमत उत्पाद की मांग, लाभ मार्जिन और ग्रेडों की उपलब्धता जैसे अनेक कारकों के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। आईआईआर और एचआईआईआर की पहुंच कीमत के बीच अंतर 26% है।

vi मोरक्को - हॉट रोल्ड स्टील (तुर्किए) में पैनल ने माना था कि किसी नए उत्पाद को शुरु करने का आवश्यक परिणाम नए उद्योग का सृजन नहीं होता है। आरएसईपीएल, आईआईआर की मौजूदा अवसरंचना, बिक्री और विपणन चैनलों पर अपनी एचआईआईआर बिक्रियों के लिए भरोसा करता है और आईआईआर के स्थान पर उत्पादन का विनिर्माण करता है जो एक प्रमुख लागत है। इस प्रकार, इन दोनों के बीच समग्र अवसंरचना के प्रयोग में काफी अतिव्यापन है।

vii. क्षति अवधि उस अवधि तक सीमित होनी चाहिए जिसके दौरान घरेलू उद्योग ने उत्पादन किया था।

viii. आवेदक लगातार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में निवेध; इसलिए उसने भारतीय बाजार में सकारात्मक रुझान की परिकल्पना की होगी।

ix. पूर्व प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकारी को तिमाही-वार आधार पर रुझानों की जांच करनी चाहिए। इसके अलावा चूंकि जांच अवधि के आंकड़े केवल ट्रायल रन के आंकड़ों पर आधारित थे, इसलिए बाद की अवधि के आंकड़ों की भी जांच करनी चाहिए।

x. आवेदक की पूंजी संरचना अब तक स्थिर नहीं है जो अस्थिर ब्याज लागत से सिद्ध होता है, फिर भी आवेदक की प्रति इकाई ब्याज लागत में गिरावट आई।

xi. यद्यपि आवेदक के लाभ और हानि विवरण में किसी ब्याज लागत की सूचना नहीं दी गई है फिर भी आवेदन में इसकी जानकारी दी गई है। प्राधिकारी आवेदक को यह स्पष्ट करने का निर्देश दे सकते हैं।

xii. ट्रायल रन के आंकड़े प्रायोगिक और अनंतिम हैं और इसलिए वास्तविक क्षति के आकलन के लिए विश्वसनीय बैंचमार्क नहीं हैं।

xiii. रूस से आयातों को अलग अलग करना चाहिए क्योंकि वे याचिकाकर्ता और सिबुर के बीच संबंध के कारण, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे और रूस में लागत में गड़बड़ी तथा रूस से आयातों की मात्रा और कीमत के कारण प्रतिस्पर्धा की विभिन्न स्थितियों के अन्तर्गत किए गए थे।

xiv. यह दावा कि रूस के आयातों में गिरावट रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण आई है, निराधार है क्योंकि भारत ने रूस से आयातों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। बल्कि रूस के साथ व्यापार आरआईएल द्वारा कच्चे तेल के आयातों सहित हाल के वर्षों में बढ़ा है।

xv. आवेदक और रूसी कंपनी के बीच मिलीभगत के निर्धारण के लिए रूसी आयातों की मात्रा और कीमत का विश्लेषण करने की जरूरत है। केवल इसलिए कि इस मुद्दे का दूसरी जांच में समाधान हो गया था। वर्तमान जांच में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच नहीं करने का आधार नहीं बन सकता है।

xvi. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण के लिए परियोजना रिपोर्ट के साथ तुलना उपयुक्त नहीं है क्योंकि परियेाजना रिपोर्ट जांच अवधि से काफी पहले बनाई गई थी और उसमें बाजार स्थितियों में बदलाव, परियोजना रिपोर्ट बनाने के बाद और कोविड 19 के बाद विश्व भर में स्थापित क्षमताओं पर विचार नहीं किया गया है। इसके अलावा, परियोजना रिपोर्ट अविश्वसनीय है क्योंकि सिबुर के पास परियोजना रिपोर्ट बनाने के समय पर एचआईआईआर बनाने की प्रौद्योगिकी भी नहीं थी।

xvii. परियोजना रिपोर्ट के तीसरे वर्ष के साथ तुलना त्रुटिपूर्ण है क्योंकि जांच अवधि वास्तव में आवेदक के प्रचालनों का दूसरा वर्ष है।

xviii. वर्तमान कीमतों पर आवेदक के संभावित निष्पादन की जांच नहीं की जा सकती है क्योंकि ऐसे विश्लेषण का कोई कानूनी आधार नहीं है।

xix. ऐसी संभावना है कि कम कीमत पर बिक्री भी नकारात्मक हो।

xx. क्षति अवधि 2019-20 से शुरु नहीं हो सकती है क्योंकि इस अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का कोई उत्पादन नहीं हुआ था और इसलिए आयातों के कारण आवेदक को कोई क्षति नहीं हो सकती है। 2019-20 को आयात मात्राओं में वृद्धि और आयात कीमतों में गिरावट को दर्शाने के लिए जानबूझकर जोड़ा गया है। तथापि, आयातों में ऐसी वृद्धि और क्षति अवधि के दौरान कीमतों में गिरावट केवल भारत में मांग में वृद्धि और कोविड-19 के कारण बाजार में व्यवधान के कारण हुई थी।

xxi. प्राधिकारी ने 2019-20 में आईआईआर उत्पादन के साथ 7 महीनों के बावजूद 2019-20 को आधार वर्ष नहीं माना है। प्राधिकारी को 2020-21 को आधार वर्ष नहीं मानना चाहिए क्योंकि उस वर्ष में केवल दो महीने का ट्रायल उत्पादन हुआ है।

xxii. मांग में वृद्धि के साथ भारत में घरेलू उत्पादन नहीं होने के कारण शुरुआत में आयातों में वृद्धि हुई और उसके बाद मामूली वृद्धि हुई जबकि आवदेक की घरेलू बिक्रियों में भारी वृद्धि हुई थी।

xxiii. कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि 2020-21 की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध आयातों में गिरावट आई है और कीमत में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, मांग और आरएसईपीएल की घरेलू बिक्रियों में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

xxiv. कोई कीमत क्षति नहीं हुई है क्योंकि कीमत कटौती नकारात्मक है और आवेदक की बिक्री कीमत तथा लाभप्रदता में वृद्धि हुई है जिससे कीमत ह्रास/न्यूनीकरण नहीं होने का पता चलता है।

xxv. उपभोक्ता-वार कीमत कटौती का आकलन करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। चूंकि कानूनी मानक भारी कीमत कटौती का है, इसलिए केवल औसत कीमत कटौती पर विचार करना चाहिए और न कि अलग-थलग सौदों पर।

xxvi. कीमत कटौती भारी बाजार हिस्से को प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा कीमत अनुकूलन के कारण नकारात्मक रही है।

xxvii. आरलनसियो ने उपभोक्ताओं को कोई बिक्री बीजक पश्चात छूट नहीं दी है।

xxviii. संबद्ध आयातों तथा गैर-संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत बाजार की शक्तियों के अनुसार रही है। कोई कीमत ह्रास या न्यूनीकरण नहीं हुआ है क्योंकि आवेदक की बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है जबकि बिक्री लागत में गिरावट आई। आवेदक की बिक्री कीमत में पहुंच कीमत की वृद्धि से अधिक वृद्धि हुई है।

xxix. कीमत ह्रास, यदि कोई हो, तो केवल आवेदक की रूस में संबंधित कंपनी की कम कीमत के कारण हुआ है। चूंकि आवेदक ने रूस से आयातों का स्थान लिया है इसलिए उसे कमतर कीमत की पेशकश करनी पड़ी थी।

xxx. वास्तविक मंदी के मूल्यांकन के लिए क्षमता उस उत्पादक तक सीमित होनी चाहिए जो जांच अवधि के दौरान संगत और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो। अत: ब्रोमोबुटाइल उत्पादन के लिए लक्षित क्षमता को बाहर रखना चाहिए जबकि क्लोरोबुटाइल की क्षमता को वृद्धिशील रूप से जोड़ना चाहिए क्योंकि अनुमोदन प्राप्त हुए थे।

xxxi. आवेदक द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा में देरी आईआईआर और एचआईआईआर संयंत्र के एकीकरण में देरी के कारण हुई थी, जैसा कि 2021 में आवेदक की क्रेडिट रेटिंग के विश्लेषण वाली प्रैस विज्ञप्ति से स्पष्ट है।

xxxii. कोई मात्रात्मक क्षति नहीं हुई है क्योंकि आवेदक के उत्पादन, बिक्री और बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। आवेदक की क्षमता, क्षमता उपयोग और कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

xxxiii. आरएसईपीएल ने अपनी क्षमता अधिक बताई है क्योंकि वह पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 2021-22 में 10,000 मी.ट. से बढ़कर 60,000 मी.ट. हो गई है। क्षमता में वृद्धि 2021-22 के शुरु में होनी चाहिए और इसलिए, क्षमता के साथ समायोजित क्षमता उपयोग अधिक होगा।

xxxiv. यह दलील कि आवेदक को घाटे में निर्यात करना पड़ा था, सही नहीं है क्योंकि निर्यात कीमत भरत में पहुंच कीमत से काफी कम है। यह भारत में और निर्यात बाजार में आवेदक के कीमत अनुकूलन को दर्शाता है। निर्यातों की उच्च मात्रा ट्रायल रन से मालसूची की उच्च मात्रा और विनिर्देशन से अलग उत्पाद के उत्पादन के कारण हो सकती है, जैसा कि आवेदक के वित्तीय विवरणों के अनुसार स्टॉक की स्थिति से स्पष्ट है।

xxxv. रिलायंस की कीमत रणनीति की जांच होनी चाहिए और कम बिक्री कीमत के लिए आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। आवेदक ने माना है कि घरेलू उद्योग ने उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने के लिए आरंभिक ऑर्डर के लिए कम कीमत की पेशकश की थी क्योंकि जांच अवधि में उत्पाद अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए आवेदक कम कीमतों की पेशकश कर रहा था।

xxxvi. प्राधिकारी कच्ची सामग्री की खरीद के संबंध में आरआईएल और आवेदक के बीच करार का सत्यापन कर सकते हैं और यह जांच कर सकते हैं कि क्या उसे दूरवर्ती आधार पर किया गया था।

xxxvii. घरेलू उद्योग को क्षति और संबद्ध आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। प्राधिकारी ने पूर्व में कारणात्मक संबंध के अभाव के कारण अनेक जांचों को समाप्त किया है।

xxxviii. चूंकि आवेदक वाणिज्यिक मात्रा में और उपभोक्ताओं द्वारा अपेक्षित गुणवत्ता में सभी ग्रेडों की आपूर्ति नहीं करता है, इसलिए उनके आयात से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है।

xxxix. आवेदक एक एटीएमए सदस्य के बीच ईमेल पत्रों से यह पता चलता है कि उत्पाद को जून, 2024 तक एक सदस्य द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था जबकि दूसरे सदस्य ने 2023 में उत्पाद को अस्वीकार कर दिया। एक अन्य प्रयोक्ता ने जून 2023 में अनुरोध करने के बावजूद उत्पाद को प्राप्त नहीं किया है।

xl. प्राधिकारी उच्च स्टार्ट-अप लागत, प्रौद्योगिकी अंतरण शुल्क, एकीकरण की समस्याएं, कोविड-19 और वैश्विक गतिशील बाजार स्थिति जैसे क्षति पहुंचाने वाले अन्य कारकों का आकलन कर सकते हैं।

xli. उत्पादन स्थापित करने की लागत और आवश्यक उत्पाद गुणवत्ता की प्राप्ति में कठिनाई के लिए आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। प्राधिकारी ने नॉन-वोवन फैब्रिक के आयातों की जांच में माना था कि घरेलू उद्योग को आरंभिक घाटे स्टार्ट-अप प्रचालनों से जुड़ी समस्याओं के कारण हुए थे।

xlii. आवेदक की वृद्धि में मंदी वैश्विक अति-आपूर्ति के कारण हुई है जो भारत और चीन में क्षमताओं में वृद्धि का परिणाम है, जिसके कारण सभी प्रमुख उत्पादकों की क्षमता उपयोग में पिछले चार वर्षों में गिरावट आई हे।

xliii. क्षति कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि की वजह से भी हो सकती है। 2014 और 2022 के बीच, कच्ची सामग्रियों आइसोबुटाइलीन और आइसोप्रीन की कीमतों में भी अस्थिरता रही है।

xliv. आरएसईपीएल को स्व-कारित क्षति हुई है क्योंकि उसने सभी ग्रेडों के लिए केवल एक उत्पादन लाइन स्थापित की है और वह विभिन्न ग्रेडों का एक साथ उत्पादन करने में सक्षम नहीं है और इस उत्पाद में 2-3 वर्षों का ट्रायल लगता है और उपभोक्ता के अनुमोदन की जरूरत होती है। विनिर्देश से अलग सामग्री का अधिक उत्पादन भी घरेलू उद्योग को क्षति का कारण हो सकता है।

xlv. आवेदक के आरंभिक घाटे उच्च स्टार्ट-अप लागतों के कारण हुए थे जो आवेदक के वित्तीय विवरणों से स्पष्ट है जहां वित्त और मूल्यह्रास लागत काफी अधिक थी।

xlvi. चूंकि सिबुर के पास एचआईआईआर के उत्पादन की प्रौद्योगिकी नहीं है, इसलिए ऐसी प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण के बाद भारत इस उत्पाद के लिए परीक्षण स्थान बन गया। इसके कारण भी याचिकाकर्ता एचआईआईआर के सभी ग्रेडों के उत्पादन में असमर्थ रहा।

xlvii. घरेलू उद्योग को क्षति यूके से आयातों के कारण नहीं हुई है क्योंकि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयातों में भारी गिरावट आई है।

xlviii. क्षति रहित कीमत, आरआईआर से संबंधित लागत, गैर-आवर्ती लागत, स्टार्ट-अप लागत, आरएंडडी व्यय, लाइसेंस शुल्क और संयंत्र के एकीकरण की लागत के निर्धारण पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उच्च मूल्यह्रास और ब्याज लागत को सामान्य बनाना चाहिए जबकि संबंधित पक्षकारों के बीच अंतरण कीमत सत्यापित की जानी चाहिए।

xlix. घरेलू उद्योग के तिमाही निष्पादन के आधार पर कच्ची सामग्री, सुविधाओं और उत्पादन को ईष्टम बनाने की जरूरत है, जैसा डीसीसी और पीयू से संबंधित जांचों में किया गया है।

l. यदि प्राधिकारी को वास्तविक बाधा का मामला मिलता है तो उत्पादन की उच्च लागत को सामान्य बनाना चाहिए ताकि आंतरिक अक्षमताओं को हटाया जा सके और एसबीआर के आयातों संबंधी जांच में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार संभावित क्षति को हटाया जा सके।

li. घरेलू उद्योग की लागतों को क्षति रहित कीमत की गणना के लिए स्टार्ट-अप से संबंधित खर्चों पर विचार करते हुए, समायोजित करना चाहिए। पोलीयूरेथीन लैदर के मामले में, घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत को स्टार्ट-अप कारकों की वजह से 20-30% तक ईष्टम बनाया गया था और डीसीसी के मामले में भी यही किया गया था।

lii. नियोजित पूंजी पर 22% की आय एचआईआईआर उद्योग के लिए काफी अधिक है। इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और मैसर्स ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफैक्चरिंग बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामलों में सेस्टेट ने माना था कि आय को उद्योग विशिष्ट और ऐतिहासिक आय के अनुसार होना चाहिए। 22% की आय 4,400-4,500 डॉलर प्रति मी.ट. की क्षति रहित कीमत प्रदान करेगी जो किसी भी बाजार में कीमत नहीं है और प्राधिकारी को भागीदार उत्पादकों द्वारा अर्जित वास्तविक आय का सत्यापन करना चाहिए।

ज.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

110. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. आरएसईपीएल एक आरंभिक उद्योग है क्योंकि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के अंतिम दिन घरेलू उत्पादन शुरु किया है, उत्पाद तथा संयंत्र भारत में नया है, आवेदक का उत्पादन और क्षमता उपयोग कम है और अनुमानित स्तर से नीचे है, वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा में काफी समय लगा और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा मामूली है।

ii. आवेदक भारत में एचआईआईआर का उत्पादन शुरु करने वाला पहला उत्पादक है। एचआईआईआर के उत्पादन की प्रौद्योगिकी मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं थी और आवेदक को भारत में उक्त प्रौद्योगिकी को लाने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

iii. भारत में एचआईआईआर का उत्पादन स्थापित करने के लिए आवेदक ने काफी निवेश किया है। यद्यपि आईआईआर का प्रति इकाई निवेश [***] **रु**. प्रति मी.ट. है परंतु एचआईआईआर में निवेश [***] **रु**. प्रति मी.ट. है।

iv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत आईआईआर और एचआईआईआर के बीच अवसंरचना में अति व्यापन का अभाव है क्योंकि दोनों संयंत्र स्वतंत्र हैं, अलग अलग समय पर शुरु हुए, अलग अलग प्रौद्योगिकी में चलते और ज्ञान के अनुसार हैं और इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं होता है। एचआईआईआर और आईआईआर की विभिन्न उत्पादकों से अलग अलग प्रौद्योगिकी, कीमतें, एचएस कोड हैं और उनमें भिन्न भिन्न तकनीकी जनशक्ति की जरूरत होती है और 60% का मूल्यवर्धन शामिल है।

v. अन्य हितबद्ध पक्षकार आईआईआर और एचआईआईआर की पाटित कीमतों में तुलना कर रहे हैं। प्राधिकारी से दोनों उत्पादों के बीच मूल्यवर्धन का

आकलन करने के लिए दोनों जांच में निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना करने का अनुरोध किया जाता है।

vi अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध तथ्य के बिना हैं क्योंकि प्राधिकारी कारोबार के आधार पर ब्याज लागत आबंटित करते हैं। कारोबार में वृद्धि के साथ बिक्री मात्रा में वृद्धि हुई है और इसलिए प्रति इकाई ब्याज लागत में गिरावट आई है।

vii. आवेदक ने 31 मार्च, 2023 को वाणिज्यिक उत्पादन घोषित किया है परंतु 2021-22 से वाणिज्यिक मात्राओं का उत्पादन और बिक्री शुरु की थी। वाणिज्यिक मात्राओं में उत्पादन के लिए उत्पाद की स्थिरता अपेक्षित होती है जबकि घोषणा अनेक अन्य कारकों पर निर्भर करती है। वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा में देरी भारत में पाटन के कारण हुई थी।

viii. संबद्ध आयातों के पाटन से भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा आई है क्योंकि घरेलू उद्योग अपना लक्षित निष्पादन प्राप्त करने में असमर्थ है।

ix. आवेदक को भारत में पाटन के कारण अनेक बार अपना संयंत्र बंद करने को बाध्य होना पड़ा।

x. क्योंकि रूसी आयात अन्य संबद्ध देशों से आयात और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, इसलिए उनका एकीकरण जरूरी है। गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में रूस की स्थिति असंगत है क्योंकि इससे केवल सामान्य मूल्य प्रभावित होता है और संचयी आकलन नहीं। रूस से आयात कीमत भी अलग अलग दर्शाने की जरूरत तो नहीं बताती है क्योंकि प्रत्येक संबद्ध देश के लिए पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और कीमत कटौती अलग-अलग निर्धारित की गई है।

xi. रूस से आयातों में यूएस द्वारा दूसरे प्रतिबंधों के डर और रूसी सामग्री के प्रयोग से निर्मित किसी उत्पाद के आयातों पर ईयू द्वारा प्रतिबंधों की आशंका के कारण गिरावट आई है।

xii. आवेदक को भारत में पाटन के कारण अपनी परियोजना रिपोर्ट को संशोधित करना पड़ा। तथापि, वह परियोजना से अलग नहीं हो सकता क्योंकि भारी निवेश हो गया था और वित्तीय वचनबद्धताओं से बाहर नहीं निकला जा सकता था। परियोजना के आरंभ के समय घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भारी गिरावट आई।

xiii. अनेक जांचों में आवेदक के पास संयंत्र की स्थापना से पहले संबद्ध वस्तु के विनिर्माण की प्रौद्योगिकी नहीं थी, इससे परियोजना रिपोर्ट अनावश्यक नहीं हो जाती है।

xiv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार दूसरे वर्ष के प्रचालनों के साथ तुलना की गई है।

xv. ब्याज लागत वित्तीय विवरणों में नहीं बताई गई है क्योंकि जांच अवधि के दौरान संयंत्र का पूंजीकरण नहीं हुआ था।

xvi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत प्राधिकारी की प्रक्रिया वास्तविक बाधा के मामलों में भी 4 वर्ष की अवधि के आयात आंकड़ों के विश्लेषण की रही है।

xvii. प्राधिकारी जांच अवधि में घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन के साथ अनुमोदित निष्पादन का विश्लेषण कर सकते हैं। आईआईआर जांच में भी प्राधिकारी ने 4 वर्षों के आयातों का विश्लेषण किया और यह माना था कि आधार वर्ष में घरेलू उद्योग के केवल कुछ मापदंड विश्वसनीय नहीं थे।

xviii. कानून प्राधिकारी को कीमत कटौती के आकलन के लिए हुई तर्कसंगत पद्धति अपनाने से नहीं रोकता है और प्राधिकारी उपभोक्ता-वार कीमत कटौती का आकलन कर सकते हैं।

xix. पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की अनुमानित बिक्री कीमत से कम है जिसके कारण आवेदक को कम कीमत पर बिक्री करनी पड़ी है।

xx. विदेशी उत्पादक [150-300] अम.डा. प्रति मी.ट. मूल्य की बिक्री पश्चात बीजक छूट प्रदान कर रहे हैं । उपभोक्ता निवल कीमत के आधार पर कीमत

वार्ताएं करते हैं जिसके कारण घरेलू उद्योग को अपनी कीमत घटानी पड़ी। प्राधिकारी विस्तृत भौतिक सत्यापन कर सकते हैं और वास्तव में प्राप्त राशि पर निर्यात कीमत के निर्धारण में विचार किया जाना चाहिए।

xxi. कीमत कटौती विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित बीजक पश्चात बिक्री छूटों और उच्चतर कीमतों पर संबंधित पक्षकारों से संबद्ध वस्तु की खरीद के कारण ऋणात्मक हैं। संबद्ध व्यापारी द्वारा किए गए खर्चों को उन खर्चों से वास्तविक रूप से अलग नहीं माना जा सकता है जो सीधे आयातों के मामलों में हुए होते।

xxii. कानून में यह उल्लेख नहीं है कि केवल औसत कीमत पर कीमत कटौती के लिए विचार किया जाना चाहिए। यदि ऐसी व्याख्या ली जाए तो पीसीएन वार कीमत कटौती का भी मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ब्राजील से मेलिएबल कास्ट आयरन ट्यूब या पाइप फिटिंग पर पाटनरोधी शुल्क के मामले में ईसी ने पैनल ने माना था कि प्रत्येक सौदे के आधार पर केवल एक मार्जिन या कटौती निर्धारित करना अपेक्षित नहीं है। कीमत कटौती की राशि अनेक कटौती सौदों और कटौती की सीमा पर निर्भर करती है। औसत मार्जिन की गणना घरेलू उद्योग पर कटौती के प्रभाव के आकलन के लिए सबसे प्रभावी तरीका नहीं हो सकता है।

xxiii. घरेलू उद्योग को भारत में आयातों के कारण कीमतें घटानी पड़ी हैं। उपभोक्ताओं ने निवल आयात कीमत अर्थात् बिक्री पश्चात बीजक छूट के समायोजन के बाद कीमत की बराबरी करने के लिए आवेदक को मजबूर किया है।

xxiv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत कीमत ह्रास या न्यूनीकरण संबद्ध देशों से आयातों के कारण हुआ है और न केवल रूस से आयातों के कारण। अन्य संबद्ध देशों से आयातों की कीमत रूस से आयातों की कीमत से कम है।

xxv. यद्यपि बिक्री की वास्तविक लागत बिक्री की अनुमानित लागत से 2% कम है तथापि, बिक्री कीमत घरेलू उद्योग की अनुमानित बिक्री लागत से 43%

कम है। इस प्रकार, संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास किया है।

xxvi. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जांच अवधि में कम रहा है, यद्यपि वह भारत में एकमात्र उत्पादक है।

xxvii. घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री अनुमानित उत्पादन और बिक्री से काफी कम है।

xxviii. घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि भारत में घरेलू उत्पादन की शुरुआत का स्वाभाविक परिणाम है। लाभप्रदता में समझौते के बावजूद घरेलू उद्योग अनुमानित बिक्री का स्तर प्राप्त करने में असमर्थ है।

xxix. कमतर कीमत पर घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात अतिरिक्त उत्पादन को निपटाने की घरेलू उद्योग की मजबूरी को दर्शाता है।

xxx. आयातों पर निर्भरता अनावश्यक है क्योंकि घरेलू उद्योग के पास [***] बाजार हिस्से को पूरा करने की क्षमता है। तथापि, लाभप्रदता से समझौते के बाद भी आवेदक का बाजार हिस्सा मामूली है और अनुमानित बाजार हिस्से से काफी कम है।

xxxi. आवेदक की लाभप्रदता अनुमानित लाभप्रदता से काफी कम है क्योंकि पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण उसे कम कीमत पर बिक्री के लिए बाध्य होना पड़ा।

xxxii. यदि मूल्यह्रास लागत पर विचार किया जाए तो घरेलू उद्योग को वास्तव में अनुमानित लाभों की तुलना में जांच अवधि में घाटा हुआ है।

xxxiii. यद्यपि आवेदक ने प्रचालन के दूसरे वर्ष में [***]% की निवेश पर आय का अनुमान लगाया था जबकि उसे केवल [***]% आय अर्जित हुई है। यदि मूल्यह्रास लागत को जोड़ा जाए तो आवेदक को निवेश पर नकारात्मक आय हुई है।

xxxiv. 22% की आय के लिए घरेलू उद्योग को [***] रु. प्रति मी.ट. का ब्याज और कर पूर्व लाभ अर्जित करने की जरूरत है, तथापि उसने केवल [***] रु. प्रति मी.ट. का लाभ अर्जित किया है।

xxxv.अन्य हितबद्ध पक्षकारों की इस दलील के विपरीत घरेलू उद्योग ने बीआईआईआर का विनिर्माण किया है और उसकी कोई क्षमता नहीं थी जो संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध हो।

xxxvi. आवेदक की कम बिक्री कीमत का कारण कम कीमत के आयातों की मौजूदगी है और यह उत्पाद के गैर-अनुमोदन के कारण नहीं हुआ है। आवेदक ने अनेक प्रयोक्ताओं को वाणिज्यिक मात्राओं की बिक्री की है और इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद अनुमोदित नहीं हुआ है।

xxxvii.भारत में संबद्ध आयातों के पाटन के कारण वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा में उत्पादन शुरु होने की तारीख से 26 महीनों का समय लगा।

xxxviii.घरेलू उद्योग को क्षति एकीकरण की समस्याओं के कारण नहीं हुई है क्योंकि आईआईआर और एचआईआईआर पृथक संयंत्र हैं। इसके अलावा, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बाजार स्थिति पर ध्यान नहीं दिलाया है, इसकी वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

xxxix. अन्य हितबद्ध पक्षकार स्टार्ट-अप लागतों के कारण आवेदक को होने वाली किसी समस्या को दर्शाने में विफल रहे हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता को खराब नही माना जा सकता है कयोंकि उसे अनेक उपभोक्ताओं से काफी अधिक और दोबारा ऑर्डर प्राप्त हुए हैं।

xl. जैसा प्रयोक्ताओं ने मौखिक सुनवाई के दौरान बताया है, उत्पाद का कोई औपचारिक अनुमोदन नहीं हुआ है। उत्पाद का अनुमोदन उक्त प्रयोक्ताओं द्वारा दुबारा ऑर्डर देने से स्पष्ट है।

xli. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के विपरीत, भारत में कोई अधिक क्षमता नहीं है और आवेदक एकमात्र उत्पादक है। वैश्विक अधिक क्षमताओं को भारत में पाटन का उचित कारण नहीं माना जा सकता है।

xlii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग की अनुमानित बिक्री लागत वास्तविक बिक्री लागत से अधिक है। इस प्रकार, यदि कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण कच्ची सामग्री की लागत बढ़ती भी है तो घरेलू उद्योग की बिक्री लागत कम रही है।

xliii. एक उत्पादन लाइन की स्थापना के कारण क्षति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत आवेदक ने एकल उत्पादन लाइन के लिए परियोजना रिपोर्ट बनाई थी और वह अपना लक्षित उत्पादन प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। यदि घरेलू उद्योग ग्रेडों का एक साथ उत्पादन करने में असमर्थ है तो आवेदक को उसके द्वारा उत्पादित ग्रेडों के लिए क्षति हुई है।

xliv. आवेदक की परियोजना रिपोर्ट में पहले ही विनिर्देशन से अलग उत्पादन पर ध्यान दिया गया है।

xlv. क्षति रहित कीमत अनुबंध-III के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जा सकती है। प्राधिकारी ने प्रत्येक मामले की आवश्यकता के आधार पर तिमाही या वर्षवार विश्लेषण के अनुसार कच्ची सामग्रियों और सुविधाओं का सर्वोत्तम उपयोग निर्धारित किया है। वर्तमान मामले में खपत मानक स्थिर रहेंगे। पीयू लैदर में भी प्राधिकारी ने केवल तिमाही आधार पर क्षमता उपयोग को ईष्टम बनाया था। क्योंकि आवेदक ने ईष्टतम स्तर पर क्षति रहित कीमत का दावा किया है, इसलिए ईष्टतम क्षमता उपयोग पर विचार करने से क्षति रहित कीमत में वृद्धि हो जाएगी।

xlvi. आवेदक ने पहले ही ईष्टतम क्षमता उपयोग पर उत्पादन लागत प्रस्तुत की है। इसलिए, आगे ईष्टतम बनाने की कोई जरूरत नहीं है।

xlvii. आवेदक ने 22% से अधिक आय का अनुमान लगाया था क्योंकि वह भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। अधिकरण ने यह संगत विचार अपनाया है कि जब तक हितबद्ध पक्षकार अलग आय पर विचार करने की जरूरत न दर्शाएं तो 22% की आय की अनुमति दी जानी चाहिए।

xlviii.अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह ध्यान नहीं दिलाया कि कैसे अभिज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग की लागत या निष्पादन को परियोजना रिपोर्ट अविश्वसनीय

बनाने के लिए प्रभावित किया है। सामान्य व्यापार की स्थिति में यदि लागत में वृद्धि होती है तो उसके परिणामस्वरूप कीमतों में वृद्धि होनी चाहिए।

xlix. कोविड-19 परियेाजना रिपोर्ट को अविश्वसनीय नहीं बनाता है क्योंकि इसका उस पर कोई दीर्घावधिक प्रभाव नहीं पड़ा था। आवेदक ने पहले ही अपनी परियोजना रिपोर्ट को संशोधित किया है और वास्तविक निष्पादन संशोधित निष्पादन से भी खराब है।

l. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, प्राधिकारी निर्णायक समीक्षाओं में घरेलू उद्योग के संभावित निष्पादन की नियमित रूप से जांच करते हैं। कानून के अन्तर्गत दी गई क्षति मापदंडों की सूची पूर्ण नहीं है और प्राधिकारी अन्य संगत मापदंडों की भी जांच कर सकते हैं।

ज.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

111. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में, *"... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव शामिल हैं..."। सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए"* घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने में, यह जांच करना आवश्यक माना जाता है कि क्या भारत वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का काफी मात्रा में ह्रास किया है अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन आदि की मात्रा और मार्जिन आदि पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

112. आरआईएल और आरएसईपीएल के बीच करार के संबंध में, प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग के लिए यह सुनिश्चित करने के पश्चात आंकड़ों को स्वीकार किया गया है कि सभी संबंधित पार्टी सौदों को आर्म्स लैंथ कीमतों पर किया गया है।

113. इन अनुरोधों के संबंध में कि क्षति का दावा मान्य नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक उत्पादन नहीं किया और इस प्रकार यह संबद्ध आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा था, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के अंतिम दिन ही वाणिज्यक उत्पादन की घोषणा की थी। तथापि, जब घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा नहीं की थी, फिर भी यह वाणिज्यिक मात्राओं में उत्पादन और बिक्री कर रहा था। किसी भी स्थिति में, प्रतिस्पर्धा घरेलू उद्योग की बिक्रियों द्वारा स्थापित की गई है न कि उत्पादन द्वारा। इसलिए, हालांकि घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा नहीं की थी, यह वाणिज्यिक मात्राओं में बिक्री कर रहा था और इसलिए यह भारत में संबद्ध आयातों के पाटन के कारण क्षति का सामना कर रहा है।

114. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रतितर्कों की जांच की है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि वर्तमान आवेदन उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण अवरोध के संबंध में है। अतः, विस्तृत क्षति जांच को अपनाने से पूर्व, प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग इस सीमा तक एक स्थापित उद्योग था कि यह महत्वपूर्ण क्षति के रूप में क्षति के मूल्यांकन की अनुमति देता है अथवा घरेलू उद्योग स्थापना की प्रक्रिया में एक भ्रूणीय या नवजात उद्योग था और इसका महत्वपूर्ण मंदी के रूप में क्षति के आकलन को अनुमति देने के लिए पर्याप्त विगत इतिहास नहीं है।

ज.3.1 <u>उद्योग की स्थापना के प्रति महत्वपूर्ण मंदी</u>

115. डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी नियमावली अथवा पाटनरोधी करार "महत्वपूर्ण अवरोध" के लिए एक परिभाषा उपलब्ध नहीं कराता। डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3 के फुटनोट 9 केवल इस प्रकार बताता है:-

> *"इस समझौते के अंतर्गत, शब्द "क्षति" जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किए जाए, का अर्थ घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति, किसी घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति के खतरे अथवा ऐसे उद्योग की स्थापना के प्रति महत्वपूर्ण अवरोध से है और इसकी इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार व्याख्या की जाएगी। "*

116. इसी प्रकार, नियमावली का अनुबंध में II केवल "महत्वपूर्ण क्षति", "महत्वपूर्ण क्षति की धमकी" और "महत्वपूर्ण अवरोध" को क्षति की व्याख्या के तहत एकत्र किया गया है। किसी उद्योग की स्थापना के लिए किसी क्षति की स्थापना में महत्वपूर्ण विलंब क्या होता है, इसके बारे में कोई और स्पष्टीकरण नहीं है।

117. तथापि, यह स्पष्ट है कि किसी उद्योग में "महत्वपूर्ण मंदी" किसी स्थापित/अस्थापित उद्योग के संदर्भ में होगा न कि ऐसे उद्योग के बारे में जो पूरी तरह से स्थापित है। शब्द "स्थापित हो रहे" उद्योग को डब्ल्यूटीओ करार, अधिनियम अथवा नियमावली में परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, पाटनरोधी समझौते में संशोधन के लिए डब्ल्यूटीओ में एक प्रस्ताव किया गया है जो किसी उद्योग की महत्वपूर्ण मंदी और स्थापना के अर्थों के प्रति कुछ स्पष्टता उपलब्ध कराता है। प्रारूप प्रस्ताव के संगत सारांश को यहां नीचे उपलब्ध कराया गया है। हालांकि, उक्त प्रावधान को अभी तक समझौते में शामिल नहीं किया गया है, प्राधिकारी ने वर्तमान निर्धारण के लिए इस पर भी विचार किया है:-

> *"3.9. किसी घरेलू उद्योग की स्थापना की महत्वपूर्ण मंदी का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा न कि सिर्फ आरोप, अनुमान या दूरस्थ संभावनाओं पर आधारित होगा। किसी उद्योग को स्थापना के अधीन माना जा सकता है जहां आरोप, अनुमान लगाते हैं कि जहां किसी ऐसे उत्पाद के घरेलू उत्पादन के लिए संसाधनों की वास्तविक और पर्याप्त प्रतिबद्धता की गई है जो पहले आयातक सदस्य के क्षेत्र में उत्पादित नहीं हुआ था लेकिन उत्पादन अभी तक शुरु नहीं हुआ है या अभी तक वाणिज्यिक मात्रा में प्राप्त नहीं किया गया है। यह निर्धारण करते हुए कि क्या कोई उद्योग स्थापना के अधीन है और उस उद्योग की स्थापना पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने में प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ स्थापित क्षमता, किए गए निवेशों और प्राप्त की गई वित्तीय सहायता और व्यवहार्यता अध्ययनों, निवेश योजनाओं अथवा बाजार अध्ययनों से संबंधित साक्ष्यों को ध्यान में रख सकते हैं।"*

118. मोरक्को में - टर्की से विशिष्ट हॉट-रोल्ड स्टील पर पाटनरोधी उपायों के संबंध में, डब्ल्यूटीओ पैनल ने यह निर्धारित करने के संबंध में कुछ मार्गदर्शन निर्धारित किए हैं कि क्या किसी उद्योग की स्थापना की जा चुकी है। पैनल ने अवलोकन किया है कि

अनुच्छेद 3.1 यह निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट कार्य पद्धति निर्धारित नहीं करता कि क्या कोई उद्योग स्थापित है। तद्नुसार, जांचकर्ता को किसी उचित कार्य पद्धति का प्रयोग करने की अनुमति है जो अनुमानों और धारणाओं पर आधारित है। तथापि, यह अनुमान तथ्यों पर सकारात्मक साक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए।

119. पैनल ने यह भी अवलोकन किया कि जांचकर्ता प्राधिकारी को यह निर्णय करने में विवेकाधिकार प्राप्त है कि यह निर्धारित करने के लिए कौन से पैरामीटर संगत हैं कि क्या कोई नया उद्योग स्थापित किया गया है। पैनल द्वारा संगत समझे गए पैरामीटरों में से एक यह था कि क्या उत्पादन किसी विद्यमान कंपनी की किसी नई "उत्पाद श्रृंखला" को स्थापित करता है, यदि कोई वर्तमान उद्योग/कंपनी सिर्फ किसी नई उत्पादन श्रृंखला को स्थापित करता है, तो उसे एक "स्थापित हो रहा उद्योग" नहीं माना जाएगा। इस कारण की जांच करने के लिए, जांचकर्ता प्राधिकारी को उत्पादक के समग्र बुनियादी ढांचे के प्रयोग में अतिव्याप्ति की मात्रा की जांच करनी होगी(जिस में ग्राहक संपर्क, वितरण चैनल, वर्तमान उत्पादक, वाणिज्यिक, अनुसंधान और प्रशासनिक परिसंपतियां आदि शामिल हैं)। पैनल के अवलोकन का संगत भाग निम्नानुसार उपलब्ध कराया गया है।

> *"7.2.11. हमने प्रारंभ से, यह नोट किया है कि हमने यह निर्धारित करने के लिए इन कारकों पर अपना मत प्रकट नहीं किया है अथवा क्या वे यह निर्धारित करने के लिए निर्देशात्मक या निश्चित हैं कि घरेलू उद्योग अस्थापित है अथवा नहीं। हम स्वीकार करते हैं कि कोई संगत कारक यह हो सकता है कि घरेलू उद्योग बाजार में प्रश्नाधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। <u>साथ ही, हम नोट करते हैं कि जहां बाजार में उस उत्पाद का केवल एक उत्पादक हो सकता है, जहां उत्पाद विद्यमान उद्योग की सिर्फ एक नई उत्पाद श्रृंखला का गठन करता है और विद्यमान उत्पादन, विपणन और अन्य संचालन से लाभ उठाता है, ऐसे साझा संचालन यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि क्या कोई विशिष्ट नया उद्योग स्थापित किया गया है। यदि कोई विद्यमान उद्योग इस समय उत्पादित किए जा रहे किसी अन्य उत्पाद के विपरीत एक नये को आरंभ करने के लिए चुनता है तो उस नए उत्पाद को आरंभ किये जाने से जरूरी नहीं कि किसी नए उद्योग का निर्माण हो। इसे मौजूदा उद्योग में एक नई उत्पाद श्रृंखला की शुरुआत के रूप में माना जा सकता है जो इस बात</u>*

पर निर्भर करता है कि मौजूदा उद्योग का समग्र बुनियादी ढांचा किस हद तक शामिल है (जिस में उत्पाद, वाणिज्यिक, अनुसंधान और प्रशासनिक परिसंपत्तियां शामिल हैं)। समग्र आधार भूत संरचना के प्रयोग में अतिव्याप्ति की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, इस धारणा की संभावना उतनी ही कम होगी कि नए उत्पाद को आरंभ करना एक नए उद्योग की स्थापना को चिन्हित करता है। यह तथ्य कि किसी घरेलू उद्योग को समान उत्पाद के संदर्भ में पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद 4.1 द्वारा परिभाषित किया गया है और यह कि घरेलू बाजार में उस समान उत्पाद के कोई पूर्व-विद्यमान उत्पादक नहीं हैं, घरेलू बाजार में उस समान उत्पाद के उसके आरंभ किए जाने में विद्यमान आधारभूत संरचना जैसे ग्राहक संपर्क और संवितरण चैनल्स का उपयोग करने के उस घरेलू उद्योग की संभावना को समाप्त नहीं करता।"

120. तद्नुसार, प्राधिकारी ने यह निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं की जांच की है कि क्या मामला महत्वपूर्ण मंदी की अनिवार्यताओं को पूरा करता है।

क. क्या घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के लिए एक 'नए' उद्योग का गठन करता है अथवा क्या विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन केवल घरेलू उद्योग के विद्यमान स्थापित प्रचालन का विस्तार मात्र है। क्या प्राधिकारी ने कंपनी की विद्यमान उत्पादन श्रृंखला और नए उत्पाद के बीच अति-व्याप्ति की मात्रा की जांच की है?

ख. घरेलू उद्योग ने अपना उत्पादन कब आरंभ किया?

ग. ऐसे प्रचालनों की तुलना में घरेलू उद्योग के प्रचालन जो संयंत्र की स्थापना करते समय प्रक्षेपित किए गए थे। यदि घरेलू उद्योग प्रचालनों के प्रक्षेपित स्तरों को प्राप्त नहीं कर पाता है तो क्या यह देश में पाटित आयातों की उपस्थिति के कारण है या किसी अन्य कारण की वजह से है।

घ. चूंकि, घरेलू उद्योग ने वर्तमान क्षति अवधि में ही वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया है, तो क्या घरेलू उद्योग को किन्हीं तकनीकी कारणों से या ग्राहकों द्वारा उत्पाद को स्वीकार करने के कारण अथवा देश में किसी अन्य विनियामक जरूरतों के कारण उत्पाद का उत्पादन करने से रोका गया है।

ङ. क्या घरेलू उद्योग लाभप्रदता के एक उचित स्तर तक पहुंचा है? यदि नहीं तो क्या इसका कारण उत्पाद के पाटन से संबंधित है या कोई अन्य वाणिज्यिक या तकनीकी कारण हैं?

च. घरेलू उद्योग के वास्तविक और संभावित निष्पादन की तुलना। ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान उत्पादन आरंभ किया है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के संभावित निष्पादन का आकलन किया है।

121. ऊपर संदर्भित पैरामीटरों की नीचे विस्तार से जांच की गई है।

ज.3.2 <u>वर्तमान में घरेलू उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण बाधा</u>

122. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने महत्वपूर्ण निवेश करने के द्वारा संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए नई विनिर्माण सुविधा स्थापित की है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन को आरंभ करने से पूर्व, संबद्ध वस्तुओं की संपूर्ण मांग को भारत में आयातों द्वारा पूरा किया जा रहा था। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि एचआईआईआर का आरंभ केवल आईआईआर की उत्पादन श्रृंखला का विस्तार मात्र है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने एचआईआईआर के उत्पादन के लिए एक नया संयंत्र स्थापित किया है। संबद्ध वस्तुओं का उसी संयंत्र में विनिर्माण नहीं किया जा रहा है जो आईआईआर के लिए स्थापित है। घरेलू उद्योग ने एचआईआईआर के लिए एक संयंत्र की स्थापना में उल्लेखनीय निवेश किया है।

123. नीचे जांच किए गए कारकों के आधार पर, यह देखा गया है कि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग स्थापित नहीं है और उद्योग को हुई क्षति महत्वपूर्ण मंदी के स्वरूप में है।

क. क्या आवेदक एक "नया" उद्योग है अथवा यह सिर्फ एक पहले से स्थापित प्रचालन का एक विस्तार मात्र है?

124. जैसाकि यहां ऊपर उल्लेख किया गया है, डब्ल्यूटीओ पैनल ने अवलोकन किया है कि यदि उद्योग का उत्पादन एक वर्तमान उद्योग में एक नई उत्पाद श्रृंखला मात्र है, तो संभवत: यह महत्वपूर्ण मंदी का मामला नहीं है। तथापि, पैनल ने जोर दिया कि जो बात महत्वपूर्ण है वह ऐसी मात्रा है जिसका विचाराधीन उत्पाद के लिए वर्तमान आधारभूत संरचना में उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पैनल ने अवलोकन

किया कि एक नई उत्पादन श्रृंखला के अतिरिक्त, प्राधिकारी को उद्योग की वर्तमान आधारभूत संरचना के साथ अतिव्याप्ति की मात्रा की जांच करनी चाहिए।

125. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान पहले से ही स्थापित था, चूंकि इसने संसाधन की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता जताई है और वाणिज्यिक मात्राओं में उत्पादन प्राप्त किया है और यह एक मध्यवर्ती उत्पाद का विनिर्माता है और इसने केवल एक उत्पादन श्रृंखला जोड़ी है। यह नोट किया गया है कि एचआईआईआर एक नया उत्पाद है और घरेलू उत्पाद द्वारा पहली बार देश में इसका उत्पादन किया गया है। आवेदक ने कैप्टिव इनपुट के लिए किए गए निवेश को शामिल न करते हुए एचआईआईआर का विनिर्माण करने के लिए [***] करोड़ रुपए की राशि निवेशित की है। एचआईआईआर का विनिर्माण करने के लिए प्रति इकाई निवेश [***] रुपए प्रति मी.ट. का है। आईआईआर का विनिर्माण करने के लिए किए गए निवेश की तुलना में, जो [***] रुपए प्रति मी.ट. है। यह नोट किया गया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं घरेलू उद्योग द्वारा आरंभ की गई एक नई उत्पादन श्रृंखला मात्र नहीं है। घरेलू उद्योग ने एक नया संयंत्र स्थापित किया है और समान वस्तु के लिए एक संयंत्र की स्थापना करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश शामिल किया गया है।

126. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित पहलुओं के कारण किसी भी तरीके में आईआईआर के विस्तार के रूप में एचआईआईआर पर विचार नहीं किया जा सकता।

क. एचआईआईआर और आईआईआर के लिए संयंत्र पृथक हैं और दोनों संयंत्रों में पृथक-पृथक रूप से आवेदक द्वारा महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं। इसके अतिरिक्त्, दोनों संयंत्र विभिन्न समय पर स्थापित और आरंभ किए गए थे।

ख. एचआईआईआर और आईआईआर के लिए संयंत्र स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।

ग. एचआईआईआर और आईआईआर दोनों की विनिर्माण प्रक्रिया पृथक है। एचआईआईआर का विनिर्माण करने के लिए आईआईआर उपयोग किया जाना वाला इनपुट है।

घ. आईआईआर और एचआईआईआर के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी को आवेदक द्वारा उत्पाद के विभिन्न उत्पादकों से प्राप्त किया गया था।

ङ. आईआईआर और एचआईआईआर दोनों के उत्पादन की लागत और बिक्री कीमत महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है। आईआईआर के उत्पादन के लिए आवेदक द्वारा नियोजित मानव शक्ति पृथक-पृथक हैं।

च. आईआईआर से एचआईआईआर के लिए मूल्यवर्धन लगभग 50% है। अत:, एचआईआईआर न्यूनतम मूल्यवर्धन वाला उत्पाद नहीं है।

ख. घरेलू उद्योग ने उत्पादन करना कब आरंभ किया?

127. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने फरवरी, 2021 में उत्पादन आरंभ किया किन्तु वाणिज्यिक उत्पादन की केवल मार्च, 2023 में ही घोषणा की। भारत में संबद्ध वस्तुओं का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं है। घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि वह लगातार पाटन के कारण 26 महीनों के लिए वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा करने में अक्षम था। यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन केवल जांच की अवधि के समाप्त होने के अंतिम छोर पर ही आरंभ किया गया। इसके अतिरिक्त, हालांकि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन आरंभ हो गया है, वास्तविक और प्रक्षेपित उत्पादन तथा घरेलू उद्योग की बिक्रियों की तुलना दर्शाती है कि जांच की अवधि में वास्तविक उत्पादन और बिक्रियां प्रक्षेपित स्तरों तक नहीं पहुंचे हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को किए गए अनुमानों के अनुरूप कीमत नहीं प्राप्त हुई है।

ग. प्राप्त प्रचालन बनाम अनुमानित प्रचालन

128. घरेलू उद्योग के प्रचालनों की किए गए प्रक्षेपणों के साथ तुलना की गई थी। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि जांच की अवधि वास्तव में घरेलू उद्योग के लिए उत्पादन का दूसरा वर्ष थी और इसकी तीसरे वर्ष के अनुमानों से तुलना किया जाना उचित नहीं है। प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है और यह निष्कर्ष दिया है कि तुलना दूसरे वर्ष के अनुमानों के साथ की जानी चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने भी दूसरे वर्ष के लिए आंकड़े उपलब्ध कराए थे किंतु अनजाने में इसे तीसरे वर्ष के रूप में संदर्भित किया गया है।

129. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि परियोजना रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है क्योंकि यह पुरानी है। प्राधकारी नोट करते हैं कि परियोजना रिपोर्ट आमतौर पर

परियोजना पर विचार करने से पूर्व तैयार की जाती है। इसके अतिरिक्त, एक सामान्य व्यापार परिदृश्य में, यदि कच्चे माल की कीमतों या उत्पादन की लागत में उतार-चढ़ाव होता है तो यह आशा की जाती है कि आनुपातिक रूप से बिक्री कीमत में भी परिवर्तन होगा। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है जो यह दर्शाए कि वैश्विक व्यापार गतिशीतलता या बाजार की स्थिति ने घरेलू उद्योग के अनुमानों को पुराना बना दिया है। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि में कोविड-19 का कोई प्रभाव पड़ा है जिसके कारण अनुमानों को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, बाजार स्थिति में परिवर्तन के कारण, घरेलू उद्योग को अपने वित्तीय अनुमानों को संशोधित करना पड़ा था।

130. विभिन्न वृहत आर्थिक पैरामीटरों जैसे उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्से, लाभों, नकद लाभों, निवेश पर आय, के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किए गए निष्पादन, प्रचालन के दूसरे वर्ष में घरेलू उद्योग द्वारा प्रक्षेपित स्तरों से उल्लेखनीय रूप से निम्न हैं। घरेलू उद्योग *** % की प्रक्षेपित क्षमता उपयोग की तुलना में अपनी क्षमता के केवल *** % का उपयोग करने में सक्षम है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र भारतीय उत्पादक है जिसने संबद्ध वस्तुओं के लिए उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं। जांच की अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग *** मी.ट. थी। इस मांग के प्रति, घरेलू उद्योग ने 60,000 मी.टन की उत्पादन क्षमता स्थापित की है, इस प्रकार घरेलू उद्योग के पास लगभग संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता है। इसके बजाय, इसका बाजार हिस्सा केवल *** % था।

131. घरेलू उद्योग ने प्रचालनों के पहले ही वर्ष में लाभों का अनुमान लगाया था। किन्तु घरेलू उद्योग अपनी कीमत को वसूल करने में सक्षम नहीं रहा है और इसने क्षति अवधि के दौरान उल्लेखनीय वित्तीय हानियां अर्जित की हैं और जांच की अवधि में केवल मामूली लाभ प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के अनुमानित निष्पादन और वास्तविक निष्पादन के बीच उल्लेखनीय अंतर है। चूंकि आवेदक ने जांच की अवधि में अपने संयंत्र में पूंजी नहीं लगाई थी, इसलिए मूल्सह्रास को दर्ज नहीं किया है। मूल्यह्रास के बिना भी, घरेलू उद्योग के वर्तमान लाभ इसकी अनुमानित क्षमता का केवल 1% है।

विवरण	यूओएम	एचआईआईआर	
		पीओआई-वास्तविक	अनुमानित वर्ष 2
संस्थापित क्षमता	मी.ट.	***	***
कुल उत्पादन मात्रा	मी.ट.	***	***
क्षमता उपयोग	%	***	***
बिक्री मात्रा	मी.ट.	***	***
घरेलू बिक्रियां	मी.ट.	***	***
निर्यात बिक्रियां	मी.ट.	***	***
बिक्री की लागत (कारखाना गत)	रु./ मी.ट.	***	***
निवल बिक्री आय	रु./ मी.ट.	***	***
पीबीटी (कर पूर्व लाभ)	रु./ मी.ट.	***	***
पीबीटी (कर पूर्व लाभ)	लाख रु.	***	***
नकद लाभ (पीबीटी+मूल्यह्रास)	रु./ मी.ट.	***	***
पीबीआईटी(कर पूर्व लाभ)	रु./ मी.ट.	***	***
पीबीडीआईटी (मूल्यह्रास, ब्याज और कर पूर्व लाभ)	लाख रु.	***	***
नियोजित औसत पूंजी के % के रूप में पीबीआईटी	%-रेंज	0-10%	20-30%

घ. क्या घरेलू उद्योग को आयातों के अतिरिक्त, अन्य कारणों से उत्पाद का उत्पादन करने से रोका गया है।

132. इसकी जांच की गई है कि क्या अन्य पैरामीटर्स जैसे उत्पादन स्वीकृति, उत्पाद गुणवत्ता, नए संयंत्र में तकनीकी गड़बड़ियां आदि निम्न उत्पादन और बिक्रियों का कारण हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को लम्बी ग्राहक

स्वीकृति प्रक्रिया और प्रस्तुत किए गए खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों की सीमित रेंज के कारण क्षति का सामना करना पड़ा है।

133. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि कोई औपचारिक अनुमोदन प्रक्रिया मौजूद नहीं है और अनुमोदन उपभोक्ताओं को बिक्री की मात्रा से अनुमोदन स्पष्ट है। दूसरी ओर, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निवेदन किया है कि एटीएमए सदस्य एक पोर्टल अनुरक्षित करते हैं, जो उत्पादन के अनुमोदन को दर्शाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कुछ प्रयोक्तओं द्वारा प्रयुक्त पोर्टल का स्क्रीन-शॉट प्रस्तुत किया है। तथापि, रिकॉर्ड पर साक्ष्य दर्शाते हैं कि केवल कुछ प्रयोक्ता ही ऐसा पोर्टल अनुरक्षित करते हैं। आवेदक ने वाणिज्यिक मात्राओं में बहुत से प्रयोक्तओं को बिक्री की है, जिसका अर्थ है कि औपचारिक अनुमोदन के बिना भी घरेलू उद्योग अपेक्षित विनिर्देशनों के अनुसार प्रयोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने दिनांक 23 सितंबर, 2024 के प्रत्युत्तर के अनुसार यह प्रदिर्शत करते हुए प्रयोक्ताओं *** के साथ अपने ईमेल पत्राचार को प्रस्तुत किया है कि घरेलू प्रयोक्ताओं के विनिर्देशनों के अनुसार संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण करने में सक्षम है। निम्नलिखित सारणी जांच की अवधि के दौरान और जांच की अवधि के पश्चात प्रयोक्ताओं को घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री की गई मात्राओं को दर्शाती है:

क्र. सं.	प्रमुख ग्राहक का नाम और एचआईआईआर का खपत खंड	महत्वपूर्ण और पुनरावृत्ति मात्रा का माह	तक बिक्री की गई कुल मात्रा (मी.ट.)		
			पीओआई	2023-24	2024-25
1	***	***	***	***	***
2	***	***	***	***	***
3	***	***	***	***	***
4	***	***	***	***	***

5	***	***	***	***	***
6	***	***	***	***	***
7	***	***	***	***	***
8	***	***	***	***	***
9	***	***	***	***	***
10	***	***	***	***	***
11	***	***	***	***	***
12	***	***	***	***	***
13	***	***	***	***	***
14	***	***	***	***	***
15	***	***	***	***	***
16	***	***	***	***	***
17	***	***	***	***	***

134. यह देखा गया है कि बहुत से ग्राहकों ने वाणिज्यिक मात्राओं में घरेलू उद्योग से क्रय किया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग महत्वपूर्ण मात्रा में वैश्विक रूप से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। इस प्रकार, उत्पादन की गुणवत्ता के संबंध में बिना किसी चिन्ता के वैश्विक रूप से अनुमोदन प्राप्त है। इसलिए, खराब गुणवत्ता और दीर्घ ग्राहक अनुमोदन चक्र के कारण क्षति के दावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

135. पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि एचआईआईआर के लिए वैश्विक रूप से अतिरिक्त क्षमताएं विद्यमान हैं जिस कारण कीमतों में कमी हुई। इसके अलावा, कोविड-19 ने भी उत्पाद की आपूर्ति और मांग को भी विघटित कया है, जिस के कारण घरेलू उद्योग के लिए वाणिज्यिक प्रचालनों में भी विलंब हुआ। प्राधिकारी नोट करते हैं कि

आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है और भारत में कोई अतिक्षमताएं नहीं हैं। यदि वैश्विक अतिक्षमताएं पाटन का कारण हैं और यदि, यह भारतीय उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है तो उद्योग ऐसे पाटन के विरुद्ध उपचार की मांग करने में सही है। घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को घरेलू बाजार के संदर्भ में विश्लेषित किया गया है। कच्चे माल की कीमत में परिवर्तन अथवा अतिक्षमताएं भारत में पाटन की अनुचित व्यापार पद्धति में संलग्न होने के कारण निर्यातकों को औचित्य प्रदान नहीं करते। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच मे जांच की अवधि वर्ष 2022-23 है और इस अवधि के दौरान कोविड-19 के विपरीत प्रभाव का कोई प्रमाण नहीं है।

ड. क्या घरेलू उद्योग एक लाभप्रदता/लाभ अलाभ स्थिति पर पहुंच गया है?

136. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने हानियां उपगत की हैं और वर्ष 2021-22 तक नकद हानियों का सामना किया है। जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग लाभप्रदता की स्थिति तक पहुंचने में सक्षम था। तथापि, चूंकि, आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान अपने संयंत्र का व्यापारीकरण नहीं किया है, इसलिए मूल्यह्रास पर विचार नहीं किया गया है। जांच की अवधि के दौरान, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वित्तीय हानियां, नकद हानियां वहन की हैं और नियोजित पूंजी पर एक ऋणात्मक आय दर्ज की है। इसलिए, यह लाभ अलाभ स्थिति को समाप्त करने में भी सक्षम नहीं है।

विवरण	इकाई	वास्तविक (मूल्य ह्रास सहित)	अनुमानित
लाभ/(हानि)	रु./मी.ट.	***	***
लाभ/(हानि)	लाख रु.	***	***
पीबीआईटी	लाख रु.	***	***
नियोजित पूंजी पर आय %	%	***	***

च. वास्तिवक और संभावित निष्पादन की तुलना

137. सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्को की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारित हेतु) नियमावली, 1995 के अनुबंध II के अनुसार, प्राधिकारियों को घरेलू उद्योग के वास्तविक और संभावित निष्पादन दोनों पर विचार किए जाने की जरूरत है।

> *"(iv) संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति* पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांक का मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें बिक्रियों, लाभों, आउटपुट, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेशों पर आय अथवा क्षमता के उपयोग में प्राकृतिक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित[12] ऋणात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश को जुटाने की क्षमता शामिल है।"

138. प्राधिकारी ने अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वास्तिवक निष्पादन की जांच की है और इसकी यह आकलन करने के लिए अनुमानों के साथ तुलना की है कि क्या विचाराधीन उत्पादन के पाटन ने महत्वपूर्ण रूप से घरेलू उद्योग की स्थापना में बाधा उत्पन्न की है। इस आधार पर, घरेलू उद्योग ने अपनी संभावित निष्पादन मात्रा निर्धारित की है। यह नोट किया गया है कि चाहे घरेलू उद्योग दूसरे वर्ष में अपनी प्रक्षेपित क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम था, वर्तमान कीमतों पर यह अभी भी नियोजित पूंजी पर केवल 2.5% अर्जित कर सकता है।

विवरण	यूओएम	दूसरे वर्ष में संभावना
क्षमता	मी.ट.	***
उत्पादन	मी.ट.	***
क्षमता उपयोग	%	***
घरेलू बिक्री मात्रा	मी.ट.	***
बिक्री कीमत	रु./मी.ट.	***
बिक्रियों की लागत	रु./मी.ट.	***
लाभ/(हानि)	रु./मी.ट.	***
लाभ/(हानि)	लाख रु.	***

ब्याज	लाख रु.	***
पीबीआईटी	लाख रु.	***
नियोजित पूंजी	लाख रु.	***
निवेश पर आय	%	***

139. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि आवेदक के संभावित निष्पादन की जांच करने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-II के प्रावधान केवल महत्वपूर्ण क्षति या महत्वपूर्ण क्षति के खतरे के रूप में स्थापित उद्योगों को क्षति की जांच में विचार किए जाने के लिए पैरामीटरों को सूचीबद्ध करते हैं। उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण बाधा की जांच के लिए किसी पैरामीटर की पहचान नहीं की गई है। फिर भी, संभावित निष्पादन की जांच के लिए पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत विशेष रूप से अनुमति दी गई है। इसके अलावा, पैरा (iv) के प्रावधान पैरामीटरों की विशेष सूची को अन्तर्निहित करते हैं जिसकी जांच की जा सकती है। इस प्रकार, प्राधिकारी जांच की जरूरतों के आधार पर, पैरामीटरों की और आगे जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं।

140. उपर्युक्त विश्लेषण यह संकेत करते हैं कि एचआइआईआर का उत्पादन अभी हाल ही में स्थापित किया गया है और आईआईआर की विद्यमान सुविधाओं के साथ अतिव्याप्ति की कोई महत्वपूर्ण मात्रा नहीं है। इसके अलावा, वर्तमान निष्पादन अनुमानित स्तरों से महत्वपूर्ण रूप से नीचे हैं। आगे, घरेलू उद्योग को इसके प्रक्षेपित निष्पादन को प्राप्त करने से रोकने वाला कोई अन्य कारक नहीं है। तद्नुसार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष देते हैं कि वर्तमान जांच भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा की है।

ज.3.3 <u>क्षति का संचयी आकलन</u>

141. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3 और नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि जहां एक से अधिक देशों से उत्पाद के आयात पाटनरोधी जांचों के अध्यधीन साथ-साथ रखे जा रहे हों, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से करेंगे, यदि वह निर्धारित करता है किः

क. प्रत्येक देश से आयातों के सबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशतांक के रूप में अभिव्यक्त दो प्रतिशत से ज्यादा है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयात के तीन प्रतिशत(या ज्यादा) है या जहां पृथक देशों के निर्यात तीन प्रतिशत से कम हैं, जहां आयात संचित रूप से समान वस्तु के आयातों के सात प्रतिशत से अधिक ठहरते हैं; और

ख. आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उचित है।

142. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:-

क. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं को भारत में पाटित किया जा रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ख. संबद्ध देशों में प्रत्येक से आयात की मात्रा पृथक रूप से आयातों की कुल मात्रा के 3 प्रतिशत से अधिक है।

ग. आयात के प्रभावों का संचित मूल्याकन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात न केवल उनमें से प्रत्येक से आयातित संबद्ध वस्तुओं के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु से भी।

143. प्रतिस्पर्धा की शर्तों के संबंध में, कुछ विशिष्ट हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि रूस से आयातों को ऐसे आयातों की मात्रा और कीमतों को देखते हुए रूस से आयात संचयी नहीं होना चाहिए। एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में रूस के उपचार के लिए अनुरोध और आवेदक के साथ कथित संबंधों को देखते हुए संचित नहीं किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ईसी -मालीएबल कास्ट आयरन ट्यूब या ब्राजील 1 से पाइप फिटिंग्स के मामले में अपीलीय निकाय ने नोट किया है कि यह निर्धारित करने के लिए देश-वार मात्राओं और कीमतों की जांच किया जाना जरूरी नहीं है कि क्या आयातों को संचित किया जाना जरूरी है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने रूस को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में विचार करना उचित नहीं समझा तथा यह भी पाया कि आवेदक और रूसी उत्पादक के बीच संबंधों ने आवेदक या रूसी हस्ती के व्यवहार को प्रभावित नहीं किया है।

144. इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन और आयातों की मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक है। यह प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं है कि रूस से आयातित माल अन्य संबद्ध देशों से आयातित माल अथवा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते। अत: प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए, वर्तमान जांच में आयातों का संचयी मूल्यांकन उचित है।

ज.3.4 <u>पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव</u>

क) <u>मांग का आकलन/स्पष्ट खपत</u>

145. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने भारत में संबंधित उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को सभी स्रोतों से घरेलू उद्योग और आयातों की घरेलू बिक्रियों के जोड़ के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलन की गई मांग नीचे सारणी में दी गई है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
आवेदक की बिक्री	मी.ट.	-	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	2,151	6,576
संबद्ध आयात	मी.ट.	37,511	47,231	47,000	41,521
अन्य आयात	मी.ट.	3,062	1,443	1,355	997
मांग	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	131	142

146. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति अवधि में स्थिर गति से वृद्धि हुई है और जांच की अवधि के दौरान यह उच्चतम थी।

ख) <u>संबद्ध देशों से आयात मात्रा</u>

147. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किए जाने की जरूरत है कि क्या पाटित आयातों में या तो कुल रूप में अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और पाटित आयात का हिस्सा निम्नानुसार हैं:-

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
संबद्ध देश	मी.ट.	37,511	47,231	47,000	41,521
सिंगापुर	मी.ट.	11,407	8,252	11,477	23,046
यूके	मी.ट.	2,602	6,885	7,088	4,206
जापान	मी.ट.	1,061	7,130	5,805	5,617
यूएसए	मी.ट.	6,002	7,285	5,583	3,035
रूस	मी.ट.	16,440	17,680	17,047	5,617
अन्य देश	मी.ट.	3,062	1,443	1,355	997
कुल आयात	मी.ट.	40,574	48,673	48,356	42,518
निम्न के संबंध में संबद्ध आयात :					
कुल आयात	%	92%	97%	97%	98%
भारतीय खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	95	78
भारतीय उत्पादन	%	-	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	15	7

148. यह देखा गया है कि: -

क. क्षति अवधि में आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है केवल जांच की अवधि के दौरान इसमें मामूली वृद्धि हुई है।

ख. 2019-20 की अवधि के दौरान, संबद्ध आयात भारत में कुल खपत का *** % ठहरते हैं और इनमें उसके पश्चात् वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष 2021-22 के बाद इसमें कमी हुई है और जांच की अवधि के दौरान यह *** % था।

ग. घरेलू उत्पाद को आरंभ किए जाने के परिणामस्वरूप भारत में संबद्ध आयातों में गिरावट आई है। फिर भी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हालांकि, घरेलू उद्योग के पास लगभग संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता है फिर भी बाजार के तीन चौथाई भाग पर संबद्ध देशों से आने वाले आयातों का कब्जा है।

घ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन को आरंभ किए जाने के कारण, जांच की अवधि के दौरान उत्पादन के संबंध में आयातों में *** % तक कमी आई है।

ड. संबद्ध देशों से आयात जांच की अवधि में कुल आयातों का 98% है।

149. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन आरंभ किया था। इसलिए, यह सामान्य क्षति अवधि में आयातों में गिरावट महसूस की गई क्योंकि घरेलू उद्योग ने वृद्धिकारी रूप से अपनी क्षमताओं का उपयोग किया था। तथपि, ऐसी गिरावट के बावजूद, भारतीय बाजार में आयातों का प्रमुख हिस्सा बने रहना जारी है। यदि मूल्यह्रास पर विचार किया जाए तो, घरेलू उद्योग ने वास्तव में हानि पर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है।

150. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि भारत में आयातों की मात्रा का आकलन करने की दृष्टि से वर्ष 2019-20 को शामिल किए जाने की जरूरत है क्योंकि उक्त अवधि के दौरान कोई उत्पादन नहीं किया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों पर चार वर्ष की अवधि के लिए विचार करना प्राधिकारी का सतत अभ्यास है, चाहे वह एक महत्वपूर्ण मंदी का मामला हो। इसके अलावा, आईआईआर निष्कर्षों पर किया गया विश्वास संगत नहीं है, जैसा कि उस जांच में भी, प्राधिकारी ने तीन वर्ष की अवधि के लिए आयातों की मात्रा और कीमत की जांच की थी। आधार वर्ष को घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन से संबंधित केवल कुछ पहलुओं के लिए उचित नहीं समझा गया।

151. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि चूंकि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2020-21 में केवल दो माह के लिए उत्पादन किया है अत: इस पर विचार नहीं किया जाना

चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि वर्तमान मामला महत्वपूर्ण मंदी का है, प्राधिकारी ने प्रचालनों के दूसरे वर्ष में प्रक्षेपित निष्पादन के साथ जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन पर विचार किया है।

ज.3.5. <u>पाटित आयातों का कीमत प्रभाव</u>

152. नियमावली के अनुबंध II (ii) के संदर्भ में, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किये जाने की जरूरत है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत के साथ तुलना किए जाने पर पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने अन्यथा महत्वपूर्ण मात्रा तक कीमतों में ह्रास किया है या कीमतों में वृद्धि को रोका है जो अन्यथा महत्वपूर्ण सीमा तक घटित हुई होती।

क) कीमत कटौती

153. कीमत कटौती को जांच की अवधि के लिए आयातों की पहुंच कीमत के साथ घरेलू उद्योग की निवल बिक्री आय की तुलना द्वारा निर्धारित किया गया है।

विवरण	इकाई	जांच की अवधि
बिक्री कीमत	रु./मी.ट.	***
पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	***
कीमत कटौती	रु./मी.ट.	***
कीमत कटौती	%	***
प्रवृत्ति	रेंज	ऋणात्मक

154. आवेदक ने घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ आयात कीमत की तुलना के संबंध में निम्नलिखित पर विशेष बल दिया है।

i. भारत में कुछ प्रयोक्ताओं ने उच्च कीमत पर संबद्ध देशों में अपने संबद्ध पक्षकारों से आयात किया है। आवेदक ने मात्रा में बताया है कि निर्यातों का लगभग 48% संबद्ध व्यापारियों द्वारा किया गया है।

ii. सीमा शुल्क-वार आधार पर, कीमत कटौती केवल संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए सौदों के लिए ऋणात्मक होगी और एक ग्राहक, जो कि *** है, पर विचार किया गया है। *** के लिए कीमत कटौती ऋणात्मक है क्योंकि यह एक *** कंपनी है और चूंकि, प्रयोग किए गए कच्चे माल को इसके ग्राहकों द्वारा अनुमोदित किया जाना है। इसके अलावा, उक्त कंपनी के अधिकतर ग्राहक भारत के बाहर हैं और इसके क्रेताओं के देश में कड़ी विनियामक अनिवार्यताएं हैं। अत:, इसे उत्पाद पर प्रीमियम का भुगतान करने के लिए दबाव डाला गया।

iii. बाजार में एक नई प्रविष्टि होने के कारण, घरेलू उद्योग को ऐसी कीमतों पर बिक्री करने के लिए विवश होना पड़ा जिससे वह कुछ आर्डर ले सकें।

iv. कुछ निर्यातकों को इनवॉयस-पश्चात् छूट दी गई हैं। आवेदक ने दावा किया है कि एकीकृत छूटें प्रति मी.टन *** अमरीकी डॉलर के दायरे में थी।

v. आयात आंकड़ों के अनुसार सीआईएफ कीमत उस कीमत को प्रतिबंबित नहीं करती जिस पर भारतीय उपभोक्ताओं ने घरेलू उद्योग या विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ उत्पाद पर बातचीत की और ऑर्डर जारी किए। आयात कीमतों को संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों द्वारा वसूली गई वास्तविक कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

vi यदि कीमत कटौती को घरेलू उद्योग की अनुमानित बिक्री कीमत पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है, तो यह देखा जा सकता है कि कीमत कटौती बहुत महत्वपूर्ण है।

विवरण	इकाई	पीओआई
अनुमानित बिक्री कीमत	रु./मी.ट.	***
पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	***
कीमत कटौती	रु./मी.ट.	***
कीमत कटौती	%	***
कीमत कटौती	रेंज	30-40%

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

155. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव एक महत्वपूर्ण मात्रा तक कीमतों में ह्रास कर रहा है या कीमतों में वृद्धि को रोक रहा है जो अन्यथा सामान्य अवधि में घटित हुई होती, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बिक्रियों और बिक्री कीमत की वास्तविक और अनुमानित लागत का विश्लेषण किया है।

विवरण	इकाई	वास्तविक	अनुमानित	अंतर	अंतर
बिक्रियों की लागत	रु./मी.ट.	***	***	***	-35%
बिक्री कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***	-46%
लाभ	रु./मी.ट.	***	***	***	-2,160%

156. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बिक्रियों की वास्तविक लागत बिक्रियों की अनुमानित लागत से 35% कम है। तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत अनुमानित बिक्री कीमत की तुलना में 46% कम है। घरेलू उद्योग बिक्रियों की निम्न लागत का लाभ उठाने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि इसे ऐसी कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करने के लिए विवश किया गया था जो अनुमानित कीमतों से काफी कम हैं। अत: यह साक्ष्य है कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास और कमी कर रहे हैं।

157. अनुमानित कीमतों की तुलना में निम्न बिक्री कीमत के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता अनुमानित लाभ से काफी कम है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने मूल्यह्रास को ध्यान में रखे बिना जांच की अवधि में वास्तविक लाभप्रदता की तुलना की है। यदि ऐसे लागत तत्वों पर विचार किया जाता है तो घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान हानियां उपगत की हैं।

ज.3.6 <u>घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड</u>

158. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार, यह जरूरी है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्यपरक जांच शामिल हो। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियम आगे यह व्यवस्था करते हैं कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारणों और सूचकांकों का उद्देश्यपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। जिसमें बिक्रियों, लाभों, आउटपुट, बाजार हिस्से, उत्पादकता निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभाव, मालसूचियां, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेशों को जुटाने की क्षमता शामिल है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मापदंडों पर यहां नीचे विचार विमर्श किया गया है।

क) <u>उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग</u> और बिक्रियों की मात्रा

159. क्षति अवधि में क्षमता, उत्पादन, बिक्रियों और क्षमता उपयोग निम्नानुसार थे:

विवरण	**इकाई**	जांच की अवधि	**अनुमानित ***	**डेल्टा (%)**
संस्थापित क्षमता	मी.ट.	60,000	60,000	-
उत्पादन	मी.ट.	***	***	-63%
क्षमता उपयोग	%	***	***	-63%
घरेलू बिक्रियां	मी.ट.	***	***	-64%
निर्यात बिक्रियां	मी.ट.	***	***	-59%

*परिचालनों का दूसरा वर्ष

160. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. चूंकि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान उत्पादन आरंभ किया था, घरेलू उद्योग की उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों में इस अवधि में सुधार हुआ है।

ख. घरेलू उद्योग की क्षमताओं का कम उपयोग किया गया है हालांकि भारत में इसकी काफी मांग है।

ग. जहां घरेलू उद्योग ने [***] % क्षमता उपयोग अनुमानित किया था, यह क्षमता उपयोग का केवल [***] % प्राप्त करने में सक्षम था।

घ. इसके अलावा, घरेलू उद्योग का वास्तविक उत्पादन प्रक्षेपित उत्पादन की तुलना में 63% कम है।

ड. जहां घरेलू उद्योग ने अपनी लाभप्रदता पर उल्लेखनीय समझौता किया है, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां अभी भी प्रक्षेपित घरेलू बिक्रियों से 64% कम हैं।

161. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के दौरान [***] दिनों की अवधि के लिए और जांच की अवधि के दौरान [***] दिनों की अवधि के लिए अपना संचालन बंद करना पड़ा था। घरेलू उद्योग दावा किया है कि यह शटडाउन भारत में उत्पादन के पाटन के कारण था।

162. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि चूंकि, घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत पहुंच कीमत की तुलना में निम्न है। यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक निर्यात के लिए विवश था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने उत्पादन के निपटान के लिए प्रक्षेपित मात्रा की तुलना में कहीं ज्यादा मात्रा में निर्यात किया। यदि घरेलू उद्योग द्वारा अत्यधिक ज्यादा मूल्य निर्धारण किया जाता तो यह घरेलू बाजार में ज्यादा मात्रा में बिक्री करने में सक्षम होता।

163. कुछ पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता को बढ़ा चढ़ा कर बताया है। प्राधिकारी ने दस्तावेज के साक्ष्यों से क्षमता की जांच की है और उसका सत्यापन किया है और संतुष्ट होने पर ही इसे स्वीकार किया है।

ख) बाजार हिस्सा

164. घरेलू उद्योग और आयातों का बाजार हिस्सा नीचे सारणी में दर्शाया गया है:-

बाजार हिस्सा	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	1,975	5,591
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	95	78
अन्य आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	39	34	23

165. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि, घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन आरंभ किया है, इस अवधि में इसने एक बाजार हिस्सा प्राप्त किया है। तथापि, बाजार के अधिकतम हिस्से के लिए आयात जारी है। भारत में [***] % मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग की पर्याप्त क्षमताओं के बावजूद, संबद्ध आयात बाजार हिस्से के लगभग तीन चौथाई भाग को आपूर्ति कर रहे हैं।

166. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि घरेलू उद्योग अपने प्रक्षेपित स्तरों पर उत्पादन और बिक्रियां करने में सक्षम होता तो यह [***] % बाजार हिस्से को प्राप्त कर लेता। इसके विपरीत, यह केवल [***] % बाजार हिस्से को ही प्राप्त कर पाया है।

167. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग अपनी लाभप्रदता पर उल्लेखनीय रूप से समझौता करने के बाद घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कर रहा है।

ग) <u>मालसूची</u>

168. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की माल सूची की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है:-

विवरण	**इकाई**	2020-21	2021-22	**जांच की अवधि**
प्रारंभिक मालसूची	मी.ट.	***	***	***
अंतिम मालसूची	मी.ट.	***	***	***
औसत मालसूची	मी.ट.	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	189

169. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूचियों में वृद्धि हुई है। अपने उत्पादन के [***] % का निर्यात करने के बाद भी, घरेलू उद्योग में क्षति अवधि में मालसूचियों का संचयन देखा गया है। घरेलू उद्योग ने यह भी कहा है कि उस पर फरवरी, 2021 में उत्पादन आरंभ करने के बावजूद, क्षति अवधि के दौरान [***] के दौरान उत्पादन को स्थगित करने के लिए दबाव डाला गया था।

घ) <u>लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय</u>

170. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वास्तविक और अनुमानित लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभों को नीचे सारणी में दर्शाया गया है:-

विवरण	इकाई	पीओआई	अनुमानित *	अंतर
बिक्रियों की लागत	रु./मी.ट.	***	***	-26%
बिक्रियों की कीमत	रु./मी.ट.	***	***	-32%
कर पूर्व लाभ	रु./मी.ट.	***	***	-96%
कर पूर्व लाभ	लाख रु.	***	***	-98%
नकद लाभ	रु./मी.ट.	***	***	-96%
पीबीडीआईटी	रु./मी.ट.	***	***	-78%
पीबीडीआईटी	लाख रु.	***	***	-92%
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	-96%

**परिचालनों का दूसरा वर्ष।*

171. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन को कोई समायोजन किए बिना अपनाया जाता तो घरेलू उद्योग का वास्तविक निष्पादन प्रचालनों के दूसरे वर्ष में अनुमानित निष्पादन से काफी कम था।

क. घरेलू उद्योग ने [***] करोड़ रुपए कुल लाभ अनुमानित किया है। घरेलू उद्योग के वास्तविक प्रति यूनिट लाभ प्रति यूनिट अनुमानित लाभों की तुलना में 96% कम हैं।

ख. घरेलू उद्योग के नकद लाभ घरेलू उद्योग द्वारा अनुमानित लाभों की तुलना में 96% कम हैं।

ग. घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर केवल [***] % आय अर्जित की है। अर्जित आय की तुलना में, घरेलू उद्योग ने निवेश पर [***] % की आय अर्जित करने का अनुमान लगाया था।

172. घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि परियोजना रिपोर्ट के विश्लेषण में यह दर्शाया गया था कि घरेलू उद्योग ने अपने प्रचालनों के पहले ही पूरे वर्ष में लाभ अनुमानित किए थे। इसके विपरीत, इसने 2 वर्षों के बाद भी निवेश पर मामूली आय और अल्प लाभ ही प्राप्त किए हैं।

173. इसके अलावा, यहां ऊपर दी गई सारणी में बिक्रियों की वास्तविक लागत इसके [***] पर आईआईआर के विचार पर आधारित है और मूल्यह्रास पर विचार किए बिना क्योंकि जांच की अवधि के दौरान संयंत्र पूंजीकृत नहीं था। यदि, आईआईआर पर एचआईआईआर के उत्पादन को स्थानांतरित करने के लिए उचित लाभों सहित उत्पादन की पूरी लागत पर आईआईआर पर विचार किया जाता है और जांच की अवधि में एचआईआईआर के लिए संयंत्र के लिए मूल्यह्रास को प्रभारित किया जाता है तो घरेलू उद्योग को हानियां हुई होंगी, नकद हानियों का सामना करना पड़ा होगा ओर नियोजित पूंजी पर एक ऋणात्मक आय दर्ज की गयी होगी।

विवरण	**इकाई**	**वास्तविक**	**पूरी लागत पर विचार करते हुए ***	**परिवर्तन**
बिक्रियों की लागत	रु./मी.ट.	***	***	23%
बिक्री की कीमत	रु./मी.ट.	***	***	0%
कर पूर्व लाभ	रु./मी.ट.	***	***	-4,094%
कर पूर्व लाभ	लाख रु.	***	***	-4,086%

नकद लाभ	रु./मी.ट.	***	***	-621%
पीबीडीआईटी	रु./मी.ट.	***	***	-159%
पीबीडीआईटी	लाख रु.	***	***	-578%
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	-663%

**पूरी लागत पर विचारत एचआईआईआर संयंत्र की मूल्यह्रास लागत और आईआईआर की स्थानांतरण लागत पर विचार करते हुए जिसमें पैकेजिंग लागत ओर ओवरहेड बिक्री शामिल नहीं है।*

174. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक के पीएंडएल विवरण में ब्याज की लागत को रिपोर्ट नहीं किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि जांच की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा नहीं की गई थी, सामान्यत: मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में, खाता-बहियों के प्रयोजन हेतु ब्याज लागत को पूंजीकृत किया गया था। तथापि, आवेदक ने वर्तमान जांच के प्रयोजन हेतू प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए फार्मेटों के अनुसार इसकी रिपोर्ट की है।

175. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को हानियां स्टार्टअप लागत और मूल्यह्रास के कारण हुई हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्टार्ट-अप लागतों को सामान्यत: मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के तहत पूंजीकृत किया गया है।

ड.) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

176. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में सूचना की जांच की है जैसा कि नीचे दिया गया है:-

विवरण	**इकाई**	2020-21	2021-22	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	512	1,048
वेतन और मजदूरियां	लाख रु.	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	496	935
दैनिक उत्पादकता	मी.ट./दिन	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	219

प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट./दिन	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	125

177. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस अवधि में कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है जब से घरेलू उद्योग ने उत्पादन आरंभ किया है। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के साथ, वेतन, मजदूरी और उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है।

च) <u>वृद्धि</u>

विवरण	**इकाई**	2020-21	2021-22	पीओआई
उत्पादन	%	-	546%	104%
घरेलू बिक्रियां	%	-	2051%	206%
लाभ/(हानि)	%	-	-2003%	106%
नकद लाभ	%	-	-2003%	106%
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	-1%	124%

178. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उत्पादन को आरंभ करने के कारण इसके पैरामीटरों ने वृद्धि दर्शायी है। हालांकि, इसे इसके प्रक्षेपित निष्पादन को प्राप्त करने से रोका गया है। आगे, यदि मूल्यह्रास पर विचार किया जाता है, तो इस ने जांच की अवधि में हानियों का सामना किया है। घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग निम्न बना रहा है और यह नियोजित पूंजी पर पर्याप्त आय अर्जित करने में सक्षम नहीं है।

179. मात्रा और कीमत संबंधी मापदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रक्षेपित निष्पादन से नीचे है।

छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव

180. घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं के लिए क्षमता स्थापित की है, यह पूंजी निवेश जुटाने में सक्षम था। तथापि, इसने जांच की अवधि में केवल मामूली लाभ अर्जित किया है। घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित आय सिर्फ [***] % है जिसने इस उत्पाद में किसी भविष्य के निवेश को अत्यधिक कठिन बना दिया है। यह दर्शाता है कि आयातों ने पूंजी निवेश जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता को विपरीत रूप से प्रभावित किया है।

ज) कीमत को प्रभावित करने वाले कारक

181. यह नोट किया गया है कि संबद्ध आयातों ने बाजार में टिके रहने के लिए अलाभकारी कीमतों पर बिक्री करने के लिए घरेलू उद्योग पर दबाव डाला है जिसने इसे पर्याप्त लाभों को अर्जित करने से रोका है। घरेलू उद्योग भारत में अपनी लक्षित कीमतों को प्राप्त करने में भी असफल रहा है। आयातों ने कीमतों में वृद्धि को रोका है जो अन्यथा घटित हुई होती।

झ) <u>पाटन की मात्रा</u>

182. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का महत्वपूर्ण पाटन हुआ है जिसने बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को समाप्त किया है।

ञ. घरेलू उद्योग का संभावित निष्पादन

183. प्राधिकारी ने यथा अनुमानित, क्षमता उपयोगों के विभिन्न स्तरों पर घरेलू उद्योग के संभावित निष्पादन की भी जांच की है।

विवरण	इकाई	पीओआई	संभावित		
			वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3
क्षमता	मी.ट.	***	***	***	***
उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
बिक्री मात्रा	मी.ट.	***	***	***	***
बिक्री कीमत	रु./ मी.ट.	***	***	***	***
बिक्रियों की लागत	रु./ मी.ट.	***	***	***	***

लाभ/(हानि)	रु./ मी.ट.	***	***	***	***
लाभ/(हानि)	लाख रु.	***	***	***	***
ब्याज	लाख रु.	***	***	***	***
पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
नियोजित पूंजी पर आय	%-रैंज	0-5%	0-5%	0-5%	0-5%

184. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चालू कीमतों पर, यदि घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का 100% भी उपयोग करते हैं तो भी घरेलू उद्योग प्राधिकारी द्वारा उचित समझे गए 22% की तुलना में केवल [***] % की आय अर्जित कर पाएगा। घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर [***] % आय की कल्पना की है। बाजार में वर्तमान कीमतों पर ऐसी आय संभव नहीं है।

ज.3.7 <u>गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध</u>

185. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों की क्षति, मात्रा और कीमत प्रभाव की विद्यमानता की जांच करते हुए, प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति को पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य कारक पर आरोपित किया जा सकता है, जैसा कि नियमावली के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य

186. यह नोट किया गया है कि किसी अन्य देश से नगण्य आयात हुए हैं। संबद्ध देश से आयात भारत में कुल आयातों का 98% ठहरता है। इसलिए, क्षति तीसरे देशों से आयातों पर आरोप्य नहीं है।

ख) मांग में संकुचन

187. विचाराधीन उत्पाद की मांग में स्थिर गति से वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में यह उच्चतम थी। संबद्ध वस्तु के लिए मांग में लगातार वृद्धि होने की संभावना है। घरेलू उद्योग को मांग में संभावित संकुचन के कारण क्षति का सामना नहीं करना पड़ा है।

ग) खपत का पैटर्न

188. यह नोट किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है जो घरेलू उद्योग को क्षति कर सकता हो।

घ) प्रतिस्पर्धा और व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियों की स्थितियां

189. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिस्पर्धा या व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियों की स्थितियों का कोई साक्ष्य नहीं है जो घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति के लिए उत्तरदायी हो।

ड) प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

190. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक नए संयंत्र की स्थापना की है।

191. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कहा है कि चूंकि सिबुर (एसआईबीयूआर) के पास संबद्ध वस्तु के विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी नहीं है, आवेदक को क्षति सभी ग्रेडों का उत्पादन करने में अक्षमता के कारण हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी [***] से प्राप्त की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि महत्वपूर्ण मंदी के मामलों में, घरेलू उद्योग के पास संभवत: संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी नहीं है और तद्नुसार, प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण करने के द्वारा एक संयत्र स्थापित किया है। इसे घरेलू उद्योग को क्षति के लिए कारण नहीं कहा जा सकता। यह विशेष रूप से ऐसा मामला है, जहां उत्पाद के उपभोक्ता वाणिज्यिक मात्रा में घरेलू उद्योग से क्रय कर रहे हैं।

च) उत्पादकता

192. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। इसलिए, घरेलू उद्योग ने इस कारण क्षति का सामना नहीं किया है।

छ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

193. यहां ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी सूचना केवल इसके घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। अत:, झेली गई क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन पर आरोपित नहीं किया जा सकता।

ज) अन्य उत्पादों का निष्पादन

194. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, उत्पादित और बिक्री किए गए अन्य उत्पादें का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभव कारण नहीं है।

झ) वैश्विक अधिक्षमता

195. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को क्षति वैश्विक अधिक्षमता के कारण है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा उत्पादन आरंभ किए जाने से पूर्व भारत में संबद्ध वस्तुओं का कोई उत्पादक नहीं था। इसलिए, भारत में कोई अधिक्षमता नहीं है। इस समय भी, घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में [***] % मांग के समकक्ष है। ऐसे मामले में, घरेलू उद्योग को क्षति नहीं झेलनी चाहिए थी क्योंकि यह भारत में एकमात्र उत्पादक है।

196. अन्य देशों में स्थापित अधिक्षमताएं भारत में विचाराधीन उत्पाद के पाटन के लिए कोई औचित्य नहीं हैं। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि विदेशी उत्पादकों ने ऐसे देशों में क्षमताएं स्थापित की हैं जहां नगण्य घरेलू मांग है। ऐसे उत्पादक निर्यात बाजार पर निर्भर हैं। हालांकि, भारत में विचाराधीन उत्पाद के पाटन ने भारत के एकमात्र घरेलू उत्पादक के लिए एक अनुचित व्यापार स्थिति सृजित की है।

ञ) कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव

197. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को क्षति कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कच्चे माल की कीमतों में परिवर्तन एक सामान्य व्यापार परिदृश्य है। तथापि, कच्चे माल की कीमतों में परिवर्तन के साथ, यह संभावना है कि उत्पाद की बिक्री कीमत भी आनुपातिक रूप से बदलती है। अत:, क्षति कच्चे माल की कीमतों में परिवर्तन के कारण नहीं हो सकती। किसी भी स्थिति में, घरेलू उद्योग की बिक्रियों की वास्तविक लागत बिक्रियों

की अनुमानित लागत की तुलना में कम है। अत:, कच्चे माल की कीमतों के उतार-चढ़ाव के कारण बिक्रियों की लागत में वृद्धि पर कोई क्षति आरोपित नहीं है।

ट) एकल उत्पादन श्रृंखला की स्थापना के कारण क्षति

198. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को क्षति एकल उत्पादन श्रृंखला के कारण है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की परियोजना रिपोर्ट की घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन के साथ तुलना की गई है। चूंकि, परियोजना रिपोर्ट एक एकल उत्पादन श्रृंखला पर आधारित थी, वास्तविक निष्पादन की तुलना समान स्तर पर है। अत:, क्षति एक एकल उत्पादन श्रृंखला पर आरोप्य नहीं है।

झ. <u>क्षति मार्जिन की मात्रा</u>

199. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारक कीमत को यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित किए गए सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किया है। संबद्ध वस्तुओं की गैर-क्षतिकारक कीमत को जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाने के द्वारा निर्धारित किया गया है। गैर-क्षतिकारक कीमत पर क्षति मार्जिन को परिकलित करने के लिए संबद्ध वस्तुओं से पहुंच कीमत की तुलना करने पर विचार किया गया है। गैर-क्षतिकारक कीमत का निर्धारण करने के लिए, कच्चे माल का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा युटिलिटीज और उत्पादन क्षमता पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत पर किसी असाधारण या गैर-आवर्ती व्ययों को प्रभारित नहीं किया गया है। गैर-क्षतिकारक कीमत पर पहुंचने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियों सहित औसत कार्यशील पूंजी) पर कर-पूर्व @ 22% की उचित आय को अनुमति प्रदान की गई थी जैसाकि नियमावली के अनुबंध- III में निर्धारित किया गया है और जिसका अनुपालन किया जा रहा है।

200. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत को निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर निर्धारित किया गया है। संबद्ध देशों से सभी असहयोगी

उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत को निर्धारित किया है।

201. यह दावा कि स्टार्ट-अप प्रचालनों के कारण ऊंची लागतों को मानकीकृत किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-क्षतिकारक कीमत को घरेलू उद्योग के 90% क्षमता उपयोग के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा किए गए स्टार्ट-अप प्रचालनों के कारण उच्च कीमतों पर विचार नहीं किया है।

202. इस आरोप के संबंध में कि नियोजित पूंजी पर 22% आय अनुचित है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियोजित पूंजी पर उचित आय के आधार पर जो कि 22% है, घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारक कीमत को निर्धारित करना प्राधिकारी का सतत अभ्यास रहा है, सिवाय इसके कि जब रिकॉर्ड पर साक्ष्य उपलब्ध है कि 22% पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और कोई अन्य आंकड़ा अधिक उचित हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर [***]% की एक औसत आय परिकल्पित की है। प्राधिकारी द्वारा नियोजित पूंजी पर विचार की गई आय आवेदक द्वारा परिकल्पित आय से कम है और प्राधिकारी के लगातार अभ्यास के अनुरूप है।

203. ऊपर निर्धारित की गई पहुंच कीमत और गैर-क्षतिकारक कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन को निर्धारित किया गया है और इसे नीचे सारणी में उपलब्ध कराया गया है:

उत्पादक का नाम	**गैर क्षतिकारक कीमत**	**पहुंच कीमत**	**क्षति मार्जिन**	**क्षति मार्जिन**	**क्षति मार्जिन**
	(अम.डा./मी.ट.)	**(अम.डा./मी.ट.)**	**(अम.डा./मी.ट.)**	**(%)**	**रेंज**
जापान					
जापान ब्यूटाइल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	25-35%
कोई अन्य	***	***	***	***	40-50%
रूस					

कोई अन्य	***	***	***	***	35-45%
सिंगापुर					
अर्लानक्सियो सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड	***	***	***	***	35-45%
एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड	***	***	***	***	40-50%
कोई अन्य	***	***	***	***	55-65%
यूनाइटेड किंगडम					
एक्सॉनमोबिल केमिकल लिमिटेड	***	***	***	***	0-10%
कोई अन्य	***	***	***	***	15-25%
संयुक्त राज्य अमेरिका					
एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कंपनी	***	***	***	***	15-25%
कोई अन्य	***	***	***	***	30-40%

ञ. <u>भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे</u>

ञ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

204. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध किए गए हैं:-

i. पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना आवेदक के लिए एकाधिकार की स्थिति सृजित करेगा जो इसे बाजार में आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित करने की अनुमति देगा और जिससे कुल मिला कर जनता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

ii. पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने से भारतीय डाउनस्ट्रीम उद्योग की लागत में वृद्धि होगी जो उन्हें वैश्वक बाजार में अप्रतिस्पर्धी बनाएगी।

iii. चूंकि, आवेदक ने अभी अपने उत्पाद के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं की है, डपाउनस्ट्रीम उद्योग को विचाराधीन उत्पाद का आयात करने के लिए ऊंची कीमतें अदा करनी होंगी अथवा आवेदक से उनका क्रय करने के द्वारा डाउनस्ट्रीम उत्पाद की सुरक्षा से समझौता करना होगा।

iv. सुरक्षा के संदर्भों में एचआईआईआर ऑटोमोटिव उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण संघटक है। शुल्क को लागू किए जाने की स्थिति में टायर उद्योग पर औसत लागत प्रभाव 6732 लाख रुपए है। वाणिज्यिक ट्रक फ्लीट के मालिक और राज्य बस मालिकों पर पड़ने वाला प्रभाव क्रमश: 0.25 करोड़ रुपए और 1.5 करोड़ रुपए है।

v. हाई ब्रोमाइन ग्रेड उत्पाद का फार्मास्युटिकल उद्योग में प्रयोग किया जाता है जिसके लिए लंबी अनुमोदन प्रक्रिया और सख्त गुणवत्ता विनिर्देश हैं। प्रस्तावित शुल्क के फार्मा उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है और यह उपभोक्ताओं के लिए औषधियों की लागत में वृद्धि करेगा।

vi जहां वैश्विक रूप से वाणिज्यिक वाहन ट्यूबलैस टायरों पर स्थानांतरित हो रहे हैं, भारत अभी भी उस ओर बढ़ रहा है। पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने से उक्त प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। ट्यूबलैस टायरों पर स्थानांतरित होने से ईंधन दक्षता बढ़ेगी और यह ईंधन की लागत तथा भारत के लिए कच्चे माल के आयातों से बचत करेगा। यह बचत लगभग 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की होगी।

vii. चूंकि, उपभोक्ता उद्योग अभी भी कोविड-19 महामारी के प्रभावों से उबर रहा है, पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा।

viii. शुल्क को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप अपर्याप्त आदेशों के कारण भारत में आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न होने की वजह से आपूर्तियां अन्य बाजारों की तरफ स्थानांतरित हो जाएंगी।

ix. पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने से प्रयोक्ताओं की लागतों में वृद्धि होगी। टायरों के बहुत से कच्चे माल पर शुल्क लागू किए जाने से लाभप्रदता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा और उपयोगकर्ता वह लागत वहन करने के लिए बाध्य होंगे।

ञ.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

205. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

i. पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना सार्वजनिक हित में है। इसकी उत्पादक के हित, उपभोक्ताओं के हित और कुल मिलाकर सार्वजनिक हित के परिप्रेक्ष्य से जांच किये जाने की जरूरत है।

ii. पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना भारत में आयातों को प्रतिबंधित नहीं करेगा बल्कि केवल उचित कीमतों को सुनिश्चित करेगा। यह पूर्वानुमान लगाने का कोई कारण नहीं है कि आयात बन्द हो जाएंगे और एकाधिकार सृजित होगा।

iii. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी अत्यधिक विनियमित और सीमित है। बहुत सारी बाधाओं का सामना करने के पश्चात भारत में ये क्षमताएं स्थापित की गई हैं।

iv. भारत में भारतीय उत्पादकों के साथ ही रूसी हस्तियों द्वारा भी महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं।

v. भारत में उत्पाद की लगातार आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए घरेलू उत्पादन अत्यावश्यक है क्योंकि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए वैश्विक रूप से केवल 10 उत्पादकों के पास यह प्रौद्योगिकी मौजूद है।

vi संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पाटन की स्थिति का उपचार किए जाने की जरूरत है।

vii. आवेदक ने अपस्ट्रीम उत्पाद का भी उत्पादन स्थापित किया है जिसमें आईआईआर और एचपीआईबी शामिल हैं। यदि एचआईआईआर व्यापार पाटन के कारण कठिनाई का सामना करता है तो यह अपस्ट्रीम उत्पाद को भी प्रभावित करेगा।

viii. प्राधिकारी ने आईआईआर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने की सिफारिश की है। चूंकि, आईआईआर की आधी क्षमता एचआईआईआर के उत्पादन के लिए है, एचआईआईआर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लागू न किया जाना आईआईआर के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को क्षति पहुंचाएगा।

ix. संबद्ध वस्तुएं टायर का अभिन्न भाग हैं और उत्पाद की घरेलू उपलब्धता को बनाए रखने की जरूरत है।

x. चूंकि एचआईआईआर टायर उद्योग में मुख्य संघटक नहीं है और केवल एक अनिवार्य संघटक है, पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने से तैयार उत्पाद पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। यह प्रभाव केवल 1.3-1.6% तक का ही है।

xi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उत्पादन को आरंभ किए जाने से पूर्व भारत में आयात कीमत उच्च थी। उपयोगकर्ता उद्योग विगत में भी प्रतिस्पर्धी था।

xii. रिकॉर्ड पर यह दर्शाने के लिए कोई प्रमाण मौजूद नहीं है कि उत्पाद के उपभोक्ता लागत में वृद्धि को सहन करेंगे और इस तरह की वृद्धि को अपने ऊपर नहीं थोपेंगे। उपभोक्ता कीमत में उतार-चढ़ाव के आदी हैं क्योंकि पक्षकारों ने स्वयं कच्चे माल की कीमत में परिवर्तन के अनुरूप कीमत में भिन्नता की बात पर प्रकाश डाला है।

xiii. डाउनस्ट्रीम टायर उद्योग भारत में एक स्थापित लाभप्रद उद्योग है और पिछले दो दशकों से लगातार लाभ अर्जित कर रहा है। अत:, एक गौण कच्चे

माल पर पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना उन पर विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा।

xiv. फार्मास्युटिकल उद्योग ने लम्बी अनुमोदन प्रक्रिया और गुणवत्ता संबंधी विनिर्देशनों के सबंध में कोई चिन्ता नहीं जताई है।

xv. पाटन का उद्देश्य घरेलू उद्योग के निष्पादन में बाधा डालना और डाउनस्ट्रीम उद्योग की कोई सहायता न करना है जैसाकि इस तथ्य से साक्ष्य है कि घरेलू उत्पादन द्वारा आरंभ किए जाने से पूर्व कीमतें उच्च थीं।

xvi. जांच की अवधि के दौरान डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोविड-19 के प्रभाव को दर्शाने अथवा इस तथ्य को दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि इसने किसी अन्य उद्योग से अधिक टायर उद्योग पर प्रभाव डाला है। टायर उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान वास्तव में बंपर लाभ अर्जित किए हैं।

xvii. पाटनरोधी शुल्क को लागू करने के पश्चात बाजारों को अपवर्तन के लिए निर्यातकों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है क्योंकि शुल्क को निर्यातकों द्वारा निवल वसूली पर लगाया जाता है। चूंकि, प्राधिकारी कमतर शुल्क नियम का अनुपालन करते हैं, शुल्क की लागू की गई राशि सामान्य मूल्य से अधिक नहीं होगी।

ञ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

206. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग पर थोपी गई क्षति का परिशोधन करना है जिससे भारतीय बाजार में एक खुली और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार हो सके। यह न केवल एक विनियामक उपाय है बल्कि राष्ट्रीय हित का मामला भी है। पाटनरोधी उपायों को लागू किया जाना संबद्ध देशों से आयातों में मनमाने ढंग से कटौती करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इसके बजाय यह समान अवसर पर कार्य को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है। प्रधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों की दृढ़ता भारत में उत्पाद की कीमत स्तरों को प्रभावित कर सकती है। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति इन उपायों को लागू किए जाने से अप्रभावित बनी रहेगी। प्रतिस्पर्धा के ह्रासमान होने से,

पाटनरोधी उपायों को लागू किए जाने से पाटन अभ्यासों के जरिए अनुचित लाभों के उदभूत होने को रोका जा सकता है। यह उपभोक्ताओं की संबद्ध वस्तु के वृहत चयन तक उसकी पहुंच को सुरक्षित करता है। अत:, पाटनरोधी शुल्क एक बाधा नहीं है बल्कि यह उचित व्यापार पद्धति की सुविधा प्रदान करने वाला है।

207. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और ग्राहकों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से उनके मतों को आमंत्रित करते हुए, जांच शुरुआत अधिसूचना जारी की थी। विभिन्न हितधारकों को अनुमति देने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी जारी की गई जिनमें घरेलू उद्योग, उत्पादक/निर्यातक और आयातक/प्रयोक्ता/उपभोक्ता शामिल हैं ताकि उन्हें वर्तमान से संबंधित संगत सूचना उपलब्ध कराई जा सके जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव शामिल हैं।

208. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के पाटन ने भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में उल्लेखनीय बाधा पहुंचाई है।

209. आवेदक ने एचआईआईआर संयंत्र की स्थापना के लिए [***] करोड़ रुपए और फीडस्टॉक (आईआईआर और एचपीआईबी) संयंत्रों की स्थापना के लिए क्रमश: [***] करोड़ रुपए और [***] करोड़ रुपए का भारी निवेश किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आईआईआर संयंत्र की आधी क्षमता व्यापारी बाजार के लिए थी और अन्य आधा भाग एचआईआईआर के उत्पादन के लिए था। इस प्रकार, एचआईआईआर के विनिर्माण के प्रयोजन हेतु आईआईआर संयंत्र में [***] करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। अत:, भारत में घरेलू उत्पादन को बनाए रखने के लिए घरेलू उद्योग को एक समान अवसर प्रदान करना और भारत में पाटन की स्थिति का उपचार करना अनिवार्य है।

210. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना भारत में आयातों को प्रतिबंधित नहीं करेगा बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे आयात एक उचित कीमत पर किए गए हैं। भारत में बड़ी संख्या में, की गई ऐसी जांचों में पाटनरोधी शुल्क लागू किए गए हैं जिनमें आवेदक भारत में एकमात्र उत्पादक था। तथापि, ऐसे शुल्क लागू किए जाने से भारत में एकाधिकार का सृजन नहीं हुआ। किसी भी स्थिति में, यदि आवेदक अनुचित व्यापार पद्धतियों में संलग्न है तो उत्पाद के उपभोक्ता संगत प्राधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं।

211. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रभाव की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुएं टायर का अभिन्न भाग हैं। इसके अलावा, किसी टायर में प्रमुख लागत घटक प्राकृतिक रबड़ है और कच्चा माल जैसे आईआईआर और एचआईआईआर, हालांकि ये अभिन्न हैं किन्तु टायर में एक बहुत छोटे संघटक हैं। इसके अलावा, यदि आगे डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर प्रभाव होना निर्धारित है, तो ऐसा प्रभाव निश्चय ही मामूली होगा।

	इकाई	**दर**
टायर मूल्य	रुपए प्रति इकाई	10,125
एचआईआईआर खपत	किलोग्राम	0.21
एचआईआईआर दर	डालर/मी.टन	3,186
विनिमय दर		80.79
एचआईआईआर दर	रु./कि.ग्रा.	257
प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क	डालर/मी.टन	1,824.47
प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क	रु./कि.ग्रा.	147.40
तैयार उत्पाद पर प्रतिशतांक प्रभाव	%	0.31%

212. प्रभाव का डाउनस्ट्रीम उद्योग के सकल टर्नओवर को ध्यान में रखते हुए आकलन किया जाना है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि टायर कंपनियों पर पड़ने वाला प्रभाव 67 करोड़ रुपए का है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि टायर उद्योग का सकल टर्नओवर 70,000 करोड़ रुपए का है और ऐसा प्रभाव उद्योग के टर्नओवर के 0.1% से भी कम है।

213. इस अनुरोध के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने से फार्मास्युटिकल उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे अनुरोध उत्पाद के निर्यातक द्वारा किए गए हैं न कि फार्मास्युटिकल उद्योग की ओर से। चूंकि, घरेलू उद्योग हाई ब्रोमाइन ग्रेड का विनिर्माण कर रहा है, डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

214. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने से भारत में संबद्ध वस्तुओं की कमी नहीं होगी। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करते बल्कि यह सुनिश्चित करते हैं कि आयात उचित कीमतों पर उपलब्ध हों। इसलिए, शुल्क को लागू किए जाने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। किसी भी स्थिति में, घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में मांग के एक महत्वपूर्ण भाग से भी अधिक को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

215. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोविड-19 के प्रभाव को दर्शाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। भारत में टायर उद्योग एक बड़े पैमाने का उद्योग है और कोविड-19 भारत में किसी अन्य उद्योग से अधिक, द्वारा प्रभावित नहीं हुआ है। आवेदक ने टायर उद्योग के निष्पादन को उपलब्ध कराया है और दावा किया है कि टायर उद्योग लगातार लाभ अर्जित कर रहा है।

216. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने से निर्यातकों द्वारा आपूर्ति में अन्य बाजारों को विपथन किया जा सकता है। इस अनुरोध के लिए पक्षकारों द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह संभव है कि किसी ऐसे परिदृश्य में जहां निर्यातक की निवल बिक्री आय वही बनी रहेगी, बाजार का विपथन करने के लिए निर्यातक को कोई प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि वह उतनी ही लाभप्रदता को अर्जित करने में सक्षम होगा जितनी वह इस समय अर्जित कर रहा है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने के कारण आपूर्ति श्रृंखला में कोई विघटन नहीं होगा।

217. इसके अतिरकत्, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हालांकि, संबद्ध आयात देश में कुल आयातों का 98% स्थापित करते हैं। इस उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी वैश्विक रूप से 10 देशों में उपलब्ध है। अत:, माल को अन्य स्रोतों जैसे ईयू, संयुक्त अरब अमीरात, चीन जन.गण. से भी आयात किया जा सकता है। इसरी संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अतीत में विचाराधीन उत्पाद को अन्य स्रोतों से भी आयातित किया गया है ।

ट. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>

<u>ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध</u>

218. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रकटन पश्चात अनुरोध किए गए हैं:

i. एटीएमए की सदस्य कंपनियों के लिए विभिन्न ग्रेड़ों के बिक्री के ब्यौरे, उपभोक्ता का नाम, बेची गई मात्रा और अनुमोदन की तारीख के गोपनीय होने का दावा किया गया है जिसके कारण उनके संबंध में समूची टिप्पणियां दायर नहीं की जा सकती है।

ii. यद्यपि घरेलू उद्योग ने ईमेल पत्राचार का प्रकटन किया है, परंतु उसने बिक्री संबंधी जानकारी और उपभोक्ताओं के नाम नहीं बताए हैं।

iii. घरेलू उद्योग ने 23 दिसंबर 2024 अर्थात प्रकटन संबंधी टिप्पणियों की नियत तारीख से एक दिन पहले ही पत्राचार का गोपनीय अंश प्रस्तुत किया है। प्राधिकारी ने एटीएमए द्वारा दायर समय विस्तार के अनुरोध को मना कर दिया। इस प्रकार, एसोसिएशन के पास पूर्ण समीक्षा करने और सदस्य कंपनियों के साथ परामर्श करने के लिए केवल एक दिन था।

iv. घरेलू उद्योग के संभावित निष्पादन का अगोपनीय सारांश साझा किया जाना चाहिए ताकि अन्य हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अनुरोध करने में सक्षम हो सके।

v. कीमत कटौती के लिए उपभोक्ता के नाम के संबंध में दावा की गई गोपनीयता न्यायोचित नहीं है क्योंकि जांच में आयात कीमत या उस उपभोक्ता से घरेलू उद्योग द्वारा प्रभारित कीमत विनिर्दिष्ट नहीं की गई है।

vi याचिकाकर्ता के अनुमानित निष्पादन को पूरी तरह गोपनीय बताया गया है जबकि प्राधिकारी ने वास्तविक मंदी के लिए उन्हीं पर भरोसा किया है।

vii. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह नियम 2(ख) के अन्तर्गत विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए उचित मामला नहीं है।

viii. प्राधिकारी ने नियम 2(ख) के अन्तर्गत विवेकाधिकार के प्रयोग के कारण नहीं बताए हैं।

ix. रूसी उत्पादक द्वारा भागीदारी हितबद्ध पक्षकार बनने के लिए और अलग मार्जिन लेने के लिए बिल्कुल न्यूनतम अपेक्षा है और उसमें मिलीभगत का अभाव निहित नहीं है।

x. जारी किया गया प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों के संगत अनुरोधों पर विचार किए बिना जारी किया गया है। चूंकि यह एक प्रक्रियात्मक चूक है, एक नए प्रकटन को जारी करना चाहिए और इस पर अनुरोध करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर देना चाहिए।

xi. चूंकि डीजी सिस्टम के आंकड़े आधिकारिक डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के विपरीत हैं, इसलिए आंकड़ों को पुन: विस्तार से सत्यापित करना चाहिए। डीजी सिस्टम के आंकड़ों का अगोपनीय सारांश हितबद्ध पक्षकारों के साथ शेयर करना चाहिए।

xii. यद्यपि प्राधिकारी ने बताया है कि कुछ प्रयोक्ताओं के पास औपचारिक अनुमोदन प्रक्रिया नहीं है, तथापि उन्होंने घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए पत्र पर भरोसा किया है जो उत्पाद के अनुमोदन की अपेक्षा दर्शाता है। अलग प्रयोक्तओं के पास अलग अनुमोदन प्रक्रिया होती है क्योंकि कुछ प्रयोक्ता अनुमोदन की ट्रैकिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल का प्रयोग करते हैं जबकि अन्य प्रयोक्ता ईमेल पत्र द्वारा अनुमोदन देते हैं।

xiii. *** के साथ ईमेल पत्राचार यह दर्शाता है कि संबद्ध वस्तु को केवल बल्क ट्रायल प्रयोजनों के लिए आपूर्ति किया गया है और उन्हें जांच अवधि के बाद भी फाइन-ट्यून किया जा रहा था। यह दर्शाता है कि वस्तुएं पूर्व में स्वीकृत नहीं हुई थी। इसके अलावा, दिनांक 20 जून, 2024 का प्रयोक्ता के ईमेल का उत्तर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में नहीं था।

xiv. *** के साथ ईमेल पत्राचार दर्शाता है कि ब्रोमोबुटाइल की आपूर्ति ट्रायल हेतु की गई थी और यह प्रयोक्ताओं द्वारा अपेक्षित विनिर्देशनों से बाहर था। घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए क्लोरोबुटाइल को सकारात्मक फीडबैक प्राप्त हुआ।

xv. घरेलू उद्योग द्वारा उक्त प्रयोक्ताओं को आपूर्ति की गई मात्रा (20-75 मी.ट.) दर्शाती है कि ये केवल ट्रायल प्रयोजनों के लिए हैं। यह बात एटीएमए की सदस्य कंपनियों द्वारा लगभग 4500-5000 मी.ट. के आयात से स्पष्ट है।

xvi. जेके टायर, ब्रिजस्टोन इंडिया और सीएट ने आज की तारीख तक आवेदक से उच्च मूनी विस्कोसिटी वाला ब्रोमोबुटाइल नहीं खरीदा है क्योंकि वह उपभोक्ताओं के विनिर्देशनों के अनुसार नहीं है।

xvii. यह निष्कर्ष कि घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक मात्राएं बेची हैं, सही नहीं है, क्योंकि घरेलू उद्योग केवल वाणिज्यिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वाणिज्यिक मात्राएं बेच सकता है। यह निष्कर्ष 2023-24 और 2024-25 से संबंधित आंकड़ों और खंडन अनुरोधों में प्रस्तुत ईमेल पत्राचारों पर आधारित है जिन्हें अन्य पक्षकारों के साथ शेयर नहीं किया गया था ताकि वे उन पर टिप्पणी कर सकें।

xviii. प्राधिकारी ने विरोधाभासी निष्कर्ष निकाला था कि घरेलू उद्योग ने प्रयोक्ता विनिर्देशनों के अनुसार वस्तुओं की वाणिज्यिक आपूर्ति की है, जबकि दूसरी जगह यह भी बताया गया कि उद्योग पाटन के कारण वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा में असमर्थ है।

xix. विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर देरी से विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि पीयूसी/पीसीएन अधिसूचना के जारी होने के समय दायरे को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

xx. बीआईआईआर को उत्पाद के दायरे से बाहर रखने संबंधी टिप्पणियों की देरी से बताकर अनदेखी की गई है। यद्यपि तथ्य यह है कि घरेलू उद्योग ने केवल बीआईआईआर के अनुमोदित ग्रेडों की वाणिज्यिक आपूर्ति नहीं की है, यह बात जांच की प्रक्रिया के दौरान ही सामने आई। ऐसी टिप्पणियों की केवल इसलिए अनदेखी करना कि ये देरी से की गई हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा एडी करार के अनुच्छेद 6.1 का उल्लंघन है।

xxi. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए और भारत में आयातित उत्पाद की सुरक्षा और गुणवत्ता में अंतर, घरेलू उद्योग के अनुमोदित तुलनीय ग्रेडों के अभाव और अपवर्जन की आवश्यकता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोधों पर विचार नहीं किया है। 42 एमयू से अधिक उच्च मूनी विस्कोसिटी ब्रोमोबुटाइल अर्थात ब्रोमोबुटाइल 2255, ब्रोमो 2244, बीबीएक्स2 और आई2155 को बाहर रखने की जरूरत है।

xxii. प्रकटन विवरण में दी गई तुलना दर्शाती है कि ग्रेड 2255, 7244 और बी2247 ब्रोमाइन (एमओएल%), ब्रोमाइन (डब्ल्यूटी%) और एंटीऑक्सीडेंट (डब्ल्यूटी%) की दृष्टि से काफी अलग है। इस प्रकार, इन ग्रेडों को तुलनीय नहीं माना जा सकता है।

xxiii. प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा कम विस्कोसिटी, उच्च विस्कोसिटी और उच्च ब्रोमाइन ग्रेडों के उत्पादन और बिक्री से संबंधित पृथक सूचना नहीं मांगी थी। घरेलू उद्योग ने उपभोक्ताओं से मांग के बावजूद वाणिज्यिक मात्रा में उच्च विस्कोसिटी और उच्च ब्रोमाइन ग्रेडों का उत्पादन नहीं किया है। घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उच्च विस्कोसिटी ग्रेड केवल परीक्षण और नमूना प्रयोजनों के लिए थे।

xxiv. प्राधिकारी ने ग्रेड आई2155 और कम मूनी विस्कोसिटी ग्रेड से संबंधित अनुरोधों की जांच नहीं की है। घरेलू उद्योग के पास ऐसे ग्रेड के उत्पादन की क्षमता नहीं है क्योंकि ऐसे ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए ऐसे ग्रेडों के आयातों के कारण क्षति नहीं हो सकती है।

xxv. स्टार-ब्रांचच्ड बुटाइल को बाहर रखना अनिवार्य है क्योंकि घरेलू उद्योग के पास इसके उत्पादन की क्षमता नहीं है और इसलिए उसे इसके आयातों के कारण क्षति नहीं हो सकती है।

xxvi. प्रकटन विवरण में रूसी उत्पादक द्वारा किए गए अनुरोधों को अस्वीकृत करने के कारण, लागू तथ्यों और प्रस्तुत उत्तर को अस्वीकृत किए जाने के प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है।

xxvii. रूसी उत्पादक और इसके संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को इस आधार पर अस्वीकृत करना चाहिए कि उनके असंबंधित व्यापारी (ट्रिगोन) ने जांच में भाग नहीं लिया है। निर्यातक असंबंधित कंपनी को भागीदारी के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। सहयोगी उत्पादक और उसकी संबंधित कंपनी ने आयातक देश को अपनी सभी बिक्रियों की सूचना दी है, चाहे वे असंबंधित व्यापारी के ज़रिए की गई हों क्योंकि बिक्री के समय उत्पादक को जानकारी है कि वस्तुओं का घनत्व जांच का देश है। समस्त आवश्यक सूचना प्राधिकारी को दी गई थी।

xxviii. मैनुअल में गलत बताया गया है कि कुल मात्रा के 30% से अधिक का असंबंधित व्यापारियों के जरिए निर्यात करने वाले उत्पादकों के उत्तर को अस्वीकृत करना चाहिए क्योंकि असंबंधित व्यापारी ने भागीदारी नहीं की है। आस्ट्रेलिया, यूएसए और यूरोपीय आयोग सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर पाटन मार्जिन की गणना कर रहे हैं, जहां असंबंधित पक्षकारों ने भागीदारी नहीं की है। प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जांचों, जैसे पोलीप्रोपीलीन, पोलिएस्टर स्टेबल फाइबर और स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों में एक व्यापारी कंपनी द्वारा उत्तर नहीं देने पर भी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर को स्वीकार किया है।

xxix. प्राधिकारी को कुल उत्पादन लागत के बजाए बिक्री लागत पर विचार करते हुए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण करने की संगत प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, जैसा एक्सोन ग्रुप के लिए किया गया है।

xxx. सामान्य मूल्य को उत्पादक द्वारा रखे गए रिकॉर्डों के आधार पर निर्धारित करना चाहिए बशर्ते कि ऐसे रिकॉर्ड निर्यातक देश के जीएएपी के अनुसार अनुरक्षित हों चूंकि जेबीसी की बही को जापानी जीएएपी के अनुसार रखा जाता है, इसलिए लागत पर बही खातों में यथा-प्रदर्शित रूप से विचार किया जाना चाहिए।

xxxi. जेबीसी ने जांच अवधि के दौरान विनिर्मत तथा पूर्व वर्ष के स्टॉक से संबद्ध वस्तु की घरेलू बाजार में बिक्री की है। इस प्रकार, लागत पर मालसूची तथा अप्रत्यक्ष बिक्री लागत के लिए समायोजन के बाद विचार किया जाना चाहिए।

xxxii. प्राधिकारी ने जेबीसी की कुल उत्पादन लागत के साथ कारखानाद्वार बिक्री कीमत की तुलना की है। तथापि, यह तुलना व्यापार के समान स्तर पर की जानी चाहिए।

xxxiii. प्राधिकारी ने जेबीसी की लागत के निर्धारण के समय अन्य आय और स्क्रैप से आय के लिए पूर्ण क्रेडिट की अनुमति नहीं दी है चूंकि ऐसी आय कंपनी स्तर पर होती है, इसलिए इसे उपयुक्त अनुपात के आधार पर विचाराधीन उत्पाद में आबंटित करना चाहिए।

xxxiv. व्यापार के स्तर के लिए समायोजन की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि निर्यातक बाजार में बिक्रियां प्रयोक्ताओं को घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों के मुकाबले एक व्यापारी को की गई हैं। प्रयोक्ता को बेची गई औसत मात्रा जांच अवधि के दौरान एमआरएफ एसजी को बेची गई मात्रा से काफी कम है। चूंकि एमआरएफ एसजी भारी मात्रा में खरीद करता है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि उनकी बिक्रियां प्रयोक्ताओं को की गई हैं। यदि एमआरएफ एसजी और एमआरएफ इंडिया को एकल आर्थिक कंपनी माना जाता है तो उन्हें व्यापारी माना जाना चाहिए।

xxxv. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए खपत हुए आबद्ध इनपुट की लागत को ईएमएपीपीएल और ईएमसीएल के लिए अंतरण कीमत में निर्मित लाभ को बाहर रखने के लिए समायोजित करना चाहिए। यह अनुच्छेद 2.2.1.1 की अपेक्षाओं और ईयू - बायोडीजल में सम्मुक्तियों के अनुसार आवश्यक है, क्योंकि लाभ संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए वास्तव में आई लागत नहीं है। यही बात भारत में लागत लेखांकन मानकों और यूएसडीओसी की प्रक्रिया से भी संगत होगी।

xxxvi. जांच अवधि के दौरान स्टार्टअप प्रचालनों के लिए आई लागत हेतु समायोजन करना चाहिए। ईएमएपीपीएल के संयंत्र ने जांच अवधि के दौरान कम क्षमता उपयोग पर कार्य किया है क्योंकि यह लंबे समय के लिए प्रचालन में नहीं

रहा है। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागतों में अक्षमताओं के लिए समायोजन किया जाना चाहिए। यह बात प्लेन जिप्सम प्लास्टर बोर्ड में प्राधिकारी के निष्कर्षों से संगत है।

xxxvii. जांच अवधि के दौरान, सुविधाओं की लागत/स्थिर लागत के लिए समायोजन करना चाहिए जब ईएमएपीपीएल और ईएमपीएससी के संयंत्र शटडाउन का सामना कर रहे थे क्योंकि ऐसी लागतें अनावर्ती स्वरूप की हैं। पाटनरोधी करार के अन्तर्गत ऐसी अनावर्ती लागत मदें जिनसे वर्तमान उत्पादन में लाभ होता हो, को यह सुनिश्चित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है कि केवल उचित लागतों को विचाराधीन उत्पाद के लिए आबंटित किया जाए।

xxxviii. ईएमपीएससी के लिए अपोलो सिंगापुर के जरिए, निर्यातित मात्रा हेतु परिकलित पहुंच कीमत में एक लिंकिंग/गणितीय त्रुटि है।

xxxix. अपोलो सिंगापुर के जरिए निर्यातों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों को लागू करने पर प्राधिकारी को कम से कम अपोलो इंडिया द्वारा सूचित कीमत पर भरोसा करना चाहिए। इसके अलावा, सहयोगी उत्पादकों द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर समायोजनों को उनके द्वारा किए गए ऐसे खर्चों की सीमा तक निर्धारित किया जाना चाहिए था।

xl. पाटनरोधी करार के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी को उन्हें दी गई समस्त सूचना पर विचार करना चाहिए और जहां वे उपलब्ध तथ्य और गौण स्रोतों से प्रयोक्ता सूचना को लागू करते हैं, वहां उसे जांच के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त सूचना सहित अन्य स्वतंत्र स्रोतों के साथ मिलाना चाहिए। इस बात पर चीन-ब्रोइलर उत्पाद के मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल ने जोर दिया था।

xli. चीन - जीओईएस और यूएस -पाटन और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (कोरिया) मामले में डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान निकाय ने माना है कि असहयोग गलत अनुमान को या किसी वास्तविक आधार के बिना निर्धारणों को उचित नहीं ठहराता है, जांचकर्ता प्राधिकारी केवल अप्राप्त सूचना को प्रतिस्थापित कर सकते हैं।

xlii. चूंकि ईएमएपीपीएल और अपोलो इंडिया ने वर्तमान मामले में भागीदारी की है, इसलिए मार्जिनों के निर्धारण संबंधी समस्त आवश्यक सूचना प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। अपोलो, सिंगापुर के वित्तीय विवरण भी प्राधिकारी के पास उपलब्ध हैं, जो दर्शाते हैं कि अपोलो सिंगापुर ने ***% के सकल लाभ और ***% के निवल लाभ पर अपोलो इंडिया को वस्तुएं बेची हैं।

xliii. चूकि प्राधिकारी ने अपोलो सिंगापुर और अपोलो इंडिया को वास्तव में एक आर्थिक कंपनी माना है, इसलिए अपोलो सिंगापुर से असहयोग के कारण उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

xliv. निर्यातकों का अपोलो सिंगापुर के सहयोग के निर्णय या उसके प्रचालन ढांचे पर कोई नियंत्रण नहीं है। एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में अपोलो सिंगापुर के असहयेाग से विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर निर्यातकों के संबंध में निर्धारण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि अपोलो सिंगापुर की बिक्रियां कुल निर्यातों का मामूली हिस्सा हैं और वे केवल सिंगापुर कार्यालय के जरिए बीजीकीकृत की गई है।

xlv. आईआईआर मामले में, यद्यपि सीआईएईएल एसजी ने भागीदारी नहीं की थी, तथापि, प्राधिकारी ने पहुंच कीमत और निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए सीआईएईएल इंडिया द्वारा प्रदत्त सूचना पर भरोसा किया था।

xlvi. आईआईआर मामले की तरफ व्यापार के स्तर के समायोजन की अनुमति दी जानी चाहिए। यह समायोजन आवश्यक है क्योंकि व्यापारियों के ज़रिए निर्यात अंतिम प्रयोक्ताओं को घरेलू बिक्रियों से इतर व्यापार के अलग स्तर पर किया गया है। व्यापारी अपना स्वयं का मार्जिन जोड़ते हैं और बिक्री करने के लिए लागत का वहन हैं।

xlvii. प्राधिकारी निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य ज्ञात करने हेतु अरलैंक्सियो की उत्पादक लागत की पद्धति और समायोजनों का प्रकटन करने में विफल रहे हैं।

xlviii. एनकेएनएच द्वारा प्रस्तुत उत्तर को अस्वीकृत करना चाहिए क्योंकि ट्राइगोन इंटरनेशनल(एस) पीटीई लिमिटेड द्वारा भागीदारी नहीं की गई है।

xlix. यह जांच करने के लिए कि क्या वर्तमान मामले को आयातों के कारण वास्तविक मंदी का मामला माना जाना चाहिए, यह जांच करने की जरुरत है कि घरेलू उद्योग के कौन से ग्रेडों को अनुमोदन मिला है, अनुमोदन कम मिला था, इस दावे को सिद्ध करने के लिए क्या साक्ष्य दिए गए हैं और कौन से प्रयोक्ताओं ने यह अनुमोदन दिया है।

l. प्राधिकारी ने मोरक्को -हॉट-रोल्ड स्टील के निर्णय में प्रदत्त मार्गदर्शन का उल्लंघन किया है, जिससे उनके स्वयं के मापदंड बने हैं, जिनके कारण पूर्व निर्धारित निष्कर्ष निकले हैं।

li. इस निष्कर्ष के संबंध में कि वर्तमान मामला वास्तविक मंदी से संबंधित है, प्राधिकारी को डीसीसी के आयातों की जांच में निर्धारित दोहरी दशाओं के आलोक में इसकी जांच करनी चाहिए।

lii. चूंकि घरेलू उद्योग को 25% से अधिक के बाजार हिस्से के साथ जांच अवधि के दौरान वाणिज्यिक मात्रांए हासिल हुई हैं, इसलिए उसे स्थापित मान लेना चाहिए।

liii. आईआईआर से एचआईआईआर के उत्पादन की लागत में 50% का मूल्यवर्धन नहीं हो सकता है क्योंकि आईआईआर, एचआईआईआर के उत्पादन की प्रमुख लागत है। आईआईआर से एचआईआईआर के उत्पादन में केवल ब्रोमाइन या क्लोरीन के साथ हैलोजिनेशन अपेक्षित है। प्राधिकारी ने यूके में एक्सोन की उत्पादन सुविधा का भी सत्यापन किया है जिसमें प्राधिकारी ने आईआईआर के उत्पादन और ब्रोमाइन/क्लोरीन को मिलाने के लिए हैलोजिनेशन टैंक तक जाने वाली विस्तार लाइन के लिए अपेक्षित उत्पादन उपकरण की निगरानी की है।

liv. पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य आयातों को रोकना नहीं है और घरेलू उद्योग को लाभप्रदता का आदर्श स्तर प्राप्त कराना है।

lv. वास्तविक मंदी की जांच करते समय, प्राधिकारी ने सकारात्मक गतिविधियों को कम बताते हुए घरेलू उद्योग के ऋणात्मक निष्पादन को दर्शाने वाले मापदंडों को जानबूझकर मुख्य रूप से दर्शाया है।

lvi. आधार का प्रकटन किए बिना परियोजना रिपोर्ट पर अधिक निर्भरता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है, ऐसा विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि यह रिपोर्ट कोविड-19 के प्रकोप, मांग-आपूर्ति में परिवर्तन, उत्पादन लागत समायोजन और उत्पाद के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में संभावित बदलाव सहित अनेक कारणों से पुरानी हो सकती है।

lvii. परियोजना रिपोर्ट से तुलना बाजार की वर्तमान स्थिति को दर्शाने के लिए समायोजन करने के बाद ही की जानी चाहिए।

lviii. कोई ब्याज या स्टार्अ-अप लागत, जिस पर क्षति विश्लेषण के लिए विचार किया गया था, को बाहर रखा जाना चाहिए।

lix. आईआईआर के मामले की तरह, प्राधिकारी को 2020-21 को आधार वर्ष नहीं मानना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग ने इस अवधि के दौरान केवल दो महीनों के लिए प्रचालन किया है।

lx. अनुमानित बिक्री कीमत के आधार पर कीमत कटौती की जांच सही नहीं है क्योंकि इससे कीमत कटौती का मूल्यांकन कम कीमत पर बिक्री की ओर शिफ्ट हो जाता है। अनुमानित बिक्री कीमत के प्रयोग से घरेलू उद्योग की कीमतों पर वास्तविक स्थिति और आयातों के वास्तविक प्रभाव का पता नहीं चलता है।

lxi. प्राधिकारी ऋणात्मक कीमत कटौती को मानने में विफल रहे हैं और उन्होंने किसी समीक्षात्मक विश्लेषण के बिना इस संबंध में केवल घरेलू उद्योग के तर्क को स्वीकार किया है।

lxii. इस तथ्य के आधार पर कीमतह्रास का निर्धारण कि घरेलू उद्योग की अनुमानित और वास्तविक बिक्री कीमत के बीच अंतर लागत में अंतर से उच्चतर था, त्रुटिपूर्ण है क्योंकि लागत और कीमत को अलग कारकों से निकाला जाता है और उनमें बराबर या अनुपातिक गतिविधि होना आवश्यक नहीं है।

lxiii. घरेलू उद्योग की क्षमता को बाजार हिस्से से नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि उसके उत्पाद को उपभोक्ताओं का अनुमोदन नही मिला है और उसके पास कुछ ग्रेडों के उत्पादन की क्षमता नहीं है।

lxiv. प्राधिकारी ने अन्य आर्थिक मापदंडों के लिए वास्तविक बनाम अनुमानित विश्लेषण करते समय मालसूची के वास्तविक आंकड़ों की जानबूझकर जांच की है।

lxv. निर्यात बाजार में आपूर्ति करने की घरेलू उद्योग की केवल क्षमता का यह स्वत: अर्थ नहीं है कि वह विचाराधीन उत्पाद के घरेलू प्रयोक्ताओं द्वारा अपेक्षित उपयुक्त उत्पाद की आपूर्ति कर सकता है।

lxvi. यह तथ्य कि घरेलू उद्योग ने वैश्विक रूप से काफी मात्राओं का निर्यात किया है, दर्शाता है कि वह वास्तविक रूप से बाधित नहीं है।

lxvii. घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात बाजार में आपूर्ति किए जा रहे बाजार खंड की जांच करने की जरूरत है, ऐसा संभव है कि घरेलू उद्योग निर्यात बाजार में भेषज खंड की आपूर्ति कर रहा है जबकि भारतीय बाजार में टायर विनिर्माताओं की अधिकता है। इसके अलावा, निर्यात किए जाने वाले ग्रेडों, निर्यात के लिए समय सीमा की जांच करने की जरूरत है और क्या घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात के बाजारों में टायर उद्योग विकसित है।

lxviii. यह निर्धारण कि घरेलू उद्योग ने बिक्री लागत से कम कीमत पर बिक्री की है, सही नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता हासिल की है और फरवरी, 2021 में उत्पादन शुरु करने, क्लोरोबुटाइल की धीमी अनुमोदन प्रक्रिया और ब्रोमोबुटाइल का अनुमोदन नहीं मिलने के बावजूद अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि की है।

lxix. याचिकाकर्ता ने क्षमता विस्तार के लिए 360 करोड़ रु. का पूंजी निवेश जुटाया है, जिससे पता चलता है कि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित नहीं हुई है।

lxx. कारणात्मक संबंध में व्यवधान है क्योंकि घरेलू उद्योग को क्षति संबंधित रूसी कंपनी द्वारा पाटन के कारण हुई जो उसे स्व-आरोपित क्षति उच्च स्टार्टअप लागत को दर्शाता है।

lxxi. आरंभिक वर्षों में, निवेश लागत, आरंभिक स्टार्टअप समस्याओं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शुल्क, उत्पादन में बार बार रुकावट, सभी ग्रेड के उत्पादन की सिंगल लाइन, कोविड-19 के कारण वैश्विक रूप से बाजार में व्यवधान, रेंज के अभाव और उत्पाद की गुणवत्ता, जो उपभोक्ताओं की आशाओं और जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ थी, विनिर्देशन से अलग अधिक उत्पादन, उत्पाद ग्रेडों के लिए 2-3 वर्षों का लंबा अनुमोदन समय, 2021 से पहले उत्पाद के उत्पादन के लिए सिबुर के पास प्रौद्योगिकी का अभाव, उत्पाद के लिए बाजार में वैश्विक अति-क्षमता और कीमत अनुकूलन के कारण स्व-कार्य क्षति सहित अनेक कारकों के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है। डब्ल्यूटीओ कानून के अनुसार, गैर-आरोपण विश्लेषण के लिए भारत में अधिक क्षमता के बजाए वैश्विक अधिक क्षमताओं पर विचार किया जाना चाहिए।

lxxxii. मूल्य ह्रास और ऋण शोधन पर विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें केवल वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत के बाद प्रभारित किया गया है।

lxxxiii. नियोजित पूंजी पर 22% की आय पर विचार करना सही नहीं है क्योंकि वैश्विक रूप से वर्तमान में उत्पादन एक अंकीय आय अर्जित कर रहे हैं।

lxxiv. प्राधिकारी ने इस अनुरोध की जांच नहीं की है कि घरेलू रूप से अनुपलब्ध ग्रेडों पर पाटनरोधी शुल्क लगने से प्रयोक्ताओं की कीमतें पूरी तरह प्रभावित होंगी।

lxxv. आयातित ग्रेड को घरेलू रूप से विनिर्मित ग्रेड से प्रतिस्थापित करना संभव नहीं है क्योंकि उसके लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं हुए हैं और इसमें महत्वपूर्ण सुरक्षा और विनियामक विचार शामिल हैं।

lxxvi यद्यपि एचआईआईआर समग्र टायर का एक नगण्य घटक है, तथापि एचआईआईआर पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को अलग से

नहीं देखा जाना चाहिए। आईआईआर और अघुलनशील सल्फर सहित टायर उद्योग की विभिन्न कच्ची सामग्री पर पाटनरोधी शुल्क के संचयी प्रभाव का आकलन करना आवश्यक है।

lxxvii. पाटनरोधी शुल्क लागू करने से न केवल प्रयोक्ता उद्योग की लागत में वृद्धि होगी, बल्कि भारतीय डाउनस्ट्रीम उद्योग के प्रतिस्पर्धात्मकता में भी कमी आएगी।

lxviii. आईआईआर मामले के विपरीत एचआईआईआर बाजार विभिन्न ग्रेडों में बंटा हुआ है और घरेलू उद्योग इनमें से कुछ ग्रेडों का विनिर्माण और आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हैं। इस प्रकार, आईआईआर पर शुल्क लागू नहीं करने से आईआईआर पर शुल्क निष्प्रभावी नहीं हो जाएगा।

lxxix. आत्मनिर्भरता का उद्देश्य बाजार को एकाधिकारी बनाना नहीं होना चाहिए।

lxxx. एचआईआईआर की खपत को 210 ग्राम प्रति टायर लेना गलत है क्योंकि यह 2 किलोग्राम एचआईआईआर प्रति टायर है।

lxxxi. शुल्क का प्रभाव टायर उद्योग की आय की दृष्टि से नहीं बल्कि लाभ के अनुसार देखा जाना चाहिए।

ट.2 <u>घरेलू उद्योग के अनुरोध</u>

219. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रकटन पश्चात अनुरोध किए गए हैं।

i. प्राधिकारी ने यह विचार किया है कि आवेदक एनकेएनएच से संबंधित है। तथापि, यह सही नहीं है क्योंकि आवेदक के प्रचालनों पर सिबुर का कोई वास्तविक या न्यायिक नियंत्रण नहीं है।

ii. यह अस्पष्ट है कि क्या ईएमएपीपीएल के लिए उत्पादन की लागत में स्टार्टअप प्रचालनों और शटडाउन लागतों के लिए समायोजन शामिल हैं। घरेलू उद्योग के लिए टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उत्पादन लागत की गणना हेतु अपनाई गई पद्धति को प्रकट करने की जरूरत है।

iii. स्टार्अअप लागतों के समायोजनों की अनुमति नहीं देनी चाहिए क्योंकि ईएमएपीपीएल ने जांच अवधि के पहले उत्पादन शुरु किया है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि स्टार्टअप लागतों में जांच अवधि के आंकड़ों को प्रभावित किया है। अनुबंध 2.2.1.1 केवल जांच अवधि में स्टार्टअप लागतों के समायोजनों से संबंधित है। यूएसडीओसी केवल तब स्टार्टअप लागतों के समायोजन की अनुमति देता है जब किसी उत्पादक के पास ऐसे नए उत्पाद के उत्पादन के लिए नई उत्पादन सुविधा हो जिसमें काफी निवेश की आवश्यकता हो और उत्पादन का स्तर वाणिज्यिक उत्पादन के आरंभिक चरण में तकनीकी कारकों द्वारा सीमित हो। उत्पादक इन कारकों को दर्शाने में विफल रहा है।

iv. ईएमएपीपीएल में क्षति अवधि के बाद भी स्टार्टअप लागतें नहीं आती हैं जो एक्सोन मोबिल कारपोरेशन की वार्षिक रिपोर्ट से स्पष्ट है जिसमें उल्लेख है कि उसने 2018 में स्टार्टअप प्रचालन पूरे कर लिए थे और 2019 में वाणिज्यिक उत्पादन घोषित किया।

v. ईएमएपीपीएल का कम क्षमता उपयोग तकनीकी कारकों की वजह से नहीं है बल्कि सिंगापुर में घरेलू मांग की कमी के कारण है। क्लियर फ्लोट ग्लास के आयातों संबंधी पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने माना था कि स्टार्टअप लागतें तकनीकी समस्याओं के कारण कठिनाई से संबंधित हैं और न कि किसी अन्य कारण की वजह से उत्पादन के धीमे होने से। यूएसडीओसी ने इंडोनेशिया से आयातों में उचित से कम मूल्य की जांच में स्टार्टअप लागत के समायोजन को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उत्पादक निम्न में विफल रहा (क) यह दर्शाने में कि उत्पादन के स्तर सीमित थे, (ख) यह दर्शाने में कि नए उपकरण की खरीद और परीक्षण से उत्पादन में देरी हुई, (ग) सामने आए तकनीकी कारकों की पहचान करने में और (घ) यह स्पष्ट करने में कि आरएंडडी की लागतें कैसे तकनीकी कठिनाई बनती हैं।

vi यह तथ्य कि ईएमएपीपीएल परियेाजना रिपोर्ट पर भरोसा कर रहा है, का यह अर्थ है कि नए संयंत्र के सामने ऐसी कोई तकनीकी कठिनाई नहीं आई

है जिसने उत्पादन के उच्चतर स्तर में बाधा डाली है। संयंत्र के उत्पादन का कम स्तर अन्य कारकों की वजह से है।

vii. पाटनरोधी करार के अनुसार, स्टार्टअप लागतों को स्टार्टअप अवधि के अंत में लागत या बिल्कुल हाल की लागत को दर्शाते हुए, विचार करना चाहिए, यदि स्टार्टअप प्रचालन जांच की अवधि के बाद हुए हों। इस प्रकार परियोजना रिपोर्ट पर निर्भर रहना सही नहीं है। यही बात प्राधिकारी ने क्लियर फ्लोट ग्लास के आयातों संबंधी पाटनरोधी जांच में मानी थी।

viii. अनुच्छेद 2.2.1.1 में उल्लेख है कि कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, लागतों पर सामान्य रूप से विचार करना चाहिए। इस प्रकार, शटडाउन लागतों संबंधी समायोजन को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चूंकि उत्पादक ने लाभ और हानि की राशि ज्ञात करने में ऐसे खर्चों को बाहर नहीं रखा है, इसलिए इस संबंध में समायोजन करने की कोई जरुरत नहीं है।

ix. शटडाउन लागतों के समायोजन के लिए पाटनरोधी करार के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं है।

x. शटडाउन लागत के समायोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि व्यय की प्रकृति अनावर्ती नहीं है। नार्वे से फार्म्ड सालमन संबंधी ईसी-पाटनरोधी उपाय में डब्ल्यूटीओ पैनल ने माना था कि गैर-आवर्ती लागत एक अलग लागत माननी चाहिए। पैनल ने गैर-आवर्ती लागतों को ऐसी लागतें समझा था जिससे एक अवधि में लाभ लिया जाता है जैसे पूंजीगत प्रकृति की लागत, पूंजी कार्य प्रगति या आस्थगित व्यय।

xi. समायोजन केवल गैर-आवर्ती लागतों के लिए किए जा सकते हैं जो भावी या वर्तमान पाटन में लाभ देती हैं और असाधारण या असामान्य लागतें नहीं हैं। ऐसी नेमी लागतों के लिए कोई समायोजन नहीं किया जा सकता जिनका वहन कोई संयंत्र आमतौर पर करता है।

xii. अनुच्छेद 2.2.1.1 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I में यह अपेक्षित है कि उत्पादन लागत को विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन से संबंधित लागतों के संबंध में निर्धारित किया जाए। यह आवश्यक नहीं है कि लागतों से

उत्पादन में लाभ होना चाहिए। इस संबंध में ईसी-सालमन (नार्वे) मामले में पैनल के निर्णय पर भरोसा किया गया था।

xiii. उत्पादन की वास्तविक लागत की अनदेखी नहीं की जा सकती है क्योंकि वे ऐसी परिकल्पित लागते हैं जिनका वहन अलग किया जा सकता है। अर्जेन्टीना से बायोडीजल पर ईयू-पाटनरोधी उपायों मामले में पैनल ने माना था कि उत्पादक के रिकॉर्डों में वास्तव में वहन की गई और दर्ज लागत पर विचार किया जाना चाहिए।

xiv. यहां तक कि अन्य क्षेत्राधिकार जैसे यूएस और ईयू अस्थाई शटडाउन के लिए शटडाउन लागत समायोजन को स्वीकार नहीं करते हैं। जहां तक कि कोविड संबंधी शटडाउन लागतें, जो उत्पादकों के नियंत्रण से बाहर थीं, को भी स्वीकार नहीं किया गया। वर्तमान मामले में ईएमएपीपीएल ने अपने संयंत्र को अपने स्वयं के विवेकाधिकार पर बंद किया था।

xv. कीमत कटौती को केवल उन सौदों पर विचार करने के बाद निर्धारित करना चाहिए जहां आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट ने माना था कि यदि ऐसे कीमत स्तर पर आयातों की मात्रा घरेलू उद्योग की कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए।

xvi. नियोजित पूंजी के प्रयोजनार्थ, निवल स्थिर परिसंपत्तियों और वास्तविक लागत की गणना के तरीके को घरेलू उद्योग को बताया जाना चाहिए।

xvii. रसायानों की लागत और क्षति रहित कीमत के निर्धारण में प्रयोग किए गए प्रेरक पर विचार करने की जरुरत है। ये संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए किए गए खर्च हैं और इसलिए इन्हें बाहर नहीं रखा जा सकता है। इन पर आईआईआर के आयातों में पाटनरोधी जांच में क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए विचार किया गया था।

xviii. मूल्यह्रास पर क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए विचार किया जाना चाहिए। जब तक मूल्यह्रास की लागत पर विचार नहीं किया जाता तो

सिफारिश की गई शुल्क की राशि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, जैसा नियम 4 और नियम 17 में उल्लिखित है नियमावली का अनुबंध-III भी मूल्यह्रास लागत पर विचार करने को आवश्यक बनाता है।

xix. चूंकि खपत मानक और ईष्टतम क्षमता उपयोग पर परियोजना रिपोर्ट के आधार पर विचार किया गया है, इसलिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के उस स्तर के आधार पर क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है जिसे यदि वह स्थापित होता तो हासिल करता। ऐसे मामले में, मूल्यह्रास घरेलू उद्योग द्वारा प्रभारित किया जाता और परियोजना रिपोर्ट में भी सूचित किया गया होता। यदि घरेलू उद्योग स्थापित होता तो उसने मूल्यह्रास लागत का वहन किया होता।

xx. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना है कि शुल्क लागू होने से क्षति का उपचार होना चाहिए और उस उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क को ऐसे तरीके से निर्धारित करना चाहिए कि उससे उद्योग की स्थापना हो सके, इसका अर्थ है कि घरेलू उद्योग की मौजूदा और भावी लागत समझना, दोनों पर विचार किया जाना चाहिए।

xxi. क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए निवल स्थिर परिसंपत्ति के पूरे होने पर विचार करने की जरुरत है। अनुबंध-III के पैरा (viii) में उल्लेख है कि पुनर्मूल्यांकन को छोड़कर बही खातों के अनुसार परिसंपत्तियों पर विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार, ट्रायल रन की लागतों को अलग करने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाना चाहिए। वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा से पहले, कंपनी को कोई लाभ या घाटा नहीं हुआ है। खर्चों को पूंजीकृत किया गया है जबकि आय को परिसंपत्तियों से घटाया गया है।

xxii. यदि ट्रायल रन की लागत को अलग भी रखा जाए तो भी विचार की गई निवल स्थिर परिसंपत्तियां घरेलू उद्योग की पूरी संपत्ति को शामिल नहीं करती हैं।

xxiii. पाटनरोधी शुल्क लागू करने की जरुरत है क्योंकि उत्पाद के लिए प्रौद्योगिकी काफी विनियमित है और भारत में घरेलू उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी प्राप्त करने में काफी प्रयास लगते हैं।

xxiv. भारत में घरेलू उत्पादन समाप्त होने पर टायर उद्योग के लिए भू-राजनैतिक अशांति होने पर अनिवार्य कच्ची सामग्री की काफी कमी होने की संभावना है।

xxv. सिंगापुर में उत्पादकों के पास निर्यातों के लिए क्षमताएं हैं क्योंकि उस देश में कोई घरेलू मांग नहीं है। ऐसे मामले में, वे उचित व्यापार प्रक्रिया का पालन करने की स्थिति में नहीं हैं, जिससे उनके बाजार हिस्से में कमी आ सकती है।

xxvi. विचाराधीन उत्पाद की कीमत घरेलू उत्पादन की गैर-मौजूदगी में, उच्चतर थी। घरेलू उत्पादन के समाप्त होने पर उत्पाद की कीमत में वृद्धि होने की संभावना है और इससे डाउनस्ट्रीम उद्योग बुरी तरह प्रभावित होगा।

xxvii. पाटनरोधी शुल्क लगाना देश की आत्मनिर्भरता के अनुसार सही है।

xxviii. आवेदक ने न केवल संबद्ध वस्तु के संयंत्र की स्थापना में काफी निवेश किया है, बल्कि अपस्ट्रीम उत्पादों आईआईआर और एचपीआईबी के लिए भी निवेश किया है। पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाने से अपस्ट्रीम उत्पादों की भी अव्यवहार्यता हो जाएगी।

xxix. चूंकि आवेदक ने आईआईआर की आधी क्षमता एचआईआईआर के उत्पादन के लिए स्थापित की है, इसलिए एचआईआईआर पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाने से कंपनी पर समग्र रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह आईआईआर पर लागू पाटनरोधी शुल्क को निष्प्रभावी कर देगा।

xxx. एचआईआईआर टायर के उत्पादन के लिए एक अनिवार्य घटक है परंतु डाउनस्ट्रीम उद्योग की एक प्रमुख लागत नहीं है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ट.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

220. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियां दोहराई गई हैं जिनकी पहले ही अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराओं में उचित और पर्याप्त रूप से जांच की गई है। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों की प्राधिकारी द्वारा संगत समझे जाने पर नीचे जांच की गई है।

221. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि उनके कुछ अनुरोधों का प्रकटन विवरण में समाधान नहीं हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण का दायरा विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन करना है और प्राधिकारी ने इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक समझे जाने वाले सभी प्रस्तुतियों को ध्यान में रखा है।

222. कतिपय पक्षकारों ने जोर दिया है कि कतिपय उत्पाद अपवर्जनों संबंधी तर्क विलंब से नहीं थे और यह कि यदि तर्क देरी से भी दिए गए थे तो उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। पक्षकारों ने यह भी दावा किया है कि उत्पाद का दायरा पीसीएन और पीयूसी नोटिस के जारी होने के समय अंतिम रूप से निर्धारित नहीं हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि समय सीमा उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति के संबंध में अनुरोध करने के लिए थी। ऐसी समय सीमा पक्षकारों को उत्पाद अपवर्जन संबंधी सभी दावे करने के लिए अनुमत एक निश्चयात्मक समय सीमा होती है। तत्पश्चात, जांच के आगे बढ़ने पर प्राधिकारी ने ऐसे उत्पाद अपवर्जनों की विस्तार से जांच की। हितबद्ध पक्षकार प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित समय सीमा की अवहेलना नहीं कर सकते हैं और दावा नहीं कर सकते हैं कि जांच के संचालन के दौरान किसी भी समय पीयूसी पर टिप्पणी करना उनके लिए उचित है क्योंकि इससे समयबद्ध जांच की प्रगति खतरे में पड़ जाएगी जिसे प्राधिकारी नियमों के अनुसार करने के लिए अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने गुणावगुण के आधार पर किसी उत्पाद प्रकार को बाहर करना उचित नहीं पाया है।

223. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कानून में ऐसे उद्योग को क्षति पर विचार करने की भी अनुमति है जिसने अब तक उत्पादन शुरु नहीं किया है और केवल उत्पादन

के लिए पर्याप्त वचनबद्धता की है। इसका अर्थ है कि वास्तविक उत्पादन कुछ स्थितियों में शुरु भी नहीं हो सकता है और घरेलू उद्योग उत्पाद पर एडीडी की मांग करते हुए आवेदन दायर कर सकता है। ऐसी स्थिति में, जहां घरेलू उद्योग ने किसी ग्रेड का उत्पादन शुरु नहीं किया है, उसकी स्थापना देश में पाटन द्वारा बाधित होगी, यदि ऐसे उत्पाद को बाहर रखा जाता है। यदि घरेलू उद्योग के पास उत्पाद के उत्पादन की क्षमता है और उसने केवल इसलिए अब तक उत्पादन नहीं किया है क्योंकि घरेलू उद्योग अपनी स्थापना की प्रक्रिया में है तो यह बात उस उत्पाद को पीयूसी के दायरे में शामिल करने के लिए पर्याप्त है। ऐसे मामले में घरेलू उद्योग जो अब भी एक स्थापनारत उद्योग है और जिसने हाल में उत्पादन शुरु किया है, के लिए यह बिल्कुल नहीं माना जा सकता है कि उसे पाटित आयातों के विरुद्ध उपचार की मांग करने से पहले आयातित उत्पाद के समान विनिर्देशनों वाली वाणिज्यिक मात्राओं में सभी ग्रेडों का उत्पादन करना चाहिए था। इस आधार पर, स्थापनारत उद्योग संबंधी स्थिति पर उसी प्रकार से विचार नहीं किया जा सकता है जैसे स्थापित घरेलू उद्योग के लिए किया जाता है।

224. जांच की प्रक्रिया के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा करने के लिए निर्णयों और पूर्व जांचों पर भरोसा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा गैर-उत्पादित उत्पाद को उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए। तथापि, ये निर्णय और फैसले ऐसी स्थिति से संबंधित हैं, जहां घरेलू उद्योग एक स्थापित उद्योग था और पर्याप्त लंबे समय से(क्षति अवधि से अधिक अवधि) प्रचालन में रहा था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को पूर्व में पाटन से क्षति नहीं हुई थी और उसके पास उत्पाद की पूरी रेंज के उत्पादन और बिक्री का पूरा अवसर था। अत:, उद्योग को उत्पाद का विकास करने और प्रयोक्ताओं को उसकी आपूर्ति करने का अवसर दिया गया था। तथापि, वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग स्वयं को स्थापित कर रहा है और केवल थोड़ी अवधि के प्रचालन में है। अत:, उद्योग प्रत्येक ग्रेड का उत्पादन और उत्पाद की वाणिज्यिक मात्रा में प्रयोक्ताओं को आपूर्ति करने का अवसर देने के लिए पर्याप्त लंबी अवधि के प्रचालन में नहीं है। इसके अलावा, जब घरेलू उद्योग को अपने उत्पादन की शुरुआत से पाटित आयातों से क्षति का सामना करना पड़ा था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मांगे गए अधिकांश अपवर्जनों के लिए घरेलू उद्योग ने तुलनीय विशेषताओं वाले उत्पाद की वास्तव में आपूर्ति की है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि स्टार

ब्रांच्ड ब्यूटाइल एक समान वस्तु है, इसलिए इसे बाहर करने का कोई आधार नहीं है। इसके मद्देनजर प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किसी ग्रेड या घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता वाले ग्रेड को इस आधार पर बाहर रखना उचित नहीं मानते हैं कि उन्हें आयातित वस्तु के बिल्कुल समान विनिर्देशन के लिए प्रयोक्ताओं से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

225. इस तर्क के संबंध में कि आईआईआर से एचआईआईआर में मूल्यवर्धन 50% नहीं हो सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह महत्वपूर्ण है और एचआईआईआर का उत्पादन घरेलू उद्योग के मामले में आईआईआर के लिए उत्पादन लाइन का केवल एक विस्तार नहीं है, जैसी अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दलील दी है।

226. यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने दलील दी है कि नियम 2(ख) के अन्तर्गत विवेकाधिकार का गलत ढंग से प्रयोग किया गया है, तथापि विवेकाधिकार के गलत प्रयोग को सिद्ध करने के लिए कोई नया तथ्य या सूचना या न्याय-शास्त्र नहीं बताया गया है। चूंकि विवेकाधिकार के प्रयोग संबंधी तर्कों का पहले ही प्रकटन विवरण में समाधान किया गया था, इसलिए कोई अतिरिक्त जांच आवश्यक नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि रूसी उत्पादक द्वारा भागीदारी का अर्थ मिलीभगत का अभाव नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क लागू करने के अनुरोध और शुल्क लगाने की मांग करने वाले घरेलू उद्योग के आवेदन पर विवाद करते हुए रूसी उत्पादक, दोनों पक्षों के विरोधी हितों की मौजूदगी को दर्शाती है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 2(ख) के प्रावधान किसी घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग के दायरे से स्वत: बाहर नहीं करते हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने मिलीभगत को सिद्ध नहीं किया है। प्राधिकारी ने रिकार्ड में उपलब्ध सूचना की जांच की है और इस अंतिम निष्कर्ष के उचित खंड में यथा स्पष्ट अपनी जांच के आधार पर ऐसी परिस्थितियां नहीं पाई हैं जो मिलीभगत दर्शाती हैं और इसलिए आवेदक को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

227. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि प्रकटन विवरण अत्यधिक गोपनीयता से ग्रस्त है क्योंकि उपभोक्ताओं जिन्हें यह वस्तु बेची गई थी, के नाम, घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेड, अनुमोदन की तारीख और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा का प्रकटन नहीं किया गया है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि उस

सूचना जिसके लिए हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन की मांग की है, गोपनीय माना गया है। ऐसी सूचना का प्रयोक्ताओं ने भी प्रकटन नहीं किया है। एक ओर प्रयोक्ता यह तर्क नहीं दे सकते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपनी आपूर्ति के ब्यौरे का संरक्षण करके अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है जबकि दूसरी ओर अपनी स्वयं की खरीद के ब्यौरे गोपनीय होने का दावा करते हों। प्राधिकारी ने, सभी हितबद्ध पक्षकारों की गोपनीयता के दावों के संबंध में एक निष्पक्ष और भेदभाव रहित नीति अपनाई है। सभी हितबद्ध पक्षकारों की व्यापार स्वामित्व की सूचना को गोपनीय रूप में स्वीकार किया गया है, जहां यह माना गया है कि ऐसी सूचना का प्रकटन संबंधित पक्षकार के प्रतिस्पर्धी और व्यावसायिक हितों के लिए हानिकारक होगा।

228. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त पत्रों के विश्लेषण के लिए केवल एक दिन का समय दिया गया था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त पत्राचार पहले ही प्रयोक्ताओं के पास उपलब्ध था क्योंकि वे स्वयं उस पत्राचार का हिस्सा थे। इस प्रकार, उनके पास इसके विश्लेषण और खंडन के लिए पर्याप्त समय था।

229. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाया है। प्राधिकारी ने आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना सत्यापित की है। प्राधिकारी एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी हैं जो सभी पक्षकारों से सूचना मांगते हैं, नियम 8 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक जांच और सत्यापन करते हैं और इस प्रकार सभी पक्षकारों को अपने हितों के बचाव का अवसर देने के बाद अपना निर्धारण करते हैं। यदि हितबद्ध पक्षकारों के तर्क को स्वीकार किया जाता तो उसका अर्थ होगा कि निर्यातक और प्रयोक्ता से भी घरेलू उद्योग को समस्त गोपनीय सूचना देने के लिए कहना और घरेलू उद्योग को यह टिप्पणी देने का मौका देना कि क्या प्रदत्त सूचना सही है और इसके विपरीत प्रक्रिया का भी पालन करना होगा। सूचना का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित है और न कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा।

230. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग के संभावित निष्पादन का अगोपनीय सारांश शेयर नहीं किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी सूचना व्यापार स्वामित्व की प्रकृति की है और उसका प्रकटन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करता है कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनकी टिप्पणियां देने के लिए उचित

अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराया गया है और किसी हितबद्ध पक्षकार के हित से कोई पक्षपात नहीं हुआ है।

231. रूसी उत्पादक ने तर्क दिया है कि ऐसी कोई प्रावधान नहीं है जो उसके द्वारा प्रदत्त उत्तर को असंबंधित व्यापारी कंपनी द्वारा असहयोग के चलते प्राधिकारी को अस्वीकार करने की अनुमति देता हो। उत्पादक ने इस संबंध में अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों की प्रक्रिया पर भरोसा किया है और दावा किया है कि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए सभी आवश्यक तथ्य प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध थे। एनकेएनएच ने यह भी तर्क दिया है कि प्राधिकारी द्वारा जारी एसओपी का मैनुअल इस संबंध में गलत है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिनियम की धारा 9क *"निर्यात देश या क्षेत्र से निर्यातित वस्तु की कीमत ..."* के रूप में निर्यात कीमत को परिभाषित करती है। अत: अधिनयम में प्रावधान है कि निर्यातक देश से निर्यातित वस्तु पर विचार किया जाना चाहिए। तथापि, करार के अनुच्छेद 2.1 में उल्लेख है कि *"इस करार के प्रयोजनार्थ किसी उत्पाद को पाटित किया गया तभी माना जाएगा अर्थात सामान्य मूल्य से कम पर दूसरे देश में व्यापार की शुरुआत, यदि एक देश से दूसरे में निर्यातित उत्पाद की निर्यात कीमत व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान उत्पाद के लिए जब निर्यातक देश में खपत के लिए निर्धारित हो तो तुलनीय कीमत से कम हो "।* ऐसी स्थिति में जहां वस्तु किसी मध्यवर्ती निर्यातक को बेची गई है तो भारतीय बाजार में उत्पाद को निर्यातक द्वारा बेचने की कीमत वह कीमत होती है जिस पर वस्तु को भारत के व्यापार में लाया गया है। यह वह कीमत भी होती है जो घरेलू उद्योग को क्षति के लिए उत्तरदायी हो। भागीदारी के अभाव में, प्राधिकारी उस कीमत की जांच नहीं कर सकते हैं जिस पर निर्यातक ने भारतीय बाजार में बिक्री की है और क्या निर्यातक ने लाभ पर बिक्री की है। समस्त निर्यात वर्तमान मामले में असहयोगी निर्यातक के जरिए हुए हैं और ऐसे निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है। इसके अलावा, उत्पादक ने इस बात का पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिया है कि उसने सहयोग और प्रश्नावली का उत्तर लेने की अपनी सर्वोत्तम क्षमता से कार्य किया है।

232. इसके अलावा, प्राधिकारी ने दिनांक 8 सितंबर, 2024 के ईमेल द्वारा एनकेएनएच से कतिपय स्पष्टीकरण और सत्यापन दस्तावेज मांगे थे। अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादक से यह पूछा गया था कि व्यापारी/निर्यातक द्वारा असहयोग के बावजूद अलग पाटन मार्जिन कैसे निर्धारित किया जा सकता है। इसके अलावा, उत्पादक से यह

दर्शाने को कहा गया था कि सामग्री का वास्तव में भारत को निर्यात हुआ था और इसे भारतीय सीमा शुल्क को रूस के उद्गम की होने की जानकारी दी गई थी। समुद्री भाड़ा, कमीशन और ऋण लागत संबंधी अन्य स्पष्टीकरण किए गए थे। एनकेएनएच से यह स्पष्ट करने के लिए भी कहा गया था कि घरेलू बाजार में संबंधित पक्षकार को की गई बिक्रियां कैसे सुदूर आधार पर थीं। दिनांक 8 सितंबर, 2024 के एक अलग ईमेल के द्वारा, सत्यापन दस्तावेज मांगे गए थे। उक्त निर्यातक ने ऐसी सूचना देने के लिए 10 कार्य दिवसों तक समय बढ़ाने का अनुरोध किया था। तथापि, सत्यापन दस्तावेज विस्तारित समयावधि के भीतर भी प्रस्तुत नहीं किए गए बल्कि 16 अक्तूबर को विलंब से प्रस्तुत किए गए। मांगी गई अन्य सूचना के संबंध में, एनकेएनएच ने शामिल व्यापारी द्वारा असहयोग के बावजूद उत्तर को स्वीकार करने के कारण बताते हुए अपनी स्थिति के संबंध में दिनांक 8 नवंबर, 2024 को एक पत्र प्रस्तुत किया। तथापि उस समय भी मांगी गई अन्य सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी, विशेषरूप से एनकेएनएच ने यह स्पष्ट नहीं किया कि घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों को सुदूर आधार पर क्यों माना जाना चाहिए या यह नहीं दर्शाया कि वस्तुओं का वास्तव में भारत को निर्यात किया गया था। प्रदत्त सूचना और साक्ष्य के नहीं होने को देखते हुए, एनकेएनएच द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित करना संभव नहीं है।

233. ईएमएपीपीएल ने दावा किया है कि उसकी स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को समायोजित करना चाहिए क्योंकि जांच अवधि के दौरान वह स्टार्टअप प्रचालन का सामना कर रहा था। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि स्टार्टअप लागत के लिए कोई समायोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि जांच अवधि के दौरान ईएमएपीपीएल स्टार्टअप प्रचालन का सामना नहीं कर रहा था। घरेलू उद्योग ने एक्सोनमोबिल कारपोरेशन की वार्षिक रिपोर्ट और उसकी वैबसाइट पर भी भरोसा किया है जिसमें यह बताया गया है कि सिंगापुर में एचआईआईआर के संयंत्र में 2018 में उत्पादन शुरु हुआ और 2019 में वाणिज्यिक उत्पादन हासिल हुआ था। अत:, ईएमएपीपीएल ने जांच अवधि के दौरान स्टार्टअप प्रचालन का सामना नहीं किया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्टार्अअप प्रचालनों के लिए वहां समायोजन हो सकता है जहां जांच अवधि के दौरान प्रचालन संयंत्र के नए होने के कारण आई तकनीकी कठिनाइयों की वजह से प्रभावित हुए हों। प्राधिकारी मानते हैं कि स्टार्टअप प्रचालनों

के लिए समायोजन किए जा सकते हैं, यदि (1) कोई उत्पादक नई उत्पादन सुविधा का प्रयोग कर रहा हो या ऐसे नए उत्पाद जिसमें पर्याप्त निवेश अपेक्षित है, का उत्पादन कर रहा हो और (2) उत्पादन के स्तर वाणिज्यिक उत्पादन के आरंभिक चरण से जुड़े तकनीकी कारकों तक सीमित हों। वर्तमान मामले में, ईएमएपीपीएल जांच अवधि से पहले अनेक वर्षों से उत्पादन कर रहा है। अत:, संयंत्र को एक नई उत्पादन सुविधा नहीं माना जा सकता है। किसी भी तरह, ईएमएपीपीएल के सार्वजनिक विवरण दर्शाते हैं कि स्टार्टअप प्रचालन जांच अवधि से काफी पहले पूरे हो गए थे। इसके मद्देनजर प्राधिकारी ने स्टार्अअप प्रचालनों हेतु समायोजन करने को उपयुक्त नहीं माना है।

234. ईएमएपीपीएल और ईएमपीएससी ने भी शटडाउन अवधि के दौरान लागत के लिए समायोजन का दावा किया है। समायोजन का दावा इस आधार पर किया गया है कि गैर-आवर्ती प्रकृति की लागत थी। घरेलू उद्योग ने ऐसे समायोजन का विरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा (1) और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के प्रावधान लागत की ऐसी गैर-आवर्ती मदों के लिए उत्पादन लागत के समायोजन की अनुमति देते हैं जो भावी और/या वर्तमान उत्पादन में लाभ देते हों। ईसी - सालमन (नार्वे) मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल ने नोट किया है कि ऐसी गैर-आवर्ती लागतें एकल सौदे हैं, जैसे संयंत्र और पूंजीगत उपकरणों की खरीद। अनुच्छेद की भाषा और पैनल के अवलोकन यह बात स्पष्ट करते हैं कि भावी और/या वर्तमान उत्पादन को लाभ पहुंचाने वाली गैर-आवर्ती लागतों का अर्थ ऐसी लागतें हैं जिनका लाभ लंबी समयावधि में प्राप्त होगा। ये उन लागतों से संबंधित नहीं हैं जिन्हें जांच अवधि के दौरान वहन किया गया है परंतु उनसे उत्पादन नहीं हुआ है। अत:, केवल इसलिए कोई समायोजन नहीं किया जा सकता है कि उसमें आई लागत से उत्पादन नहीं हुआ था। कानून में अपेक्षित नहीं है कि केवल उत्पादन में लाभ वाली लागतों पर विचार किया जाए। उत्पादन से जुड़ी सभी लागतें उत्पादन लागत का एक हिस्सा होती हैं।

235. इस संबंध में ईयू -बायोडीजल के मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल की सम्मुक्तियां भी संगत हैं, जिनमें यह बताया गया था कि लागत को उत्पादक द्वारा किए गए वास्तविक खर्च के आधार पर निर्धारित करना चाहिए और न कि ऐसे कुछ परिकल्पित खर्चों के आधार पर जिन्हें विभिन्न दशाओं या परिस्थितियों में किया गया हो। प्राधिकारी यह

भी नोट करते हैं कि शटडाउन लागतों के रूप में दावा की गई लागतों को ईएमएपीपीएल और ईएमपीएससी के रिकॉर्डों में शटडाउन व्यय नहीं माना गया है। जब शटडाउन लागतों को लाभ तथा हानि विवरण से बाहर नहीं रखा गया था और स्वयं उत्पादक द्वारा लागत और खर्च का हिस्सा माना गया है तो उसे उत्पादन लागत से अलग रखने का कोई कारण नहीं है। उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी पाते हैं कि शटडाउन अवधि के दौरान आई लागत के लिए कोई समायोजन व्यवहार्य नहीं हैं।

236. ईएमपीएससी के लिए परिकलित पहुंच कीमत में परिकलन की त्रुटि के संबंध में, प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम में उसे सही कर दिया है।

237. ईएमपीएससी, ईएमसीएल और जेबीसी में व्यापार के स्तर में अंतरों के कारण समायोजन के लिए अपने अनुरोध को दोहराया है। हितबद्ध पक्षकारों का तर्क इस बात पर आधारित है कि चूंकि उन्होंने अपोलो सिंगापुर और एमआरएफ सिंगापुर को आपूर्ति की है, इसलिए ऐसे निर्यातों की कीमत उस कीमत की तुलना में कम है जिसे प्रयोक्ता से प्रभारित किया जाएगा। पक्षकारों ने तर्क दिया है कि व्यापारी अपना खुद का मार्जिन जोड़ते हैं और बिक्री करने की लागत का वहन करते हैं। प्राधिकारी ने यहां विस्तार से हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की पहले ही जांच की है। प्राधिकारी ने विशेष रूप से नोट किया है कि यद्यपि पक्षकारों ने व्यापार के स्तर में अंतर का दावा किया है, तथापि उन्होंने व्यापरियों द्वारा बिक्री के संबंध में निष्पादित विपणन कार्यों के मुकाबले अंतिम प्रयोक्ताओं की बिक्रियों के अंतर नहीं दर्शाए हैं। प्रकटन विवरण संबंधी टिप्पणियों में भी हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया है कि वे अंतिम प्रयोक्ताओं को बिक्रियों के संबंध में ऐसे कतिपय विपणन कार्य कर रहे हैं जिन्हें बिक्रियों के संबंध में व्यापारियों द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है।

238. हितबद्ध पक्षकारों का तर्क केवल इस बात पर आधारित लगता है कि व्यापारी कुछ लागत का भी वहन करेंगे और लाभ मार्जिन अर्जित करेंगे। तथापि, पक्षकार यह दर्शाने में विफल रहे हैं कि क्रेता द्वारा वहन की गई लागतों या मार्जिनों के आधार पर कीमतों में कौन से समायोजन किए जा सकते हैं। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अंतरों के लिए अनुमति देनी चाहिए जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित करते हैं। अत:, हितबद्ध पक्षकारों के लिए यह दर्शाना अपेक्षित है कि किस आधार पर कीमत में लगातार अंतर

था कि क्या क्रेता एक अंतिम प्रयोक्ता था या एक व्यापारी था और इसी बात से कीमत तुलनीयता प्रभावित हुई। निर्यातकों ने यह सिद्ध नहीं किया है और इसके लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है। दूसरे शब्दों में, पक्षकारों के लिए यह दर्शाना अपेक्षित है कि व्यापारी या प्रयोक्ता के रूप में क्रेता की स्थिति में उस कीमत को प्रभावित किया है जिस पर उन्होंने क्रेता को बिक्री की है। तथापि, वर्तमान मामले में इस अपेक्षा को पूरा नहीं किया गया है।

239. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जेबीसी द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के मामले में भारत को समस्त निर्यात ईएमएपीपीएल के जरिए किए गए हैं। यदि वह कीमत जिस पर जेबीसी द्वारा उत्पादित वस्तु को ईएमएपीपीएल द्वारा एमआरएफ सिंगापुर को बेचा जाता था, की तुलना उस कीमत से की जाए जिस पर उसी पीसीएन को भारत में अंतिम प्रयोक्ता को बेचा गया था तो ऐसे पीसीएन के 30-40% के प्रत्यक्ष निर्यात ऐसी कीमत पर हुए थे जो उस कीमत से कम थी, जिस पर एमआरएफ सिंगापुर को बिक्री की गई थी। इस प्रकार, ईएमपीएससी द्वारा उत्पादित वस्तु की बिक्री के मामले में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यात ईएमएपीपीएल के जरिए किए गए हैं। वह कीमत जिस पर ईएमएपीपीएल ने ईएमपीएससी द्वारा उत्पादित वस्तु को अपोलो सिंगापुर और एमआरएफ सिंगापुर को बेचा है, की तुलना उस कीमत से की गई है, जिस पर ईएमएपीपीएल ने ईएमपीएससी द्वारा उत्पादित वस्तु को भारत में अंतिम प्रयोक्ता को बेचा है। यह नोट किया गया है कि ओएचबी को प्रत्यक्ष निर्यातों का 90-100% और ओएचसी को प्रत्यक्ष निर्यातों का 30-40% उस कीमत से कम कीमत पर किया गया है जो समान पीसीएन के लिए एमआरएफ सिंगापुर और अपोलो सिंगापुर से प्रभारित की गई है। अत:, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि व्यापार के स्तर में अंतर में उस कीमत को प्रभावित किया है जो ईएमएपीपीएल द्वारा व्यापारियों के मुकाबले अंतिम प्रयोक्ताओं से प्रभारित की गई थी। ईएमसीएल द्वारा उत्पादित वस्तु के संबंध में भारत में अंतिम प्रयोक्ता को 90-100% निर्यात *** को किए गए थे। घरेलू उद्योग ने पहले ही स्पष्ट किया है कि *** के लिए संबद्ध वस्तु का प्रयोग करता है और उसके द्वारा प्रयुक्त कच्ची सामग्री उपभोक्ताओं द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। तद्नुसार, उसके द्वारा खरीदी गई वस्तु की कीमत अधिक है। अत:, यह स्पष्ट है कि ईएमएपीपीएल इस आधार पर उपभोक्ताओं से उत्पाद की अलग अलग कीमत नहीं लेता था कि क्या बिक्री अंतिम

प्रयोक्ता को या व्यापार को की जा रही है। यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य या सूचना नहीं दी गई है कि क्रेता के प्रचालन के स्तर ने कीमत तुलनीयता को प्रभावित किया है। इस प्रकार, यह दर्शाने के लिए किसी सूचना के अभाव में कि अंतर से कीमत तुलनीयता प्रभावित होती, प्राधिकारी इस संबंध में समायोजन उपयुक्त नहीं समझते हैं।

240. इस तर्क के संबंध कि बेची गई वस्तुओं की लागत पर जेबीसी के लिए विचार किया जाना चाहिए, जैसा अन्य उत्पादकों के लिए किया गया है; प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने सभी सहकारी उत्पादकों के लिए प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत के साथ-साथ उत्पादन लागत का निर्धारण करने की पद्धति को संगत आधार पर अपनाया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि धारा 9क(1)(ग) *"मूलता के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत तथा प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत तथा लाभ के लिए तर्कसंगत योग"* को सामान्य मूल्य के निर्धारण के आधार के रूप में बताती है। इसी प्रकार, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II पैरा (2) में यह जांच अपेक्षित है कि क्या *"उत्पादन की लागत (स्थिर और परिवर्तनशील) जमा प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत"* के संदर्भ में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में है। इस पर वर्तमान मामले में विचार किया गया है।

241. जेबीसी के लिए उत्पादन लागत में समायोजन नहीं करने के बारे में प्राधिकारी ने उत्पादक की सत्यापित सूचना पर भरोसा किया है। समस्त जानकारी, जो उत्पादक द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ साक्ष्यांकित की गई थी, पर विचार किया गया है। उत्पादक को डेस्क सत्यापन के दौरान उसके समायोजन को साक्ष्यांकित करने का अवसर दिया गया था। तथापि, जेबीसी यह प्रदशत करने में सक्षम नहीं था कि जिन आय को जेबीसी ने स्वयं गैर-प्रचालनात्मक आय माना है, वे विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण की प्रक्रिया में सृजित की गई थीं।

242. आबद्ध इनपुट की लागत के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि अंतरण कीमत पर भी विचार किया गया है, जो बही खातों में दर्ज थी। करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के प्रावधानों में यह व्यवस्था है कि लागत को आमतौर पर जांच के अधीन निर्यातक या आयातक द्वारा रखे गए रिकॉर्डों के आधार पर परिकलित किया जाएगा। यही बात पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत भी नोट की गई है। उत्पादक ने यह दावा नहीं किया है कि उसके रिकॉर्ड निर्यातक देश के

सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार रखे गए थे और वे विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से संबंधित लागतों को तर्कसंगत ढंग से नहीं दर्शाते हैं। अत:, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए यथा-अनुरक्षित रिकॉर्डों पर भरोसा किया है।

243. ऐक्सोन ग्रुप ने तर्क दिया है कि अपोलो सिंगापुर के जरिए निर्यातों की पहुंच कीमत और निर्यात कीमत को न्यूनतम कीमत के सौदों पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित नहीं करना चाहिए। ऐक्सोन ग्रुप के अनुसार मार्जिन निर्धारण के लिए अपेक्षित जानकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध है क्योंकि अपोलो इंडिया ने भागीदारी की है। पहुंच कीमतों के संदर्भ में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसके निरंतर अभ्यास के अनुसार, पारदर्शी तरीके से लेनदेन और लागत की पूरी श्रृंखला को प्रकट करने के लिए अपोलो सिंगापुर की भागीदारी आवश्यक है। अपोलो इंडिया की भागीदारी लेनदेन और समायोजन की संपूर्णता को प्रकट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसे अनुमति देने की आवश्यकता है। इसलिए, प्राधिकारी इस संबंध में दिए गए तर्कों को स्वीकार करने में असमर्थ है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारण किया है।

244. निर्यात कीमतों के संदर्भ में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए अपेक्षित पूर्ण सूचना रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पता नहीं लगाया जा सकता कि क्या अपोलो सिंगापुर ने लाभ पर उसके द्वारा खरीदी गई वस्तु की पुन: बिक्री की है। ऐक्सोन समूह के दावे के विपरीत अपोलो सिंगापुर के वित्तीय विवरणों को इसके लिए निर्धारक नहीं माना जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वित्तीय विवरण ऐसे सभी उत्पादों और सभी बाजारों को निर्यात से संबंधित प्रचालनों के बारे में है जिन्हें अपोलो सिंगापुर ने आपूर्ति की है। तथापि, निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए प्राधिकारी के लिए इस संबंध में सूचना अपेक्षित है कि क्या अपोलो सिंगापुर ने केवल भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात पर लाभ कमाया है। इसके मद्देनजर, प्राधिकारी यह निरंतर पाते हैं कि अपोलो सिंगापुर द्वारा भागीदारी के अभाव में निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा करना उपयुक्त है।

245. इस संबंध में यह दावा किया गया है कि ऐसी न्यूनतम कीमत का प्रयोग, जिस पर प्रत्येक निर्यातक ने अपोलो सिंगापुर या अन्य व्यापारी, जैसा भी मामला हो, को बिक्री

की है, के परिणामस्वरूप प्रतिकूल अनुमान लगाए जा रहे हैं जो करार के अनुच्छेद 6.8 का उल्लंघन है। इसके अलावा, यह दावा किया गया है कि अनुच्छेद 6.8 प्राधिकारी को असहयोगी पक्षकार को दंड देने से प्रतिबंधित करता है और असहयोग के कारण रिकॉर्ड में नहीं उपलब्ध सूचना को पूरा करने के लिए उपलब्ध तथ्यों के प्रयोग की अनुमति देता है, इसके संबंध में निर्यातक ने चीन -जीओईएस और यू.एस. - कतिपय उत्पादों पर पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (कोरिया) मामलों में डब्ल्यूटीओ पैनल के निर्णय पर भरोसा किया है। तथापि, यह नोट किया गया है कि यद्यपि डब्ल्यूटीओ पैनल की रिपोर्ट के अनुसार, प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों का प्रयोग अपेक्षित नहीं है जो दंडात्मक हों, परंतु पैनल की रिपोर्टें यह भी बताती हैं कि ऐसे तथ्यों का प्रयोग, जो असहयोगी पक्षकार के लिए कम अनुकूल हों, अनुच्छेद 6.8 के अनुसार असंगत नहीं है। यू.एस. -एडी और सीवीडी शुल्क मामले में संगत हिस्से में पैनल ने निम्नानुसार नोट किया।

> *"7.35 अंत में, हम नोट करते हैं कि अनुबंध II के पैरा 7 का अंतिम वाक्य यह "स्पष्ट ... करता है कि यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सहयोग नहीं करता है और इस प्रकार संगत जानकारी प्राधिकारी से छुपाई जाती है तो इस स्थिति का परिणाम ऐसा हो सकता है जो पक्षकार के लिए उस स्थिति से कम अनुकूल हो जिसमें उस पक्षकार ने सहयोग किया हो"। यह दर्शाता है कि "कम अनुकूल" परिणाम आवश्यक रूप से डब्ल्यूटीओ - असंगत नहीं होता है और यह कि जांचकर्ता प्राधिकारी के लिए हमेशा उन प्रतिस्थापन तथ्यों को चुनना अपेक्षित नहीं है, जो असहयोग पक्षकार के लिए "सर्वाधिक अनुकूल"हों। इसके बजाए "असहयोग ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिसमें किसी अज्ञात तथ्य के लिए एक प्रतिस्थान के चयन के कारण कम अनुकूल परिणाम की संभावना हो जाती है "। हम मानते हैं कि पैरा 7 यह समझने के लिए संदर्भगत सहायता प्रदान करता है कि हितबद्ध पक्षकार के स्वयं के आचरण और आवश्यक सूचना नहीं देने के परिणामों की उसकी जानकारी सहित - "वे प्रक्रियात्मक परिस्थितियां जिनमें सूचना उपलब्ध नहीं है"अनुच्देद 6.8 के अन्तर्गत प्रतिस्थापन तथ्यों के जांचकर्ता प्राधिकारी के चयन के लिए संगत हो सकती हैं। इसी के साथ पैरा 7 के पाठ की कोई भी बात यह नहीं दर्शाती है कि प्रक्रियात्मक परिस्थितियां*

जांचकर्ता प्राधिकारियों को नहीं उपलब्ध "आवश्यक"सूचना के लिए तर्कसंगत प्रतिस्थानों के चयन की आवश्यकता सू मुक्त होने का अधिकार देती हैं।

"7.36 सारांश में, हम मानते हैं कि अनुच्छेद 6.8 की शर्तों की व्याख्या उनके संदर्भ और उद्देश्य और प्रयोजन के आलोक में करने पर जांचकर्ता प्राधिकारियों के लिए - एक निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से - चयन को अपेक्षित करती है जो ऐसे उपलब्ध तथ्य हैं जो दिए गए मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में अनुपलब्ध "आवश्यक" सूचना के लिए तर्कसंगत प्रतिस्थापन बनते हों। ऐसा करने में जांचकर्ता प्राधिकारियों को ऐसे सभी तथ्यों पर विचार करना चाहिए जो उन्हें उचित ढंग से उपलब्ध हों। प्रतिस्थापन तथ्यों के चयन में अनुच्छेद 6.8 में जांचकर्ता प्राधिकारियों के लिए ऐसे तथ्यों का चयन अपेक्षित नहीं है जो असहयोगी पक्षकार के लिए सर्वाधिक "अनुकूल" हों। जांचकर्ता प्राधिकारी उन प्रक्रियात्मक परिस्थितियों पर विचार कर सकते हैं, जिनमें सूचना अनुपलब्ध है परंतु अनुच्छेद 6.8 हितबद्ध पक्षकारों को दंडित करने के प्रयोजनार्थ प्रतिस्थापन तथ्यों के चयन से मुक्ति नहीं देता है।"

246. अनुच्छेद 6.8 के साथ पठित अनुबंध II के पैरा 7 में इस प्रकार प्रावधान है कि किसी पक्षकार के असहयोग का परिणाम ऐसे तथ्यों का प्रयोग हो सकता है जो उस पक्षकार के लिए कम अनुकूल हों, यदि उसने सहयोग किया होता। इसके अलावा, ऐसे कम अनुकूल तथ्यों का प्रयोग अनुच्छेद 6.8 के असंगत नहीं है, जैसा डब्ल्यूटीओ पैनल ने माना है।

247. वर्तमान मामले में, प्राधिकारी ने अपोलो को ईएमएपीपीएल को ईएमसीएल द्वारा और एमआरएफ को ईएमपीएससी द्वारा अपोलो सिंगापुर के असहयोग के कारण निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु दी गई न्यूनतम कीमत पर विचार किया गया है। ऐसी कीमतों का प्रयोग दंडात्मक तथ्यों का प्रयोग नहीं बनता है। प्राधिकारी ने अंतिम निर्धारण करने के लिए एक्सोन ग्रुप द्वारा वास्तव में प्रभारित कीमत पर भरोसा किया है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां प्राधिकारी ने निर्यातकों से बिल्कुल अलग कीमत पर विचार किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने ऐसे तथ्यों पर आधारित निर्यात कीमत समायोजित नहीं की है जो ईएमएपीपीएल, ईएमसीएल या ईएमपीएससी द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित नहीं थे। दूसरी ओर, प्राधिकारी ने

वास्तव में प्रत्येक निर्यातक द्वारा प्रदत्त कीमत पर विचार किया है और उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित समायोजन किए हैं। ऐसी सूचना का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए भी उचित है कि किसी एक पक्षकार को असहयोग का लाभ ना हो। ऐसी सूचना का प्रयोग, जिससे असहयोगी पक्षकारों को लाभ हो, पक्षकारों को भागीदारी नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उसके बाद अनुकूल तथ्यों के प्रयोग का दावा करने के लिए प्रेरित करेगी, और इस प्रकार संगत सूचना मांगने और सही निर्धारण करने के प्रयोजन को विफल कर देगी।

248. प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आंकड़ों की विसतार से जांच की है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि डीजी सिस्टम के आंकड़ों में दी गई मात्रा निर्यातक, ईएमपीएससी द्वारा सूचित मात्रा से तुलनीय है। अत:, डीजी सिस्टम के आंकड़ों में दर्ज मात्रा को गलत नहीं माना जा सकता है।

249. वर्तमान मामले में प्राधिकारी ने पहले ही जांच की है कि उद्योग ने उत्पादन कब शुरु किया और क्या संबद्ध वस्तु का उत्पादन केवल एक नई उत्पाद लाइन है। उन्होंने अनुमानित बनाम प्राप्त प्रचालनों के अनुसार विस्तार से प्रचालनों की जांच भी की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि, यद्यपि घरेलू उद्योग ने पहले ही ***% का बाजार हिस्सा प्राप्त कर लिया है, फिर भी इस अवधि में आयातों का हिस्सा काफी अधिक बना रहा है। आयातों का कुल बाजार में हिस्सा लगभग ***% रहा है और घरेलू उद्योग के उत्पादन से *** गुना रहा है। घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री और बाजार हिस्सा उन स्तरों से वास्तव में कम रहा है जिन्हें पाटन के अभाव में घरेलू उद्योग ने प्राप्त किया होता।

250. उत्पादन की स्थिरता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग अपने संयंत्र का पूरा उपयोग नहीं कर पाया था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान *** दिनों के लिए शटडाउन करना पड़ा था। प्रकटन विवरण में भी यह नोट किया गया था। अत:, प्राधिकारी पाते हैं कि घरेलू उद्योग अब तक स्थापित नहीं हुआ है।

251. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि यद्यपि प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण परियोजना रिपोर्ट पर भरोसा करता है, तथापि रिपोर्ट या उसका आधार अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ शेयर नहीं किया गया है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट

करते हैं कि उद्योग ने परियोजना रिपोर्ट में दी गई जानकारी का अगोपनीय सारांश अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया था।

252. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा की गई परियोजना रिपोर्ट पुरानी हो गई है क्योंकि बाजार की स्थिति में परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के समय से काफी बदलाव हो गया है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने कीमतों में गिरावट और कोविड-19 पर ऐसे बदलावों के रूप में विशेष ध्यान दिलाया है जो परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय हुए थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण में उनकी सम्मुक्तियों के बावजूद हितबद्ध पक्षकारों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि बाजार की स्थिति कोविड-19 के प्रभाव के कारण कैसे स्थाई रूप से बदल गई। हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं बताया है कि बाजार ने अब तक महामारी के प्रभावों से रिकवर नहीं किया है। अत:, उस अवधि के दौरान बाजार को प्रभावित करने वाले केवल एक मापदंड के कारण जब संयंत्र चालू हो रहा था, यह अर्थ नहीं निकलता है कि संयंत्र चालू होने से पहले लगाए गए अनुमान पुराने हो गए हैं जबकि ये मापदंड प्रचालन की वास्तविक अवधि को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। कीमतों गिरावट और बाजार की स्थिति के संबंध में, प्राधिकारी प्रकटन विवरण में पहले ही इनकी जांच की थी। इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई नई जानकारी नहीं दी गई है।

253. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि परियोजना रिपोर्ट की तुलना केवल समायोजन करने के बाद की जानी चाहिए। प्राधिकारी ने उत्पादन के स्तर, क्षमता उपयोग, बिक्री, कर पूर्व लाभ, ब्याज पूर्व लाभ आदि जैसी सूचना पर परियोजना रिपोर्ट से विचार किया है। यह सिद्ध नहीं हुआ है कि परियोजना रिपोर्ट में सूचित ये मापदंड क्यों समायोजित करने चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिज्ञात बदलाव सामान्य व्यापार परिदृश्य प्रकृति के हैं। तथापि, कच्ची सामग्री की लागत, इनपुट में परिवर्तन या किसी अन्य संगत कारक में बदलाव, उत्पाद की बिक्री कीमत में भी बदलाव हो सकता है जिससे घरेलू उद्योग की अनुमानित लाभप्रदता प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

254. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक मात्रा में वस्तु की आपूर्ति नहीं की है; रिकॉर्ड में तथ्य

ऐसा नहीं दर्शाते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एमआरएफ लिमिटेड, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सीएट लिमिटेड और अपोलो टायर्स लिमिटेड ने संबद्ध देशों से उनके आयातों संबंधी जानकारी प्रस्तुत की है। यदि इन प्रयोक्ताओं को घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा उनके द्वारा संबद्ध देशों से खरीद की मात्रा के रूप में तुलना की जाए तो प्रयोक्ताओं को घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा किसी भी तरह से कम महत्वपूर्ण नहीं है।

मापदंड	घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा *	संबद्ध देशों से आयातित मात्रा **	कुल खरीद	घरेलू उद्योग का हिस्सा
जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	***	***	***	20-30%
सीएट लिमिटेड	***	***	***	85-95%
अपोलो टायर्स लिमिटेड	***	***	***	25-35%
एमआरएफ लिमिटेड	***	***	***	5-15%

* घरेलू उद्योग/प्रयोक्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार

** उत्तरदाता प्रयोक्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार

255. इसके अलावा, यद्यपि अन्य प्रयोक्ताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया है, तथापि प्राधिकारी ने विभिन्न भागीदार निर्यातकों द्वारा सूचित प्रयोक्ताओं को सीधे निर्यातों की मात्रा की तुलना की है जिनकी आपूर्ति घरेलू उद्योग ने भी की थी। तुलना की गई मात्राएं निम्नानुसार दर्शाती हैं।

मापदंड	घरेलू उद्योग द्वारा	संबद्ध देशों से आयातित मात्रा **	कुल खरीद	घरेलू उद्योग का हिस्सा

	आपूर्ति की गई मात्रा *			
***	***	***	***	70-80%
***	***	***	***	85-95%
***	***	***	***	35-45%

* घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार

** निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार

256. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की वास्तविक बिक्री कीमत और घरेलू उद्योग की अनुमानित कीमत के आधार पर कीमत कटौती का विश्लेषण किया है। प्राधिकारी ने पाया है कि वास्तविक बिक्री कीमत पर आधारित कीमत कटौती नकारात्मक है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को मात्रा तथा लाभप्रदता, दोनों मापदंडों में क्षति हो रही थी।

257. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को मात्रा और कीमत प्रभाव की गैर-मौजूदगी के कारण क्षति नहीं हुई है और उसने विभिन्न आर्थिक मापदंडों में सुधार देखा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे अनुरोध प्रस्तुत किए हैं जैसे वर्तमान मामला वास्तविक क्षति का हो। तथापि, वर्तमान मामले में प्राधिकारी ने विचार किया है कि घरेलू उद्योग एक स्थापनारत उद्योग है। घरेलू उद्योग के संबंध में क्षति की जांच इस संदर्भ में करनी होगी कि क्या आयातों ने भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तव में बाधित किया है। स्थापनारत शब्द का अर्थ उसकी प्रकृति के अनुसार यह है कि उद्योग को इस अवधि में वृद्धि होनी चाहिए। अत:, हितबद्ध पक्षकारों की दलील के विपरीत, क्षति विश्लेषण को उस निष्पादन की तुलना में देखना अपेक्षित है जिसे जांच अवधि के दौरान पाटन नहीं होने पर घरेलू उद्योग प्राप्त कर सकता था। इसके मद्देनजर, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन के साथ अनुमानित निष्पादन की इस जांच के लिए तुलना की है कि क्या देश में पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन का अनुमानित स्तर प्राप्त करने में बाधा आई है।

258. इस अनुरोध के संबंध में कि 2020-21 पर विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग केवल 2 महीनों के लिए प्रचालन में था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने संगत प्रक्रिया के अनुसार क्षति अवधि के दौरान भारत में आयात पर विचार किया है। घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने वास्तविक बाधा से वर्तमान मामले के संबंध में 2020-21 पर कोई भरोसा नहीं किया है। प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन की प्रचालन के दूसरे वर्ष में अनुमानित निष्पादन के साथ जांच की है।

259. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि मालसूची के लिए वास्तविक आंकड़ों की जांच की गई है, जबकि अन्य मापदंडों के लिए अनुमानित विश्लेषण किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने परियोजना रिपोर्ट में मालसूची के वास्तविक स्तर को रखने का अनुमान नहीं लगाया था।

260. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी पाटनरोधी जांच में घरेलू बाजार के लिए क्षति विश्लेषण किया जाता है और निर्यात बाजार के लिए नहीं। इसलिए, निर्यात की भारी मात्रा यह सिद्ध नहीं करती है कि घरेलू उद्योग वास्तविक रूप से बाधित रहा है। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्यातों की संभावित वरीयता के कारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां कमतर थीं।

260. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर इस संबंध में प्रतिकूल प्रभाव के रूप में क्षति निर्धारण कि क्या घरेलू उद्योग आगे पूंजी जुटाने की स्थिति में है। पहले जुटाए गए निवेश जांच अवधि के दौरान पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता नहीं दर्शाते हैं।

262. इस दावे के संबंध में कि किसी ब्याज लागत या स्टार्टअप लागत को क्षति विश्लेषण के आंकड़ों में शामिल नहीं करना चाहिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि क्षति विश्लेषण के लिए इन खर्चों का मानना एंटी डंपिंग नियमों के प्रावधान के अनुरूप है।

263. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में मूल्यह्रास लागत पर क्षति विश्लेषण के लिए विचार नहीं करना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए लेखा पुस्तकों के अनुसार वास्तविक लागतों पर भरोसा किया है।।

264. हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे अनेक कारकों पर ध्यान दिलाया है, जिन्होनें कथित रूप से घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित किया है। तथापि, पक्षकारों ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि उद्योग का निष्पादन इन कारकों द्वारा बुरी प्रभावित हुआ था। इसके अलावा, वैश्विक अति-क्षमताओं, एकल उत्पाद लाइन के कारण क्षति, कोविड-19, स्टार्अअप लागत जैसे कारकों के प्रभाव की प्राधिकारी द्वारा पहले ही जांच की गई है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वैश्विक अति क्षमताओं और भारत में मांग-आपूति की स्थिति पर क्षति विश्लेषण के लिए संगत रूप से विचार क्यों नहीं करना चाहिए।

265. उत्पादन में बार-बार रुकावट, घरेलू उद्योग द्वारा शटडाउन और उसके कारण के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान किसी तकनीकी कारण की वजह से शटडाउन नहीं करना पड़ा था। यह बात आवेदन में भी बताई गई थी और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस पर प्रश्न नहीं उठाया है।

266. प्राधिकारी को इस तर्क में कोई सच्चाई नहीं दिखती है कि घरेलू उद्योग को क्षति स्व-कारित है, क्योंकि रिकॉर्ड में तथ्य घरेलू उत्पादक और रूसी उत्पादक के बीच कोई मिलीभगत नहीं दर्शाते हैं।

267. इस अनुरोध के संबंध कि एचआईआईआर का बाजार विभिन्न ग्रेडों में बंटा हुआ है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में बीआईआईआर और सीआईआईआर, दोनों का उत्पादन और बिक्री की है। घरेलू बाजार ने एटीएमए के सदस्यों को बीआईआईआर की बिक्री के बीजक दिए थे।

268. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि टायर में एचआईआईआर की खपत 2 किलोग्राम तक है और इसका प्रभाव डाउनस्ट्रीम उद्योग के लाभ पर आधारित होना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। अन्य हितबद्ध पक्षकार प्राधिकारी के लिए संगत जांच करने हेतु डाउनस्ट्रीम उद्योग की संयुक्त लाभप्रदता उपलब्ध कराने में भी विफल रहे हैं।

ठ. <u>निष्कर्ष और सिफारिशें</u>

269. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी का निष्कर्ष यह है कि:

i. जापान, रूस, सिंगापुर, यूराइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हैलोबुटाइल रबड़ ("एचआईआईआर") के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच शुरु करने के लिए आवेदन रिलायंस सिबुर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था।

ii. विचाराधीन उत्पाद हैबोबुटाइल रबड़ (एचआईआईआर) जैसे ब्रोमोबुटाइल रबड़ (बीआईआईआर) और क्लोरोबुटाइल रबड़ (सीआईआईआर) है। एचआईआईआर को आईआईआर के आइसोप्रीन समूह के हैलोजेनेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है। एचआईआईआर का आमतौर पर इनर लाइनर, होज, सील, मेम्ब्रेन, टैंक लाइनिंग, कन्वेयर बेल्ट, प्रोटेक्टिव क्लोदिंग और उपभोक्ता उत्पादों जैसे खेल के सामान के लिए बाल ब्लेडर के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है।

iii. प्राधिकारी ने पीसीएन पद्धति को अपनाया है और उसे अधिसूचित किया है। इस पद्धति को आयातित और घरेलू उत्पाद के बीच उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया है। पीसीएन पद्धति को सभी हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर देने और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों और टिप्पणियों पर विचार करने के बाद तैयार किया गया था। पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को ऐसी पीसीएन पद्धति के आधार पर निर्धारित किया गया है।

iv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बीआईआईआर, एक्स बुटाइल बीबी 2030 और एक्स बुटाइल बीबी एक्स2 एक्स-बुटाइल बीबी 2030 और एक्स बुटाइल बीबी एक्स2 को बाहर रखने के लिए अनुरोध संबंधी टिपपणियां देरी से प्रस्तुत की हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान बीआईआईआर का उत्पादन और बिक्री की है और एक्स बुटाइल बीबी 2030 और एक्स बुटाइल बीबी एक्स2 की समान वस्तु की आपूर्ति की है। इस प्रकार, उक्त ग्रेडों को बाहर रखना न्यायसंगत नहीं है।

v. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ब्रोमोबुटाइल 2255 और 7244 और उच्च मोनी विकस्कोसिटी वाले एचआईआईआर को बाहर रखने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आरएसईपीएल बी 2247 घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एक उच्च मोनी ग्रेड है और इसमें ब्रोमोबुटाइल 2255 और ब्रोमोबुटाइल 7244 के जैसे तकनीकी विनिर्देशन हैं। इस प्रकार, ऐसे ग्रेडों को बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है।

vi प्राधिकारी नोट करते हैं कि उच्च ब्रोमाइन मात्रा वाले एचआईआईआर को बाहर रखना न्यायसंगत नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग ने एक नई उत्पादन सुविधा स्थापित की है और उसके पास इसके विनिर्माण की क्षमता है। घरेलू उद्योग देश में पाटन के कारण बाहार में अपने आप को पूरी तरह स्थापित भी नहीं कर पाया है और उसकी स्थापना देश में पाटन के कारण बाधित हुई है। अत:, इस उत्पाद को बाहर रखना उचित नहीं होगा।

vii. प्राधिकारी मानते हैं कि क्योंकि स्टार ब्रांड एचआईआईआर का कोई आयात नहीं हुआ है, और यह दर्शाने का कोई साक्ष्य नहीं है कि घरेलू उद्योग के

पास इस उत्पाद की समान वस्तु नहीं है, इस संबंध में कोई अपवर्जन न्यायसंगत नहीं है।

viii. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने अनेक उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक मात्राओं में संबद्ध वस्तु बेची है और इसके दुबारा ऑर्डर भी आए हैं जिसका अर्थ है कि उपभोक्ताओं ने घरेलू उद्योग की सामग्री को औपचारिक अनुमोदन नहीं दिया है, परंतु घरेलू उद्योग को पुन: ऑर्डर दिए हैं। यह घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद की स्वीकृति स्थापित करता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग प्रयोक्ता की जरुरत के अनुसार संबद्ध वस्तु का विनिर्माण करने में सक्षम है।

ix. आवेदक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सिबुर इंवेस्टमेंट एजी, एजी, स्विट्जरलैंड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। एनकेएनएच, रूस सिबुर समूह से संबंधित है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूसी कंपनी और आवेदक के बीच कोई मिलीभगत नहीं है। संबंध के केवल साक्ष्य से कोई उत्पादक पाटनरोधी नियमावली के अन्तर्गत घरेलू उद्योग बनने के लिए स्वत: अयोग्य नहीं हो जाता है।

x. प्राधिकारी ने यह निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड में मामले के विभिन्न तथ्यों की जांच की है कि प्राधिकारी को एक ऐसे विदेशी उत्पादक जिसने भारतीय बाजार में उत्पाद का निर्यात भी किया है के साथ संबंध के होते हुए भी नियम 2(ख) के अंतर्गत "घरेलू उद्योग" माने जाने की याचिकाकर्ता की पात्रता के संबंध में अपना विवेकाधिकार का क्या और कैसे प्रयोग करना चाहिए। प्राधिकारी ने ऐसी स्थिति के अन्तर्गत, प्राधिकारी को प्रदत्त विवेकाधिकार के उद्देश्य और आशय और अन्य संबद्ध देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में निर्धारित कीमत पर रूसी आयातों के तथ्य जो आवेदक और रूसी उत्पादक द्वारा मिलीभगत या संयुक्त कार्यवाही के अभाव को दर्शाता है, जैसे विभिन्न कारकों

पर विचार किया है, रूसी उत्पादक भारत में उत्पाद के पाटन में शामिल हैं, रूसी उत्पादक ने पाटनरोधी शुल्क लगाने का विरोध किया है और प्राधिकारी ने रूसी कंपनी से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। प्राधिकारी ने नियम 2(ख) के अन्तर्गत विवेकाधिकार का प्रयोग किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विचाराधीन उत्पाद के एक निर्यातक के साथ अपने संबंध के बावजूद वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक एक पात्र घरेलू उद्योग है।

xi. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच करने के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा किया है। यह नोट किया जाता है कि सभी संबद्ध देशों से आयात की मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक थी।

xii. प्राधिकारी ने व्यापार के स्तर के लिए विदेशी उत्पादकों द्वारा दावा किए गए समायोजन को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि विदेशी उत्पादक ने घरेलू बाजार में संबंधित व्यापारी को बिक्री की है जिसमें आगे प्रयोक्ताओं को बिक्री की है। भारत को निर्यात के मामले में विदेशी उत्पादक ने संबंधित व्यापारी को बिक्री की है जिन्होंने प्रयोक्ताओं की संबंधित कंपनियों को बिक्री की है। अत:, यह स्थापित नहीं होता है कि व्यापार के उस स्तर, जिस पर घरेलू बाजार और भारत को निर्यात के मामले में वस्तुएं बेची गई हैं, वास्तव में इतना अलग है कि वह कीमत समायोजन को दर्शाता है। इसके अलावा, इस तथ्य के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि सिंगापुर की कंपनियों द्वारा कुछ विपणन कार्यकलाप किए गए हैं जिन्हें उनके घरेलू बाजार में विदेशी उत्पादक द्वारा किया गया है।

xiii. रूस को प्राधिकारी की पूर्व प्रक्रिया के अनुसार एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है और इस संबंध में अन्य निर्यातकों के दावे को स्वीकार नहीं किया गया है।

xiv. सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी निज़नेकमस्कनेफ़्तेखिम, रूस ने जांच में भागीदारी की है, प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया और अलग पाटन मार्जिन व्यवहार की मांग की। निज़नेकमस्कनेफ़्तेखिम द्वारा प्रस्तुत उत्तर का प्रयोग

इस कंपनी को अलग पाटन मार्जिन देने के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि उत्पाद की मूल्य श्रृंखला अधूरी है।

xv. स्टार्टअप प्रचालनों और शटडाउन लागतों के दौरान ईएमएपीपीएल के द्वारा वहन की गई लागतों के लिए समायोजनों के दावे की अनुमति दी गई है। ईएमएपीपीएल ने जांच अवधि के दौरान स्टार्टअप प्रचालनों का सामना नहीं किया है और इसलिए किसी समायोजन की जरुरत नहीं है। संयंत्र के बंद होने के संबंध में यह केवल अस्थाई प्रकृति का था और इसमें आई लागत गैर-आवर्ती लागत नहीं थी, जिससे वर्तमान और/या भावी उत्पादन को लाभ हो सके। प्राधिकारी ने उत्पादक के खातों की बही में यथा-दर्ज वास्तविक लागतों के आधार पर उत्पादन लागत परिकलित की है।

xvi. सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत उन्हें प्रदत्त सूचना के आधार पर निर्धारित की गई है।

xvii. निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन काफी अधिक है। प्राधिकारी ने देश में उत्पाद के काफी अधिक पाटन की मौजूदगी को पाया है जो विभिन्न संबद्ध देशों के लिए 10 से 70% के बीच के बीच है।

xviii. वर्तमान जांच नए उद्योग के लिए वास्तविक बाधा की जांच है जिसने फरवरी, 2021 में उत्पादन शुरु और 31 मार्च, 2023 को वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की। एचआईआईआर एक नया उत्पाद है जिसका आवेदक द्वारा उत्पादन शुरु करने से पहले भारत में उत्पादन नहीं हो रहा था। आवेदक द्वारा एचआईआईआर के विनिर्माण के लिए अलग संयंत्र स्थापित करने के लिए भारी निवेश किया गया है। घरेलू उद्योग प्रचालन के दूसरे वर्ष में उसके द्वारा अनुमानित निष्पादन तक पहुंचने में असमर्थ है। घरेलू उद्योग भारत में पाटन के कारण लागत वसूल करने में भी सक्षम नहीं है।

xix. एचआईआईआर को आईआईआर का विस्तार नहीं माना जा सकता है क्योंकि एचआईआईआर के विनिर्माण के लिए भारी निवेश किया गया है; एचआईआईआर और आईआईआर के लिए अलग अलग संयंत्र हैं जिन्हें भिन्न भिन्न तारीखों को स्थापित किया गया था; दोनों संयंत्र स्वतंत्र रूप से चलत

हैं; दोनों संयंत्रों की विनिर्माण प्रक्रिया अलग अलग है; प्रौद्योगिकी को दोनों उत्पादों के लिए भिन्न भिन्न उत्पादकों से लिया गया है, दोनों उत्पादों की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत भिन्न भिन्न है; दोनों उत्पादों के अलग अलग एचएस कोड हैं और दोनों संयंत्रों में कार्यरत जनशक्ति अलग अलग हैं। एचआईआईआर और आईआईआर के बीच पर्याप्त मूल्यवर्धन होता है।

xx. आवेदक की परियोजना रिपोर्ट पर अनुमानित निष्पादन के साथ वास्तविक निष्पादन की तुलना के लिए विचार किया गया है। रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि परियोजना रिपोर्ट अविश्वसनीय है।

xxi. कच्ची सामग्री की कीमत में उतार-चढ़ाव एक व्यापारी परिदृश्य है जिससे घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में बदलाव होता है। इसके अलावा, जांच अवधि में घरेलू उद्योग पर कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

xxii. प्राधिकारी ने क्षति का संचयी आकलन किया है क्योंकि इस संबंध में कानून के अंतर्गत विहित सभी स्थितियां पूर्णत: संतुष्ट हुई हैं। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन और आयातों की मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक है। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना सही है। यह भी नोट किया गया है कि रूस से आयातों को अलग करने और रूसी आयातों की अलिग से जांच करने का कोई आधार नहीं है।

xxiii. संबद्ध वस्तु के लिए मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और जांच अवधि के दौरान यह उच्चम रही थी।

xxiv. आयातों में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है और जांच अवधि में केवल मामूली गिरावट आई है। यद्यपि घरेलू उद्योग के पास भारत में मांग को पूरा करने की पूर्ण क्षमता है। तथापि उसके पास भारत में कम बाजार हिस्सा है, आयातों ने भारत में अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर रखा है। यद्यपि, घरेलू उद्योग में घाटे में संबद्ध वस्तु को बेचा है।

xxv. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण किया है। यद्यपि घरेलू उद्योग की वास्तविक बिक्री लागत, बिक्री की अनुमानित

लागत से कम है, तथापि बिक्री कीमत अनुमानित स्तर से काफी कम है। इसके कारण, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता अनुमानित स्तर से कम रही है।

xxvi. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग एक नया उद्योग है और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन ने भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से बाधित किया है।

क. घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियां अनुमानित निष्पादन से कमतर रही हैं।

ख. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान *** दिनों के लिए पाटन के कारण अपने प्रचालन बंद करने पड़े थे।

ग. यद्यपि घरेलू उद्योग के पास संपूर्ण घरेलू मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है, तथापि अधिकांश मांग पर आयातों का कब्जा है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा अनुमानित बाजार हिस्से से काफी कम है।

घ. घरेलू उद्योग की मालसूची में उसके द्वारा उत्पादन रोकने और घाटे में बिक्री करने को बाध्य होने के बावजूद वृद्धि हुई है।

ड. घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय उसके प्रचालन के दूसरे वर्ष में अनुमानित स्तर से काफी कम रहे हैं।

च. आयातों ने आगे निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया है।

xxvii. प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा आई है।

xxviii. प्राधिकारी ने अनुबंध III के विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त वित्तीय आंकड़ों/सूचना की विस्तृत जांच के बाद क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित

एनआईपी तर्कसंगत है और घरेलू उद्योग को हुई क्षति की मात्रा निर्धारित करने के लिए उपयुक्त है।

xxix. आयातों की पहुंच कीमत के साथ प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षतिरहित कीमत की तुलना से पता चलता है कि क्षति मार्जिन काफी अधिक है और संबद्ध देशों से प्रतिवादी निर्यातकों के संबंध में सकारात्मक है।

xxx. जांच से पता चला है कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण हुई है और किसी अन्य कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है।

xxxi. पाटनरोधी शुल्क व्यापक जनहित में है, जैसा निम्नलिखित से स्पष्ट है:

क. पाटनरोधी शुल्क लागू करने से भारत में उचित व्यापार सुगम बनेगा और यह व्यापक उपभोक्ता हित में है।

ख. घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु के विनिर्माण के लिए संयंत्र में भारी निवेश किया है। घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करने के लिए ऐसे निवेश को व्यवहार्य रखना अनिवार्य है।

ग. पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इससे भारत में एकाधिकार स्थापित नहीं होगा।

घ. संबद्ध वस्तु डाउनस्ट्रीम उद्योग की एक प्रमुख लागत नहीं है। संबद्ध वस्तु टायर की लागत का एक प्रमुख घटक नहीं है। पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव 0.31% के आसपास है।

ड. डाउनस्ट्रीम उद्योग के सकल कारोबार की तुलना में पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव 0.1% से कम है।

च. घरेलू उद्योग उच्च ब्रोमाइन मात्रा वाले एचआईआईआर का विनिर्माण करता है और इसलिए भेषज उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भेषज उद्योग पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

छ. शुल्क लागू होने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। घरेलू उद्योग के पास भारतीय मांग को पर्याप्त रूप से पूरा करने की क्षमता

है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में आयात प्रतिबंधित नहीं होते हैं।

270. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरु की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित की गई और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति, और कारणात्मक के पहलू सबंधी सकारात्मक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरु करने और संचालित करने के बाद प्राधिकारी का विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना पाटन और क्षति की भरपाई के लिए अपेक्षित है। अत: प्राधिकारी, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

271. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए,प्राधिकारी मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके। तद्नुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं:

<u>शुल्क तालिका</u>

क्र.सं.	**शीर्ष**	**वस्तु का विवरण**	**मूलता का देश**	**निर्यात का देश**	**उत्पादक**	**राशि**	**इकाई**	**मुद्रा**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1	40023900	**हेलोब्युटाइल रबड़**	जापान	जापान	जापान बुटाइल कं., लिमिटेड	694	मी.ट.	अम. डा.
2	-वही-	-वही-	जापान	जापान सहित कोई देश	(1) के अलावा कोई	956	मी.ट.	अम. डा.

3	-वही-	-वही-	जापान, रूस, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा कोई देश	जापान	कोई	956	मी.ट.	अम. डा.
4	-वही-	-वही-	रूस	रूस सहित कोई	कोई	1,214	मी.ट.	अम. डा.
5	-वही-	-वही-	जापान, रूस, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा कोई देश	रूस	कोई	1,214	मी.ट.	अम. डा.
6	-वही-	-वही-	सिंगापुर	सिंगापुर	अरलैंक्सियो सिंगापुर पीटीई लिमिटेड	694	मी.ट.	अम. डा.
7	-वही-	-वही-	सिंगापुर	सिंगापुर	एक्सॉन-मोबिल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड	1,065	मी.ट.	अम. डा.
8	-वही-	-वही-	सिंगापुर	सिंगापुर सहित कोई देश	(6) और (7) के अलावा कोई	1,487	मी.ट.	अम. डा.

9	-वही-	-वही-	जापान, रूस, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा कोई देश	सिंगापुर	कोई	1,487	मी.ट.	अम. डा.
10	-वही-	-वही-	यूनाइटेड किंगडम	यूनाइटेड किंगडम	एक्सॉनमो-बिल केमिकल लिमिटेड	215	मी.ट.	अम. डा.
11	-वही-	-वही-	यूनाइटेड किंगडम	यूनाइटेड किंगडम सहित कोई देश	(10) के अलावा कोई	710	मी.ट.	अम. डा.
12	-वही-	-वही-	जापान, रूस, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा कोई देश	यूनाइटेड किंगडम	कोई	710	मी.ट.	अम. डा.
13	-वही-	-वही-	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका	एक्सॉन-मोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कंपनी	311	मी.ट.	अम. डा.
14	-वही-	-वही-	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कोई देश	(13) के अलावा कोई	743	मी.ट.	अम. डा.

15	-वही-	-वही-	जापान, रूस, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा कोई देश	संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई	743	मी.ट.	अम. डा.

ड. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

272. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी